ग्रामीण विकास को समर्पित

कुरुक्षेत्र

वर्ष 51 अंक : 12 | अक्तूबर 2005 | मूल्य : 15 रुपये

ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचा

ग्रामीण आवास : केंद्र तथा राज्यों के कार्यक्रम

ग्रामीण भारत और ढांचागत सुविधाएं

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंपरोधी मकानों का डिजाइन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

विकास के पथ

सभी के लिये सुरक्षित पेयजल

वार्षिक अंक

विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास

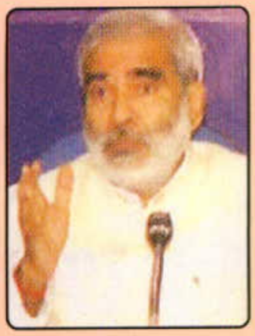

समानता एवं कार्यकुशलता के सिद्धान्तों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों में रहने वाले गरीब तबके की ढांचागत जरूरतों पर ध्यान देने के साथ ही सरकार सड़कों, रेलवे, बिजली, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बंदरगाहों एवं अन्तर्देशीय जलमार्गों एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री **"बुनियादी ढांचे से संबंधित समिति"** के अध्यक्ष हैं जिसमें सभी संबंधित मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं। इस समिति ने सड़क, बिजली, नागरिक उड्डयन और पर्यटन के क्षेत्रों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए योजनाओं के संबंध में चर्चा कर ली है। सरकार ने **राष्ट्रीय राजमार्ग** संबंधी कार्य को तेज कर दिया है और स्वर्णिम चतुर्भुज, तथा उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम गलियारों के आगे विकास की योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सत्ता में आने तक ये परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही थीं। इसलिए, सरकार ने राजमार्ग परियोजनाओं के कार्य को तेज कर दिया है।

एक नई **नागरिक उड्डयन** नीति तैयार की जा रही है। इस नीति से 30 से अधिक प्रमुख हवाई अड्डों को उन्नत बनाया जाएगा और नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई स्थित अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हैदराबाद एवं बैंगलूर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए नए निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार ने "व्यस्त समय मुक्त आकाश की नीति" अपनायी है जिससे हवाई यातायात में होने वाली मौसमी भीड़भाड़ की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। घरेलू एयरलाईनों में निवेश के लिए **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा** बढ़ा दी गयी है जिससे विदेशी निवेश अधिक आकर्षित होगा और उड्डयन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

सरकार ने मन्नार की खाड़ी से पाक खाड़ी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक 'सेतु समुद्रम' नाम से एक नौवहन योग्य जल मार्ग बनाने तथा उसे संचालित करने और वित्तीय व्यवस्था करने के लिए सेतु समुद्रम निगम लिमिटेड के गठन की अनुमति प्रदान की है। जहाजरानी उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने **'टनभार कर'** (टनेज टैक्स) शुरू किया है जो कि जहाजरानी उद्योग की लंबे समय से मांग रही है। 'राष्ट्रीय समुद्र नीति' एवं 'समुद्री विकास कार्यक्रम' तैयार किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने भारत में एक **विश्वस्तरीय रेलवे प्रणाली** और सभी बड़े शहरों में **'शहरी मेट्रो रेल'** की आवश्यकता पर बल दिया है। रेलवे बजट में आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाया गया है जिससे यात्रियों संबंधी सभी लेन–देन का कंप्यूटरीकरण और रेलवे प्रचालनों को इलेक्ट्रानिकी के अनुरूप बनाया जाएगा। सरकार ने यात्रियों संबंधी सेवाओं, जैसे होटल एवं शॉपिंग मॉल के लिए रेलवे की भूमि के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ाने का प्राधिकार भी दे दिया है।

बिजली क्षेत्र संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की नीतियों का एक विशेष केंद्रबिंदु रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने ऊर्जा नीति संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और त्वरित विद्युत क्षेत्र विकास एवं सुधार कार्यक्रम को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही है। **निजी क्षेत्र की 11 बिजली परियोजनाएं**, जिनसे लगभग 4000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन होगा, वित्तीय समापन की स्थिति तक पहुंच गई हैं। **एक नया ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम** मंजूर किया गया है, जिससे 2009 तक सभी गांवों को बिजली पहुंचायी जायेगी। सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति भी तैयार कर ली है। वायदे के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की समीक्षा पूरी की जा रही है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित पक्षों से ग्रामीण गरीब लोगों के लिए बिजली की उचित दर एवं उसकी उपलब्धता के संबंध में परामर्श किया जा रहा है और समस्या का समाधान किया जा रहा है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। **"ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल कूटनीति"** की पहल की गई है और हम अपने ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण करने में सफल हुए हैं। विश्व में तेल कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद, हमारे घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव बहुत कम रहा है क्योंकि हमने अपनी वित्तीय नीतियों की पहल में उपभोक्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखा है। सरकार तेल एवं गैस की खोज करने एवं पाइप लाइनों के निर्माण में नए निवेश आकर्षित करने के लिए भी सक्रियता से प्रयास कर रही है। ❑

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 51 ● अंक : 12 ● पृष्ठ : 72

आश्विन–कार्तिक 1927

अक्तूबर 2005

संपादक
स्नेह राय

उप संपादक
जयसिंह

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@pub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

आवरण
पवन

सज्जा
संतोष कुमार सिंह

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

● ग्रामीण आवास : केंद्र तथा राज्यों के कार्यक्रम	अवतार सिंह सहोता	4
● ग्रामीण भारत और ढांचागत सुविधाएं	हरवीर सिंह	8
● ग्रामीण आवास की नयी टेक्नोलाजी	एस.के. नेगी	11
● ग्रामीण आवास योजनाएं : प्रगति की नई शुरूआत	देव प्रकाश	15
● ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंपरोधी मकानों का डिजाइन	अशोक कुमार	18
● ग्रामीण आवास : चुनौतियां और संभावनाएं	पुष्पेश पंत	22
● ग्रामीण विद्युतीकरण	देवजित पालित	25
● ग्रामीण आवास : पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका	डा. महिपाल	29
● बुनियादी ढांचा : ग्रामीण विकास : भारत निर्माण	वेद प्रकाश अरोड़ा	33
● ग्रामीण विकास में सड़क, आवास और बिजली की भूमिका	अनन्त मित्तल	36
● ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचा	नवीन पंत	40
● आवास : ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार	अभिनय कुमार शर्मा	42
● ग्रामीण आवास कार्यक्रम	—	45
● इंदिरा आवास योजना : स्वच्छ शौचालय निर्माण	जे.एन. सिंह	48
● सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता : एक विश्लेषण	पूर्ण सिंह यादव	52
● राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	—	55
● टेलीमेडिसिन	जी. माधवन नायर	60
● विकास के पथ	—	61
● पुनरोपयोगी ऊर्जा : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतिया	—	62
● संचार सुविधाओं तक आम आदमी की पहुंच	दयानिधि मारन	64
● सभी के लिये सुरक्षित पेयजल	ए.के. श्रीवास्तव	66
● 73वां संवैधानिक संशोधन : गांधी दर्शन के परिपेक्ष्य में	राजदुलारी माथुर	67
● गांधीजी के ग्राम–स्वराज की परिकल्पना	डा. अमरेन्द्र कुमार तिवारी	70

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत-सम्मत

कुरुक्षेत्र पत्रिका का लगभग 10 वर्ष से नियमित अध्ययन कर रहा हूं। आपने और आपके सहयोगियों ने हमें व हमारे जैसे तमाम ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े युवाओं को अच्छा रास्ता दिखाने और जागृति पैदा करने और के लिए धन्यवाद! जून अंक पढ़ा इस अंक के संपादकीय में ऐसे विषय की चर्चा की है जैसे आप मेरे ही जीवन के विषय में बातें कर रहे हों। आपने अच्छा मार्गदर्शन किया मैं आपका व आपके सहयोगियों का आभारी हूं।

इस अंक में संपादकीय के अलावा इस शताब्दी की घातक समस्या–प्रदूषण (कांता) ग्लोबल वार्मिंग: वैभव पाण्डे, रहिमन पानी राखिए – डा. रवीन्द्र अग्रवाल और पर्यटन के संबंध में एस.एस. सैनी के आलेख बहुत पसंद आए। लेकिन अंत में कहूंगा कि आपके संपादकीय मेरे जैसे तमाम युवाओं की जीवन रेखा की निराशा को दूर करने में कारगर रहेगा।

आशुतोष कुमार सिंह, वाराणसी, उ.प्र.

•••

कुरुक्षेत्र की विगत पांच वर्षों से नियमित पाठिका रही हूं। लेकिन जून, 2005 के कुरुक्षेत्र पत्रिका में कुछ खास विषय पर लेख पढ़ने को मिले। प्रतियोगिता की तैयारी करने वाली छात्र–छात्राओं के लिए "गागर में सागर" की तरह है। संपादकीय की सरल एवं सुलभ भाषा के प्रति हमारी लेखनी आभार व्यक्त करती है। कुरुक्षेत्र पत्रिका की स्वर्णिम सफलता की कामना करती हूं और इसी प्रकार से आनेवाले माह के प्रत्येक अंक में एक नया सवेरा एवं नई विषयवस्तु होगी।

सीमा कुमारी शर्मा, भागलपुर, बिहार

•••

जून अंक पढ़ा। जैविक खाद पर केन्द्रित आलेख अत्यन्त उपयोगी रहे। डा. रवीन्द्र अग्रवाल की प्रस्तुति 'रहिमन पानी राखिए' अत्यन्त सामयिक व उपयोगी रहा। प्राचीन काल से कहा जा रहा है कि जर, जोरू व जमीन के लिए ही अधिकतर लड़ाई होती है परन्तु अब इसमें एक और कारण जुड़ने जा रहा है और वह है – जल। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति अत्यन्त भयावह हो सकती है। कुरुक्षेत्र परिवार को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

'जुलाई' अंक पढ़ा। इसमें 'ग्रामीण विकास में बायोगैस की भूमिका लेख अत्यन्त उपयोगी रहा। 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' स्वास्थ्य सुविधाओं के जागरूकता के लिए एक अनूठा मिशन है। अच्छी जानकारी मिली।

अन्त में समस्त पाठकों व 'कुरुक्षेत्र' परिवार को 'स्वतंत्रता दिवस' व 'रक्षा बन्धन' की शुभकामनाएं।

दिलीप कुमार, गढ़, (उ.प्र.)

•••

कुरुक्षेत्र का जुलाई, 2005 का अंक डा. नरेन्द्र पाल सिंह और प्रमील कुमार का लेख "भारत में जनसंख्या की समस्या" को पढ़ा काफी रोचक एवं विचारणीय लगा। सचमुच में जनसंख्या का विकास एवं बेहतर जीवन स्तर से गहरा संबंध है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही आबादी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह देश की विकास गतिविधियों को लगातार नाकाफी और अपर्याप्त साबित करने पर तुली हुई है। यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है जिसका समाधान भी राष्ट्रीय स्तर एवं विस्तृत सोच के आधार पर किया जाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि हमारे विकास को प्रभावित करती है और अनेक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, आवास, खाद्यान्न, निर्धनता, आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएं, नैतिकपतन, निम्न उत्पादकता आदि को जन्म देती है और इन समस्याओं का समाधान जनसंख्या वृद्धि की समस्या के हल मे निहित है।

नेहा मधु, पटना

•••

प्रतिमाह कुरुक्षेत्र की प्रतीक्षा करता हूं जब आ जाता है तो आद्योपरांत पढ़ता भी हूं। निरंतर एक से एक बढ़िया अंक प्राप्त हो रहा है। संपादक महोदय एवं पूरी टीम को बधाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, के उपलक्ष्य में प्रकाशित जुलाई अंक में जनसंख्या पर चार लेख समाए हुए थे। अनेक जानकारियां एक जगह संकलित मिल गईं।

प्रतापमल देवपुरा, उदयपुर, राजस्थान

•••

कुरुक्षेत्र जुलाई का अंक हस्तगत हुआ। ग्रामीण विकास को समर्पित इस पत्रिका के प्रस्तुत अंक में विविध राष्ट्रीय समस्याओं के कारण एवं समाधान के तरीके भी बताये हैं। 'आर्थिक संवृद्धि का संबल–हस्तशिल्प का संरक्षण' लेख ने वर्तमान भारतीय आर्थिक परिवेश में हस्तशिल्प की महत्ता को बताने का एक योग्य एवं सार्थक प्रयत्न किया है।

अमित कुमार द्विवेदी, लखनऊ

•••

कुरुक्षेत्र के अंकों को पढ़ते हुए मुझे बेहद खुशी होती है। इसकी सभी रचनाएं स्तरीय तथा पठनीय होती हैं। मेरे विचार से, यह ग्रामीण विकास की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका है। इसमें दी गई सामग्री "गागर में सागर" को चरितार्थ करती हैं।

विकसित भारत के निर्माण में इसका उल्लेखनीय योगदान होगा।

संजीव पटेल, पटना

•••

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका **कुरुक्षेत्र** का विगत सात वर्षों से नियमित पाठक रहा हूं। यह पत्रिका मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। इस पत्रिका की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी संरचना एवं व्यवस्था प्रतियोगिता एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति से संबंधित विषयों को ध्यान में रखकर ही की गयी है।

समाजशास्त्र के छात्र एवं छात्राओं के लिए कुरुक्षेत्र पत्रिका वरदान है। इसकी सारगर्भित एवं सुरुचिपूर्ण अध्ययन सामग्री सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का मार्ग प्रशस्त करती है और यह पत्रिका हर माह विविध आवश्यक जानकारियों को समेटकर हम प्रतियोगी छात्रों के पास पहुंचती है।

सुजीत कुमार, भागलपुर, बिहार

संपादकीय

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्राम्य अर्थव्यवस्था है और 72 प्रतिशत से अधिक लोग देहाती इलाकों में रहते हैं। सरकार 10वीं योजना के अंत, यानी वर्ष 2007 तक आवास से वंचित सभी लोगों को सिर के ऊपर छत मुहैया कराने के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध है।

राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति 1998 में गुणवत्ता की दृष्टि से श्रेष्ठ और लागत में किफायती आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता की ओर तत्काल ध्यान देने की बात कही गयी है। इसमें ग्रामीण बस्तियों के नियोजित और संतुलित विकास के लिए निर्देश देने, आवास क्षेत्र आधुनिकरण के लिए टेक्नोलाजी का उपयोग करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टेक्नोलाजी का लाभ उठाने की बात भी कही गयी है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए 1.26 करोड़ और मकानों के निर्माण/उनमें सुधार की आवश्यकता है।

विभिन्न नीतिगत पहल के अंतर्गत पुनर्गठित जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ग्राम स्तर पर ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास को ही पूरी तरह समर्थित है। इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है।

इंदिरा आवास योजना का मूल उद्देश्य अनुसूचित जातियों/जनजातियों/बंधुआ मजदूरी के चंगुल से मुक्त कराए गए लोगों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे गैर अ.जा./अ.ज.जा. लोगों को अनुदान सहायता देकर आवासीय इकाइयों के निर्माण में मदद देना है। इन योजनाओं का लाभ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं या निकट संबंधियों का भी दिया जा रहा है और इसमें आमदनी संबंधी कोई सीमा नहीं है।

भूतपूर्व सैनिकों और सेवानिवृत व्यक्तियों के अलावा गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और पर्यावास मिशन निश्चित लक्ष्यों और स्पष्ट समयावधि पर जोर देते हुए आवास निर्माण गतिविधियों में अनिवार्यता और गंभीरता की नयी भावना का संचार करने के लिए शुरू किया गया है। शासन के लिए नये राष्ट्रीय एजेंडा में सबके लिए आवास के लक्ष्य को प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित किया गया है और इसके अंतर्गत गरीबों के लिए हर साल 20 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाईयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, इनमें से 13 लाख इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में बनायी जाएंगी यानी देहाती इलाकों में हर रोज करीब 3,562 मकान बनाने होंगे।

जहां तक ग्रामीण आधारभूत ढांचे का सवाल है करीब 40 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियां अब तक सड़कों से जुड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दिसंबर, 2000 में शुरू की गयी, इसमें 60,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, इसके अंतर्गत 10वीं योजना के अंत तक सड़क संपर्क से वंचित 500 लोगों तक की आबादी वाले सभी गांवों को पूरे साल सभी मौसम में चालू रहने वाल इकहरी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण नवीकरण ऊर्जा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम और सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम को भी सरकार ने ग्रामीण बस्तियों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक माना है।

'कुरुक्षेत्र' का यह वार्षिकांक ग्रामीण आवास और आधारभूत ढांचे को समर्पित है और इसमें किफायती और टेक्नोलाजी पर आधारित विधियों पर विशेष जोर दिया गया है।

ग्रामीण आवास : केंद्र तथा राज्यों के कार्यक्रम

अवतार सिंह सहोता

पिछले पांच दशकों में भारत की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। 1951 से 2001 के बीच जनसंख्या में 2.61 गुना बढ़ोतरी हुई है, इसमें से ग्रामीण आबादी 2.3 गुना और शहरी 4.19 गुना बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने से नयी आवासीय इकाइयों की मांग बढ़ी है तथा पुराने मकानों के जर्जर होने से उनकी मरम्मत की आवश्यकता ने आवास की समस्या में एक नया आवास जोड़ दिया है। गरीबी और आवास के बीच सीधा संबंध है: गरीब आदमी के पास या तो मकान नहीं होता या फिर वह खराब कच्चे मकान में रहता है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 3.11 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान है। करीब 49.1 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं हैं, यानी मकानों की कुल संख्या के बाद इतने परिवार उपयुक्त आवास सुविधा से वंचित हैं। 1.25 करोड़ परिवार टूटे-फूटे कच्चे मकानों में रहते हैं। 63 लाख परिवार बेहद पुराने मकानों में रह रहे हैं और 74 लाख, तंग बस्तियों में गुजर-बसर कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.48 करोड़ आवासीय इकाइयों की कमी का अनुमान है। इनमें से 1.15 करोड़ इकाइयां टूटे-फूटे कच्चे मकानों के रूप में, 34 लाख जीर्ण-शीर्ण मकानों के रूप में और 50 लाख तंग बस्तियों वाले मकानों के रूप में हैं। मकानों की इस अनुमानित कमी में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि से पूर्वानुमानित आवश्यकता शामिल नहीं है। भारत सरकार ने देश में सब नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने का संकल्प लिए हैं। 'भारत-निर्माण' कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वालों के लिए अगले 40 वर्षों में 60 लाख मकानों का निर्माण किया जाना है। केंद्र, राज्य सरकारों और आवास की गंभीर समस्या का सामना कर रहे लोगों के संसाधनों को समेकित कर लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

अगर हम वर्तमान आवासों की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार करें तो जो परिदृश्य उभर कर सामने आता है वह बड़ा निराशाजनक लगता है। गांवों में स्वच्छता, जल-आपूर्ति, गंदे पानी की निकासी तथा ठोस कचरे और कृषि अपशिष्ट के निपटान जैसी समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं। पर्यावरण में खराबी और भूमि, जल, मिट्टी और वायु जैसे साझा संसाधनों के प्रदूषित होने का यही सबसे बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि गांवों में करीब 80 प्रतिशत बीमारियों का कारण दूषित पर्यावरण और जल-प्रदूषण है।

भारत में ग्रामीण आवास की स्थिति का अनुमान वर्तमान ग्रामीण आवासों की गुणवत्ता के बारे में जनगणना के आंकड़ों के विश्लेषण से लगाया जा सकता है। सन् 2001 के जनगणना से संकेत मिलता है कि कुल 13.82 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब 39.8 प्रतिशत एक कमरे वाले आवासों में रहते हैं। 30.2 प्रतिशत के पास दो कमरे वाले और 26.7 प्रतिशत के पास तीन या ती से अधिक कमरे वाले घर हैं। 34 लाख परिवारों के पास अलग से कोई कमरा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का भी बड़ा अभाव है। 81 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को ही पीने का पानी उपलब्ध है, 22 प्रतिशत को शौचालय की सुविधा प्राप्त है, 34 प्रतिशत परिवार गंदे पानी की निकासी की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और 44 प्रतिशत के पास बिजली कनेक्शन हैं।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास एवं बसावट विकास

ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास कार्यक्रम

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) से पता चलता है कि आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीण आवास के लिए संतोषजनक कार्यक्रम नहीं बनाया जा सका। इसलिए ग्रामीण आवास के बारे में खुद पहल करने वालों को मदद देने के सिद्धांत को अपनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) में भी यही नीति जारी रखी गयी और खुद पहल करने वाले ग्रामीणों को मुख्य रूप से तकनीकी सलाह देने के लिए धन की व्यवस्था करके तथा मॉडल मकानों के नमूने दिखाकर सहायता प्रदान की गयी। ग्राम आवास योजना 1957 में प्रारंभ की गयी। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को मकानों के निर्माण तथा उनमें सुधार, खेतिहर श्रमिकों को मकान बनाने के लिए जमीन देकर और चुने हुए गांवों में गलियों के निर्माण व गंदे पानी की निकासी के लिए नाले बनाने में मदद देना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-60) में भी सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराने की नीति जारी रखी लेकिन आवास को ग्रामीण विकास की व्यापक योजना के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) में यह बात स्वीकार की गयी कि दूसरी योजना में प्रारंभ ग्राम आवास योजना में अधिक प्रगति नहीं हुई है। 1972 में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत मकान बनाने के लिए जगह और भवन निर्माण में सहायता देने की योजना प्रारंभ की गयी

जिसमें पहली बार ग्रामीण आवास के क्षेत्र में सरकार को और अधिक सक्रिय भूमिका सौंपने की बात सोची गयी। लेकिन सरकार की भूमिका भूखंड के विकास और भवन–निर्माण के लिए छुटपुट सब्सिडी उपलब्ध कराने तक सीमित रही। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में (1974–1979) इस कार्यक्रम पर कुछ अधिक सक्रियता से अमल किया गया और इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया। छठी योजना (1980–85) में देश में पूरी तरह बेघर लोगों की संख्या कम करने तथा अन्य लोगों को उनके आवास के पर्यावरण में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया। सातवीं योजना (1985–90) में आवास नीति में राज्यों के संदर्भ में बड़ा बदलाव आया और आवास संबंधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी को लेकर एक नयी शुरुआत हुई। यह सुझाव दिया गया कि आवास निर्माण संबंधी मुख्य दायित्व निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाना चाहिए खास तौर पर घरेलू क्षेत्र को तो निजी क्षेत्र पर छोड़ने का सुझाव आया। सातवीं योजना में ही सरकार ने खुद पहल करने वालों की मदद, आवास वित्त की व्यवस्था और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरायी।

इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की विशिष्ट योजना है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के प्रारंभ में ग्रामीण आवास कार्यक्रम के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत मकानों का निर्माण एक प्रमुख गतिविधि थी। यह कार्यक्रम 1980 में प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी शुरू किया गया। लेकिन राज्यों में ग्रामीण आवास के बारे में कोई एकसमान नीति नहीं थी। कुछ राज्य निर्माण–लागत के एक हिस्से की पूर्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कोष से करते थे। बाकी धनराशि लाभार्थी को अपनी बचत या ऋण से जुटानी पड़ती थी। कुछ राज्य केवल नयी आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए ही मदद देते थे जबकि अन्य मौजूदा मकानों की मरम्मत की इजाजत देते थे। जून 1985 में केंद्रीय वित्तमंत्री ने संसद में एक घोषणा की जिसके अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कोष का एक हिस्सा अनुसूचित जातियों/जनजातियों और मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों के लिए मकान बनाने हेतु निर्धारित कर दिया गया था। इंदिरा आवास योजना इसी घोषणा का परिणाम थी और जवाहर रोजगार योजना के हिस्से के रूप में भी यह जारी रही। बाद में अप्रैल 1989 में इसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का स्थान लिया। 1 जनवरी 1996 से इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना बन गयी।

इंदिरा आवास योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। पहले इसका वित्त पोषण लागत–हिस्सेदारी आधार पर होता था, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 80:20 के अनुपात में होती थी। 1 अप्रैल 1999 से यह अनुपात संशोधित कर 75:25 कर दिया गया है। केंद्र शासित राज्यों के मामले में इस योजना के अंतर्गत समूचे संसाधन केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है। इंदिरा आवास योजना की निधि का संचालन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा जिला स्तर पर किया जाता है। केंद्रीय सहायता जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को हर साल दो किस्तों में उपलब्ध करायी जाती है। पहली किस्त वित्त वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाती है। यह इस शर्त पर जारी की जाती है कि पिछले साल की दूसरी किस्त मांगी गयी है और जारी कर दी गयी है। लेकिन दूसरी किस्त जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों के अनुरोध पर निर्धारित शर्तें पूरी करने तथा उपयोग प्रमाणपत्र, ऑडिट रिपोर्ट और अन्य प्रमाणपत्र भेजने के बाद ही जारी की जाती है। किन्नौर, लाहौल–स्पीति, लेह, करगिल, अंडमान–निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा काम की सीमित अवधि वाले किसी भी पूर्वनिर्धारित क्षेत्र के लिए केंद्रीय सहायता की समूची राशि एक साथ जारी की जाती है। राज्य भी अपना हिस्सा एक ही किस्त में जारी करते हैं। इस समय इंदिरा आवास योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही हैं। योजना के अंतर्गत कम से कम 60 प्रतिशत राशि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के लिए तथा बाकी 40 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. से इतर गरीबी–रेखा से नीचे के बेघर परिवारों को दी जाती है। मंत्रालय इस बात का प्रयास करता है कि अ.जा./अ.ज.जा. के गरीबी रेखा से नीचे के बेघर परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के अंतर्गत लाया जाए। लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा में ही गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों की सूची से किया जाता है। हमारे देश में कई भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसलिए मकान की लागत तय करने के लिए भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता राशि मैदानी इलाकों के मुकाबले अधिक है। इस साल से सहायता की अधिकतम राशि मैदानी इलाकों के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और पहाड़ी तथा दुर्गम इलाकों के लिए 22,000 रुपये से 27,000 रुपये कर दी गयी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत भौतिक लक्ष्यों में कोई बड़ा परिवर्तन किये बिना बजट में निर्धारित राशि को 19,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 1985–86 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत करीब 22,000 करोड़ रुपये खर्च करके 124 लाख मकान बनाये गये हैं।

ग्रामीण आवासों की कमी का आकलन और लाभार्थियों की पहचान

ग्रामीण आवासों की कमी का आकलन, आमतौर पर भारत की जनगणना के महापंजीयक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग गांवों के विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने के लिए हर पांच साल बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की राज्य सरकारों के माध्यम से जनगणना करता है। इस समय 1997 में करायी गयी गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों की गणना का अनुसरण किया जा रहा है ताकि इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

1992 में करायी गयी गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों की गणना में ऐसे गरीब परिवारों की पहचान के लिए आमदनी का मानदंड

अपनाया गया था। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 1997 की गणना में खर्च का पैमाना लागू किया गया है। विभिन्न मंचों पर 1997 की गणना में इस्तेमाल की गयी विधि की जम कर अलोचना हुई है। गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों की 2002 की गणना में ऐसे परिवारों की पहचान के लिए 13 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। मकानों की कमी का पता लगाने तथा लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्रामीण परिवारों की खेती में काम आ रही जमीन और उनके मकान की किस्म का मानदंड अपनाया गया है। इन दो संकेतकों से ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए आवास की कमी का आकलन कर सकेगा और अगर ऐसे परिवारों के पास जमीन नहीं है तो उन्हें भूखंड उपलब्ध कराने की आवश्यकता का अनुमान लगा सकेगा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 2002 की गणना के नतीजे आ जाने के बाद इस बारे में आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे।

इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की नियमित और विस्तृत निगरानी की जाती है। इसके लिए मंत्रालय, राज्य सरकार और जिले के वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र का दौरा करते हैं। हर जिला ग्रामीण विकास अधिकरण की एक निगरानी और सतर्कता समिति होती है जिसमें संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल रहते हैं। इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन की निगरानी जिला स्तर पर एक समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य के स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर की समन्वय समिति योजना की निगरानी करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से प्राप्त मासिक, त्रैमासिक, और वार्षिक रिपोर्टों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर निगरानी करता है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कच्चे मकान हैं जो रहने योग्य नहीं हैं और जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इंदिरा आवास योजना के वर्तमान कार्यक्रम के अंतर्गत नये मकानों के निर्माण की गुंजाइश सीमित है। चूंकि रहने की दृष्टि से अनुपयुक्त कच्चे मकानों में सुधार की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, इसलिए नये मकान बनाने की वर्तमान प्रणाली अनिवार्य रूप से सबसे कुशल नहीं कही जा सकती और सिद्धांत रूप में यह महसूस किया गया कही जा सकती कि वर्तमान मकानों में सुधार के लिए आंशिक रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना लागत की दृष्टि से सबसे किफायती साबित होगा। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इंदिरा आवास योजना में ऐसे उपयुक्त संशोधन किये हैं जिनके दो घटकों पर अमल किया जा सकता है। ये हैं: (क) नये मकानों का निर्माण और (ख) कच्चे मकानों का सुधार। आंवटित धनराशि में से कम से कम 80 प्रतिशत नये निर्माण में खर्च की जाएगी तथा 20 प्रतिशत सुधार करने और ऋण तथा सहायता योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने में खर्च की जाएगी। राज्य सरकारों को इस बात की छूट दी गयी है कि वे आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धनराशि का उपयोग या तो मकानों के सुधार पर या फिर समूची राशि का इस्तेमाल इंदिरा आवास योजना पर कर सकते हैं।

सरकार ने हाल में एक और पहल की है जिसके तहत 32,000 रुपये तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों के लिए ऋण तथा सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के तहत केवल 12,500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है जबकि बाकी राशि ऋण के रूप में दी जाती है। चालू साल से इस योजना को इंदिरा आवास योजना में मिला दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारें वार्षिक आवंटन का 20 प्रतिशत इस घटक पर या सुधार पर खर्च कर सकती हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गांवों में गरीबों के लिए किफायती मकानों के निर्माण हेतु कपार्ट और एन.जी.ओज. के माध्यम से भी धन उपलब्ध कराया है। विभिन्न राज्य सरकारों की ग्रामीण आवास की विशेष योजनाएं हैं जो या तो ऋण आधारित या सहायता आधारित अथवा ऋण व सहायता दोनों पर आधारित हैं। आंध्र प्रदेश को छोड़कर राज्यों की इन योजनाओं में धन की कमी के कारण बड़ी सीमित प्रगति हुई है।

यह बात सुनिश्चित की जानी चाहिए कि लाभार्थी या तो स्वयं मकानों का निर्माण करें या फिर सरकार की मदद से लाभार्थियों के संगठन इन्हें बनवाएं। सरकारी मदद जमीन, धन और किफायती टेक्नोलाजी तक पहुंच के रूप में हो सकती है।

ग्रामीण आवास की वर्तमान योजना तथा रणनीति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह पहलू है– जमीन तक पहुंच। गांवों में रहने वाले गरीबों में से बहुतों के पास या तो मकान हैं ही नहीं, या फिर उनकी पहुंच मकान बनाने की जमीन तक नहीं है। गरीबों के लिए बनायी जाने वाली ग्रामीण आवास योजनाओं में इस मुद्दे पर गौर किया जाना चाहिए ताकि भूमिहीन तथा वेघर लोगों की आवश्यकता पूरी की जा सके।

बुनकरों/टोकरी बनाने वालों के लिए आवास योजनाएं

1974–75 में वस्त्र मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के दस्तकारों और हथकरघा बुनकरों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यस्थल एवं आवास योजना शुरू की है। यह योजना आज भी जारी है, 12 राज्यों में यह लागू है और 35,779 आवासीय इकाइयों की स्वीकृति दी जा चुकी है। लेकिन इस योजना के तहत बनी आवासीय इकाइयों की संख्या के मानदंड के अनुसार जुलाई 2003 तक आवासीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु तमिलनाडु था। इसके बाद आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान थे।

वस्त्र मंत्रालय ने टोकरियां बुनने वालों के लिए भी एक आवासीय योजना प्रारंभ की है। लेकिन केवल त्रिपुरा, तमिलनाडु और मणीपुर में इस पर अमल हो रहा है। योजना के अंतर्गत जुलाई 2003 के अंत तक निर्मित/स्वीकृत मकानों की संख्या केवल 323 है।

बीड़ी मजदूरों के लिए आवास योजना

श्रम मंत्रालय ने बीड़ी उद्योग में लगे आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों के श्रमिकों के लिए भी आवास योजना प्रारंभ की है। राज्य सरकारें इस योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराती हैं। मकान की कुल लागत 25,000 रुपये तय की गयी है जिसमें से विकास शुल्क सहित सहायता राशि 9,000 रुपये होती है। यह योजना आठ राज्यों में लागू है और इसका फायदा उठाने वाले प्रमुख राज्यों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल शामिल हैं।

कुलियों के लिए आवास योजना

श्रम मंत्रालय द्वारा हम्मालों (रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, बाजार जैसे स्थानों में नग आधार पर सामान सिर पर उठाने वाले मजदूरों) के लिए योजना 1991 में शुरू की गयी। इसके तहत लाभार्थियों का पता लगाने का बुनियादी मापदंड यह था कि मजदूरों के इस सबसे नाजुक तबके के पास सार्वजनिक स्थान पर सामान ढोने का लाइसेंस हो, वे नग आधार पर सामान उठाते हों और उनके पास अपना कोई मकान न हो। एक कमरे, रसोई, स्नानागार और शौचालय वाले अधिकतम 200 वर्ग फुट प्लिंथ एरिया वाले ऐसे मकानों के लिए प्रति इकाई सब्सिडी की अधिकतम राशि 20,000 रुपये तय की गयी थी। यह योजना कर्नाटक के चार शहरों और आंध्र प्रदेश के केवल एक शहर में चल रही है।

1995 में श्रम मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों जैसे, रेलवे यार्डों, लोहा और इस्पात बाजारों, कपड़ा और कपास मंडियों, आलू व प्याज की थोक मंडियों तथा किराना मंडियों में काम करने वाले मठडी मजदूरों के लिए आवास योजना प्रारंभ की। इस योजना में मुख्य रूप से उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो गरीब नहीं हैं और इसके अंतर्गत 13 प्रतिशत मकान निम्न आय वर्ग के लिए हैं।

मछुआरों के लिए आवास योजना

मछुआरों के लिए आवास योजना कृषि मंत्रालय ने 1985–86 में शुरू की। शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों के लिए बनायी गयी इस योजना का उद्देश्य मछुआरों में से कम आमदनी वालों के लिए मकानों के निर्माण को बढ़ावा देना था। यह योजना 19 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गयी है और इसके अंतर्गत जुलाई 2003 तक 43,564 आवासीय इकाइयों की मंजूरी दी जा चुकी है। 1976–77 से हडको भी मछुआरों की आवास योजना के लिए धन उपलब्ध करा रहा है और केवल 5 समुद्र तटवर्ती राज्यों ने इसका फायदा उठाया है। हडको की आर्थिक सहायता वाली योजनाओं के तहत जुलाई 2003 तक 42,315 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है।

राज्य सरकारों द्वारा पहल

हालांकि अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आवास योजना यानी इंदिरा आवास योजना पर अमल कर रही हैं, कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गुजरात आदि ने गावों के निर्धनों के लिए स्वयं की ग्रामीण आवास योजनाएं प्रारंभ की हैं। **आंध्र प्रदेश सरकार** गावों के गरीबों के लिए स्थायी ग्रामीण आवास कार्यक्रम और अर्ध–स्थायी ग्रामीण आवास कार्यक्रम चला रही है। स्थायी ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत प्रति इकाई आवास लागत 25,000 रुपये निर्धारित की गयी है जिसमें से 7,000 रुपये सब्सिडी के रूप में और 17,500 रुपये ऋण के रूप में होते हैं। 500 रुपये लाभार्थी को देने होते हैं। अर्ध–स्थायी ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अंतर्गत आवसीय इकाई की लागत 7,500 रुपये निर्धारित की गयी है जिसमें से 7,000 रुपये राज्य सब्सिडी के रूप में और 500 रुपये लाभार्थी के अंशदान के रूप में होते हैं। स्थायी ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अंतर्गत मकान इंदिरा आवास योजना के नमूने पर बनाये जाते हैं जबकि अर्ध स्थायी ग्रामीण आवास योजना में जीर्ण–शीर्ण कच्चे मकानों को सुधारा जाता है। **तमिलनाडु सरकार** 2004–05 से गांवों के गरीब लोगों के लिए ग्रामीण निर्धन आवास नाम की योजना चला रही है। इसके अंतर्गत 10,000 रुपये की लागत से कच्चे मकानों का सुधार किया जाता है। इसमें से 7,000 रुपये ऋण के रूप में और 2,500 रुपये राज्य सब्सिडी के होते हैं। लाभार्थियों को 500 रुपये देने होते हैं। तमिलनाडु सरकार इंदिरा आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों की आर सी सी की छत के निर्माण के लिए प्रति इकाई 9,000 रुपये देती है। **केरल सरकार** राज्य की आवास योजना के तहत अ. जा./अ.ज.जा. के लोगों के लिए मकानों का निर्माण कर रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रति इकाई 70,000 रुपये और अनुसूचित जाति परिवारों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाती है। **गुजरात सरकार** का भी सरदार पटेल आवास योजना नाम का अपना एक आवास कार्यक्रम है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए शुरू की गयी इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार अ. जा./अ.ज.जा. परिवारों को प्रति इकाई 42,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों के लिए भी 17,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देती है ताकि इस योजना के लाभार्थियों को भी सरदार पटेल आवास योजना के बराबर आर्थिक लाभ मिल सके।

कर्नाटक सरकार भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए मकान बनाने हेतु राज्य क्षेत्र में एक कार्यक्रम चला रही है जिसके अंतर्गत आवासी इकाई की लागत 20,000 रुपये हैं। अ. जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों के लिए मकान के निर्माण का पूरा खर्च सहायता के रूप में दिया जाता है जबकि गरीबी रेखा से नीचे के अ. जा./अ.ज.जा. से इतर परिवारों को प्रति इकाई 10,000 रुपये ऋण के रूप में और 10,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिये जाते हैं।

टेक्नोलाजी संबंधी विकल्पों के बारे में दृष्टिकोण

ग्रामीण आवास के तहत टेक्नोलाजी संबंधी विकल्पों की तलाश में निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है:

- विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का भरपूर इस्तेमाल किया जाए।
- जहां तक हो सके भवन निर्माण के परंपरागत तरीकों और टेक्नोलाजी को अद्यतन बनाकर इस्तेमाल में लाया जाए न कि शहरों के अनुसंधान और विकास संबंधी समाधनों को उठाकर गांवों में थोप दिया जाए।
- कार्यकुशलता तथा कार्य प्रणाली में सुधार के लिए किसी भी स्थानीय सामग्री या परंपरागत अथवा प्रचलित तौर–तरीकों में उपयुक्त टेक्नोलाजी का समावेश किया जाए।
- ऐसी संशोधित निर्माण प्रणालियां अपनायी जाएं जिनमें मशीनों का कम से कम उपयोग हो और स्थानीय श्रम एवं कौशल का भरपूर इस्तेमाल किया जाए।
- ऐसे विकल्प अपनाए जाएं जिनमें ऊर्जा की कम से कम खपत हो और जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हों। ❑

(लेखक ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक (ग्राम विकास) हैं)

ग्रामीण भारत और ढांचागत सुविधाएं

हरवीर सिंह

देश से गरीबी समाप्त करने के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जो सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को लगातार आठ फीसदी या उससे अधिक बनाए रखे। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे अहम बात ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा और उसके बाद वैश्वीकरण के साथ जोड़ना होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए सबसे अहम भूमिका ढांचागत सुविधाएं ही निभा सकती हैं और इन सुविधाओं के लिए अभी ग्रामीण भारत इंतजार कर रहा है। सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और विपणन ढांचे जैसी भौतिक सुविधाओं के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सुविधाओं का स्तर भी अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पीछे है और इनका समग्र विकास ही देश की अर्थव्यवस्था के इस अहम हिस्से की गति को तेज कर सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं कई बार इस बात को कह चुके हैं कि देश की आठ फीसदी की विकास दर के लिए कृषि क्षेत्र की विकास दर को तीन से चार फीसदी तक लाना होगा जो पिछले एक दशक में काफी पिछड़ गई है।

इस बात में काफी हद तक सच्चाई है कि जिस ग्रामीण भारत में देश की करीब 70 फीसदी आबादी रहती है वह अभी देश की तेज विकास की गति में उस तरह का हिस्सेदार नहीं बन सकी है जिसकी बेहद जरूरत है। हालांकि सॉफ्टवेयर निर्यात, बीपीओ, और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी के चलते सेवा क्षेत्र और कुछ दूसरे क्षेत्रों के व्यवसाय और रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी का फायदा देश के शहरी वर्ग को बड़े पैमाने पर मिला है और यही वजह है कि उपभोक्ता उत्पादों की खपत पिछले एक दशक में तेजी से बढ़ी है। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इन बदलावों का फायदा अपेक्षाकृत कम ही मिला है। जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास नहीं होगा तब तक न तो भारत का विकसित राष्ट्र का सपना साकार हो सकेगा और न ही गांवों से पलायन के चलते शहरी तंत्र पर पड़ रहे बोझ को कम किया जा सकेगा।

इसलिए ग्रामीण भारत के विकास के पहिये को तेज करना होगा और इस काम के लिए वहां ढांचागत सुविधाओं का विकास करना होगा। यही नहीं ग्रामीण ढांचागत क्षेत्र के विकास के काम को भी सही मायने में गति तभी मिल सकेगी जब वहां इस काम में किये जाने वाले निवेश को मुनाफे का सौदा बनाया जाए और इसके लिए किस तरह की रणनीति अर्थविदों को अपनानी चाहिए यही इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि केवल सार्वजनिक क्षेत्र के भरोसे इस काम को अंजाम दिया जाना संभव नहीं है। वहीं निजी क्षेत्र इस दिशा में तभी

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास

आगे बढ़ेगा जब उसे उसके निवेश पर मुनाफे की गुंजाइश दिखेगी।

वहीं केंद्र की मौजूदा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने चालू साल के बजट में ग्रामीण विकास का जो मंत्र दिया है उसका नाम ही भारत भारत निर्माण रखा है भारत सरकार ने साफ किया है कि ग्रामीण भारत का विकास होने पर ही देश को सही मायने में भारत उदय (इंडिया शाइनिंग) के खांचे में फिट किया जा सकता है। केवल कुछ पाकेट बेहतर हों उससे देश का समग्र विकास नहीं होता है। बजट में इसी भारत निर्माण के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य और आवंटन रखे गये हैं और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार फिर इस प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकास और रोजगारपरक विकास के लिए सरकार कदम उठा रही है। इसीलिए भारत निर्माण को मूर्त रूप देने के लिए संप्रग सरकार नीतियां और कार्यक्रम लागू कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसी नीति का हिस्सा है। इसके जरिये जहां गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकेंगे वहीं सलाना करीब 40,000 करोड़ रुपये के संभावित व्यय वाली इस योजना के जरिये ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा और स्थायी महत्व के काम किये जा सकेंगे।

भारत निर्माण के तहत निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक एक करोड़ हैक्टेयर भूमि की सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था को विकसित किया जाएगा। एक हजार की आबादी वाले हर गांव को सड़कों के माध्यम से जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र के गांव के मामले में आबादी की सीमा को 500 रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों के लिए 60 लाख नये घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 74000 गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। अभी तक बिजली की सुविधा से वंचित 1,25,000

गांवों में बिजली पहुंचाई जाएगी और 2.3 करोड़ कनेक्शन दिये जाएंगे। जबकि उन सभी 66,822 गांवों में टेलीफोन सुविधा मुहैया कराई जाएगी जो अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं। उपरोक्त लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और अगर उन पर वाकई अमल हो जाता है तो भारत निर्माण के सपने को एक सीमा तक पूरा किया जा सकेगा। लेकिन यह काम पूरा करने के लिए जितने बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन चाहिए वह तुरंत उपलब्ध हो सकेंगे इसकी संभावना बहुत अधिक नहीं दिख रही है।

ग्रामीण ढांचागत विकास की दिशा में सरकारों ने पिछले कुछ समय से जो कदम उठाने शुरू किये हैं उनके कुछ परिणाम सामने आये हैं और इनमें एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रहा है। जिसके तहत गांवों को मुख्य मार्गों तक जोड़ा जा रहा है। इस मामले में पेट्रोलियम उत्पादों पर उप कर लगाकर वित्तीय संसाधन जुटाने और उनको राज्यों को हस्तांतरित करने की रणनीति काफी कारगर साबित हो रही है। लेकिन वर्ष 2000 में शुरू की गई इस योजना के लिए निवेश की बड़े पैमाने पर जरूरत है और शुरू में इसका अनुमान करीब 60,000 करोड़ रुपये लगाया गया था और उस समय एक लाख 60 हजार ऐसे गांव थे जहां पर सड़कें बनाने की जरूरत है और इसके कुल निवेश का अनुमान बाद में बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि इस पर काम जारी है और भारत निर्माण के एजेंडे में इसे महत्व दिया गया है लेकिन अभी इस लक्ष्य को हासिल करना एक बड़ा काम है।

ग्रामीण भारत की ढांचागत सुविधाओं में सड़क और सिंचाई सुविधाएं सबसे ऊपर हैं। सड़कों पर कुछ काम हो रहा है लेकिन सिंचाई के मोर्चे पर अभी तक इस तरह की कोई बड़ी योजना दिखाई नहीं पड़ रही है और अभी भी देश की खेती योग्य भूमि का आधे से अधिक हिस्सा सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। इस मामले में किसान अपने स्तर पर कुछ निवेश करता भी है तो उसकी सरकारी ढांचागत सुविधाओं पर निर्भरता काफी है क्योंकि पंपसेट चलाने के लिए बिजली की जरूरत है और इस मोर्चे पर सरकार हर पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से पिछड़ती जा रही है। जो बिजली पैदा होती भी है उसमें पहली प्राथमिकता शहरी आबादी और उद्योग धंधे हैं। वहीं करीब आठ साल पहले बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया गया जो बीच के वर्षों में ठंडा हो गया और अब संप्रग सरकार ने एक बार फिर इस पर जोर देने की बात कही है लेकिन विशाल स्तर पर सिंचाई परियोजनाएं देश में फिलहाल तो कहीं लागू नहीं हो रही हैं और केवल वाटरशेड कार्यक्रम जैसे छोटे प्रयास देश की खेती की सिंचाई को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं।

जहां तक चालू साल की बात है तो उसके तहत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत खर्च होने वाले 4000 करोड़ रुपये की राशि और काम के बदले अनाज योजना के तहत 6000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है और इसका उपयोग बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के तहत आने वाले कार्यों पर खर्च किया जाएगा। जिसका सीधा फायदा एक हद तक ढांचागत सुविधाओं के विकास के रूप में मिल सकता है। इसीतरह चालू साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 4235 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और इसके जरिये 7895 गांवों के लिए 17454 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 485 करोड़ रुपये की राशि से परती भूमि के विकास का कार्यक्रम लागू इस साल में किया जाएगा। जबकि त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 4050 करोड़ रुपये के खर्च से पेयजल सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

यह सभी लक्ष्य चालू साल के बजट में निर्धारित किये गये हैं जिनके हासिल होने या न होने के बारे में एक साल बाद ही पता लगेगा। हालांकि इस सच्चाई को सामने लाने का काम अब कुछ आसान हो गया है क्योंकि परिणाम बजट में लक्ष्य को स्पष्ट कर दिया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक बजट का नहीं है। पिछले 58 सालों में शहरों और गांवों के बीच ढांचागत सुविधाओं के मामले में बढ़ती खाई को पाटने के लिए दीर्घकालिक नीति की जरूरत है।

एक बड़ी ढांचागत सुविधा आज के जमाने में लोगों की जरूरत बनकर उभरी है और वह है संचार सुविधा। हालांकि पिछले एक दशक में देश में टेलीफोन क्रांति हुई है और टेलीफोन घनत्व बढ़कर 9.6 फीसदी तक पहुंच गया है, लेकिन अभी भी देश की ग्रामीण आबादी इस मामले में काफी पीछे है और इसके चलते डिजिटल डिवाइड भी बढ़ रहा है। जिसके कारण सूचना क्रांति का फायदा गांव में बसे लोग नहीं उठा पा रहे हैं।

हालांकि सरकार प्रयासरत जरूर है और यही वजह है कि संप्रग ने सत्ता में आने के बाद जो पहला बजट पेश किया उसमें शिक्षा के लिए एक उपकर लगा दिया और अब इस कर के तहत आने वाली राशि के लिए एक स्थायी कोष भी बना दिया, जो सतत बना रहेगा और उसमें जितना पैसा आयेगा उसका उपयोग नहीं होने की स्थिति में यह पैसा समेकित निधि में नहीं जाएगा और आगे जरूरत पड़ने पर शिक्षा के लिए ही उसका उपयोग हो सकेगा। लेकिन इस पैसे के अलावा जो बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है वह है बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा को गांवों तक पहुंचाना क्योंकि उसी स्थिति में वहां शिक्षित होने वाले बच्चे अपने सामयिक शहरी क्षेत्र के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

इसके साथ ही देश के भीतर ही ढांचागत सुविधाओं के मामले में एक भारी असंतुलन है। यह बात ढांचागत सुविधाओं और सामाजिक वें आर्थिक सूचकांक के उपलब्ध आंकड़ों में साबित होती है। एक ओर जहां बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्य हैं जो सूचकांक में काफी नीचे हैं वहीं पंजाब, हरियाणा, गुजरात और गोवा जैसे राज्य हैं जो बेहतर स्थिति में हैं। यही नहीं इस मामले में खाई अधिक चौड़ी भी होती जा रही है क्योंकि जो राज्य कमजोर हैं वहां पर ढांचागत सुविधाओं में निवेश के लिए जरूरी संसाधनों का अकाल है जबकि वित्तीय रूप से मजबूत राज्य और अधिक निवेश करने की स्थिति में हैं। इसलिए इस खाई को पाटने के लिए नीति–निर्धारकों को अलग किस्म की नीति बनानी होगी और पूरे देश के लिए समान रणनीति कामयाब नहीं हो सकती है।

इस पहलू पर भारत निर्माण का फार्मूला कारगर साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सिंचाई, सड़क, पेयजल, आवास, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन जैसी सुविधाओं को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है और यह लक्ष्य देश भर के लिए है न कि कुछ राज्यों के लिए। इसी तरह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू मे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया जाएगा और उसे अगले चार साल मे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस मामले में पिछड़े जिलों में शुरू में अधिक निवेश किये जाने से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में मदद मिल सकेगी।

लेकिन भारत निर्माण के लिए नारे को अमली जामा पहनाने के लिए ईमानदारी से जो काम करने की जरूरत है वह ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं के लिए देश भर में समान गुणवत्ता मानकों को लागू करने की है। यही नहीं जिस तरह से शहरी स्तर पर विश्वस्तर की सुविधाएं विकसित करने के लक्ष्य तय किये जा रहे हैं उसी तरह ग्रामीण ढांचागत सुविधाएं भी उच्च स्तर की हों यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की सोच फिलहाल नहीं दिख रही है और उसके चलते वही होगा जो गांवों के विद्युतीकरण का हुआ। क्योंकि गांवों के विद्युतीकरण की परिभाषा के मुताबिक किसी गांव के राजस्व क्षेत्र में अगर कहीं भी बिजली का कोई कनेक्शन है तो उस गांव को विद्युतीकृत मान लिया जाता था। जबकि सच्चाई यह है कि देश की करीब 80 फीसदी ग्रामीण आबादी अभी भी अंधेरे में जी रही है और बिजली की रोशनी देखने से वंचित है। हालांकि अब इस परिभाषा को बदलने के साथ ही एक त्वरित विद्युतीकरण कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है और नई परिभाषा में कम से कम 10 फीसदी घरों व सार्वजनिक संस्थाओं में बिजली के कनेक्शन होने की स्थिति में ही गांव को विद्युतीकृत माना जाएगा। इसलिए सभी ढांचागत सुविधाओं के मामले में देश भर में समान मानक लागू किया जाना जरूरी है।

मामला भौतिक ढांचागत सुविधाओं का हो या सामाजिक सुविधाओं का दोनों मोर्चों पर अभी ग्रामीण भारत की स्थिति में भारी बदलाव लाने की जरूरत है और उसके लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश करना होगा। इसके साथ ही कई तरह के प्रशासनिक सुधार भी लागू करने होंगे ताकि लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाई जा सके। जब तक ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं विकसित नहीं होंगी तब तक इसकी विकास की गति को तेज नहीं किया जा सकेगा और इसे अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए यह जरूरी है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के चलते ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकेगी। ❑

(लेखक दैनिक हिन्दुस्तान के विशेष संवाददाता हैं।)

ग्रामीण विकास योजनाओं के लक्ष्य

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की मानी जाए तो इस साल देश में करीब आठ हजार गांवों को जोड़ने वाली 17000 कि.मी. लंबी पक्की सड़कें बन जाएंगी, गांव के 14 लाख से ज्यादा गरीबों को रहने के लिए मकान मिल जाएंगे और लाखों रोजगार सृजित होंगे।

6000 करोड़ रुपये के भारी–भरकम बजट वाले 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के तहत साल भर में 7500 लाख मानव दिवसों के बराबर रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें तीन हजार मानव दिवसों के बराबर रोजगार साल की पहली दो तिमाहियों में सृजित होंगे। इसी तरह 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में 8611 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। इसके भी तिमाही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 1960 करोड़ रुपये के बजट वाली स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 52,876 स्वसहायता समूहों और 8.59 लाख स्वरोजगारियों को मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्यों की उपलब्धि बैंकों के कर्ज के उपयुक्त प्रवाह पर निर्भर होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लक्ष्य भी काफी बड़ा है। चालू वर्ष में इसे 4235 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और इससे 17454 कि.मी. लंबी ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों की काफी कुछ उपलब्धि राज्यों पर निर्भर है। गांवों में रहने वाले निर्धनों के लिए आवास की योजना के तहत केंद्र ने इस साल 2775 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और 14.54 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह लक्ष्य हासिल होना राज्यों के योगदान पर निर्भर है।

पेयजल को लेकर भी इस बार आवंटन काफी बड़ा है। 4050 करोड़ रुपये के प्रारूप वाली इस योजना के तहत पेयजल सुविधा से पूरी वंचित 3522 गांवों और आंशिक सुविधा वाले सभी 8375 गांवों में पेयजल पहुंचाया जाना है।

इसके अलावा पेयजल की स्कीम से छूट गए 34373 गांवों को भी शामिल किया जाना है। स्कीम में 10,000 गांवों में पानी की गुणवत्ता बेहतर की जानी है और 140000 ग्रामीण स्कूलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। 700 करोड़ रुपये के प्रारूप वाले ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की भी है। ❑

ग्रामीण आवास की नयी टेक्नोलाजी

एस.के. नेगी

भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा देश के पांच लाख से अधिक गांवों में रहता है। इन गांवों में भौगोलिक और आर्थिक स्थितियां, लोगों के रहन–सहन के तौर–तरीके तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भिन्न–भिन्न हैं और इनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। देश में एक के बाद एक विभिन्न सरकारों ने इसे एक देश व्यापी समस्या के रूप में माना है और कई कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। 1998 की राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति में "सबको आवास" उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सभी नागरिकों को आवास मुहैया कराने के साथ–साथ इसमें गरीबों और उपेक्षित लोगों को सिर के ऊपर छत उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। लेकिन जब तक ग्रामीण आवासीय इकाइयों को बनाने के काम में वास्तविक तेजी नहीं आती समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। इस लेख में ग्रामीण इलाकों में आवास की समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित कुछ अभिनव टेक्नोलाजी पर प्रकाश डाला गया है। निर्माण कार्य में तेजी लाने और बेहतर किस्म के घटकों तथा निर्माण सामग्री की मात्रा और लागत में कमी लाने के लिए पूर्व–निर्मित आंशिक रूप से पूर्व–निर्मित–मकानों की अवधारणा अपनायी गयी है। इनमें से कुछ सामग्री और तकनीक इस प्रकार हैं।

छत बनाने के लिए इंटों के तैयार पैनल

शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के मकानों खास तौर पर समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सस्ते घर बनाने के लिए इंटों को जोड़ कर बनायी गयी छत और फर्श सबसे उपयुक्त रहते हैं। इसमें आंशिक रूप से पूर्व निर्मित आरसीसी की 13 सें.मी. x 10 से.मी. की कड़ियां होते हैं जो 53 से.मी. x 120 से.मी. आकार के ईंट के पूर्व निर्मित पैनल को सहारा देती हैं। इसके लिए प्रत्येक पैनल में 6 मिमी अर्धव्यास के मृदु इस्पात के (दो) पैनल लगे रहते हैं। ये 35 मिमी मोटी सीमेंट और कंक्रीट की परत से ढके रहते हैं। इस तरह की प्रणाली से शटरिंग के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती।

पैनल की लंबाई कमरे के आकार के अनुसार घटती–बढ़ती है। 6 मिमी अर्धव्यास वाली छड़ें हर पैनल में दोनों ओर भी रहती हैं जो सीमेंट–कंक्रीट की परत से पहले ही लगा दी जाती हैं। ये ऋणात्मक वितरण और तापमान सुदृढ़ीकरण का कार्य करता है। 115 मि.मी. मोटी आर बी छत के स्लैब के मुकाबले इस प्रणाली से 25–30 प्रतिशत की बचत होती है। देश के विभिन्न भागों में यह प्रणाली अपनायी गयी है।

पूर्व निर्मित जैक आर्क पैनल

छत बनाने की यह टेक्नोलाजी पूर्व निर्मित जैक आर्क पैनल और कड़ियां बनाने पर आधारित है। आरसीसी की छतें या परंपरागत आरबीसी छतें सामग्री और श्रम की अधिक आवश्यकता के कारण महंगी पड़ती हैं। इस तरह की छतों में छोटे आकार के सुदृढ़ीकृत जैक आर्क पैनल (15×48 से.मी.) किसी उठी हुई सतह पर ईंट और सीमेंट गारे की मदद से बना लिये जाते हैं और बाद में एक के ऊपर दूसरे को रख दिया जाता है। आंशिक रूप से निर्मित आरसीसी की कड़ियों को डिजायन के अनुसार किसी समतल सतह पर बनाया जाता है। जैक आर्क पैनल आरसीसी की कड़ियों पर रोके रहते हैं और सीमेंट–कंक्रीट (एम–15) से उभारों को भर कर ऊपरी सतह समतल बना दी जाती है। इस प्रणाली में शटरिंग की जरूरत नहीं रह जाती। इससे छत की कुल लागत में परंपरागत आरसीसी छत की तुलना में 35 प्रतिशत की बचत होती है। इसके अलावा उल्टी छत भी देखने में सुंदर लगती है।

पूर्वनिर्मित आर.सी. धुरी और कड़ी प्रणाली

यह एक मंजिला और बहुमंजिला मकानों में फर्श और छत डालने की किफायती और कारगर प्रणाली है जिसमें लागत भी कम आती है। छत/फर्श का निर्माण पूर्वनिर्मित आरसी कड़ियों तथा आरसी बल्लियों से किया जाता है। पूर्वनिर्मित आरसी 30 सें.मी. चौड़ी 3.6 सें.मी. मोटी और करीब 4.2 मीटर लंबी होती है। इसी तरह पूर्व निर्मित आरसी कड़ियां 15 सें.मी. लंबी, 15 सें.मी. मोटी और 4.2 मीटर लंबी होती हैं। इन सबको निर्माण–स्थल के पास किसी जगह बनाया जाता है।

जब दीवारें फर्श/छत के स्तर तक पहुंच जाती है तो इन हिस्सों को जोड़कर उनके बीच में कंक्रीट भर दिया जाता है और इस तरह छत तैयार हो जाती है। इस विधि से कुल लागत में 20 प्रतिशत की किफायत होती है। आर.सी. छत के मुकाबले इस विधि में सीमेंट 25 प्रतिशत और स्टील 10 प्रतिशत कम लगता है।

छत के लिए पूर्व–निर्मित चैनल इकाइयां

आरसी चैनल इकाइयां संरचना की दृष्टि से सक्षम होती है। ये 2.5 मीटर से 4.2 मीटर दूरी को पाट सकती हैं। इनका आकार चौड़ाई में 300 से 600 मीटर और गहराई 130 से 150 मिमी होती है। इस तकनीक में शटरिंग और प्रॉपिंग की जरूरत नहीं रह जाती। चैनल इकाइयां निर्माण स्थल पर सांचे, स्टील की छड़ों और सीमेंट कंक्रीट से बनायी जाती है। सांचे के फ्रेम के अंदर के हिस्से में तेल लगा दिया जाता है और इसे किसी समतल और चिकनी सतह पर रख दिया जाता है। इसके बाद रीइन्फोर्समेंट केज को ठीक से रखा जाता है तथा 12 मि.मी. तथा नीचे की ओर एम–15 कंक्रीट भर दी जाती है। इसे प्लेट वाइ–ब्रेटर की सहायता से हिलाया जाता है।

करीब एक घंटे तक सांचे में रखने के बाद फ्रेम को निकाल लिया जाता है। इन इकाइयों को छत के स्तर पर मेहराव देकर रखा जाता है। निर्माण और संयोजन के बाद विभिन्न इकाइयों के बीच के जोड़ों को कंक्रीट से भर दिया जाता है। फर्श/छत के काम को पूरा करने के लिए सतह पर कंक्रीट की परत बिछा दी जाती है।

एल–पैन छत

इसमें अंग्रेजी के 'एल' आकार का आरसी पैनल बनाया जाता है। ये पैनल समानांतर गैबल वॉल के सहारे टिके रहते हैं और इमारत की ढलान वाली छतों में इस्तेमाल किये जाते हैं। आरसी इकाइयों को लकड़ी/इस्पात के साधारण सांचों से बनाया जा सकता है और उठाने व बैठाने वाले उपकरणों की मदद से आसानी से उचित स्थान पर रखा जा सकता है। एल–पैन छतें वजन में हल्की, बनाने में किफायती और टिकाऊ पर व उपयोग में बेहतरीन होती हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले डिजायन, लंबाई–चौड़ाई और कंक्रीट की मजबूती भिन्न–भिन्न हो सकती है। लेकिन इसे बनाने में आम तौर पर 1:2:4 और 1:1½:3 के अनुपात में मोटी रेत तथा 8–10 मि.मी पत्थर की गिट्टियां उपयोग में लायी जाती हैं।

छत के अलावा एल पैनलों का उपयोग लाफ्ट, खाना पकाने का मंच बनाने, पैरापेट तथा इमारतों के कई भागों में किया जाता है। भारत और विदेशों में इस तकनीकी का इस्तेमाल आम आदमी की आवासीय योजनाओं में व्यापक रूप से हुआ है।

ट्रैपीजो पैनल छतें/फर्श

पूर्व निर्मित विशेष प्रकार के आरसी ट्रैपीजो पैनल में समलंब दिशा में ट्रैपीजियम सैक्शन होता है। इसके घटक बड़े सुदृढ़ होते हैं और उन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इन घटकों को जोड़कर छत/फर्श बनाया जाता है और उनके बीच में कंक्रीट भर दी जाती है जिससे पूरी सतह एक रूप हो जाती है। इन पैनलों का घरों तथा अन्य स्थानों पर कई तरह से उपयोग किया जाता है। ट्रैपीजो पैनल को समूह में बनाया जा सकता है और एक साथ रखा तथा सप्लाई किया जा सकता है। इस खूबी के कारण इनका उपयोग फर्श/छत आदि में किया जाता है।

इन्हें बनाने में लकड़ी या इस्पात के साधारण सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। एक के ऊपर एक करके बनाये जा सकने के कारण सूखने में काम आने वाली गर्मी और नमी इनके अंदर बनी रहती है। ट्रैपीजो पैनल्स का उपयोग ढलान वाली/समतल छत और समतल फर्श बनाने में किया जाता है। आंशिक रूप से निर्मित कड़ियां बल्लियों की तरह सहारा देती हैं। ये बिना कड़ी वाली फोल्डेड प्लेट छत को भी सहारा देती हैं। इस तकनीक का निर्माण मकान की ऊपरी मंजिलों में ऐसी जगह भी किया जा सकता है जहां कोई पक्का आधार नहीं है। अत्यंत प्रतिकूल जलवायु वाला जगहों में भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन उपयोगों के अलावा इन पैनलों का उपयोग इमारतों और ढांचों में छज्जे, परकोटे, खाना बनाने के स्थान, सीढ़ियों के पायदान, पतली दीवार, पात्र, पुल की सतह, शौचालय आदि में विभिन्न प्रकार से होता है।

कंक्रीट ढांचा प्रणाली

यह प्रणाली ऐसे इलाकों के लिए बनायी गयी है जहां ईंटें घटिया किस्म की मिलती हैं और रेत व रोड़ी जैसी सामग्री स्थानीय रूप से उपलब्ध होती है। इसमें आरसीसी की पूर्वनिर्मित पॉकेट फूटिंग, खोखले स्तंभ, शहतीर और मेहराबदार टाइलें होती हैं जिनसे ढांचा तैयार होता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और स्व–सहायता से दीवारों की बाहरी रक्षक परत बनायी जा सकती है।

पिरामिड की आकृति की ईंटों की छत

तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं वाले इलाकों के लिए पिरामिड की आकृति की छतें कम लागत के मकानों के लिए उपयुक्त रहती हैं। इन इलाकों में आरसीसी संरचनाओं की असफलता का कारण यह है कि जंग लगने से लोहे की मजबूती समाप्त हो जाती है। ऐसे में ईंट और सीमेंट कंक्रीट की पिरामिड की आकृति की छत का विकास किया गया।

छत के किनारे आरसीसी की रिंग बीम का उपयोग किया जाता है। यह बीम आठ ईंटों वाले स्तंभ या दीवार के सहारे डाली जाती है और उपयुक्त शटरिंग वाली पिरामिड छत का हिस्सा होती है। ये छतें अलग–अलग आकार और आकृतियों की हो सकती हैं।

अग्निरोधी छप्पर और छत

देश के अधिकांश भागों में छप्पर वाली छत बड़ी आम हैं, छप्पर डालने की प्रक्रिया के दौरान छतों को अग्निरोधी और मजबूत बनाया जा सकता है। परंपरागत छप्पर ढीली बंधी होती है और बड़ी जल्दी

खराब हो जाती है। इसमें आग लगने का भी बड़ा खतरा होता है। सुधरी हुई विधि में छप्पर बनाने में काम आने वाली सामग्री को बांस की खपच्चियों से बनी दो चटाइयों के बीच दबा कर रखा जाता है कि जिनके बीच 20 से.मी. की दूरी होती है। एकरूपता के लिए छप्पर वाली घास को वांछित आकार में काट लिया जाता है और इस तरह घास के छोटे टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है। चटाइयों की लंबाई कमरे के आकर से कुछ अधिक होती है ताकि छप्पर का कुछ हिस्सा बाहर को निकल रहे। लेकिन इसकी चौड़ाई छप्पर में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की लंबाई के अनुसार होती है।

छप्पर वाली घास की 100 मिमी मोटी परत सरकंडे की चटाइयों के बीच रखी जाती है और इसे मूंज की डोरियों से बांध दिया जाता है। छप्पर डालने वाला कारीगर बांधते समय मूंज को खींचने के साथ–साथ जोड़ों वाली जगह पर झटके देता है और शरीर का बोझ भी डालता है। इससे जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं और छप्पर की मोटाई 50 मिमी. रह जाती है। इस तरह वांछित आकार के छप्पर बनाए जा सकते हैं। इन्हें प्रीफैब्रिकेटेड (यानी पूर्वनिर्मित) हस्त निर्मित छप्पर कहा जाता है। निचली परत भूसा मिलाकर तैयार किये गये परंपरागत मिट्टी के गारे से बनायी जाती है। ऊपरी परत 12 मिमी. की होती है और क्षरण रोधी मिट्टी के गारे की होती है।

मिट्टी की दीवार और छप्पर वाली छत के लिए क्षरणरोधी मिट्टी का प्लास्टर

मिट्टी की दीवारों पर प्लास्टर की परत बरसात में बह जाती है। इसकी हर साल मरम्त करानी पड़ती है जिसपर बड़ा खर्च आता है। गर्म कोलतार और मिट्टी के तेल के मिश्रण का इस्तेमाल करके इसे क्षरण रोधी बनाया जा सकता है। इस मिश्रण में गेंहू/धान की भूसी वाला मिट्टी का गारा मिलाया जाता है। इस गारे की 12 मिमी की परत मिट्टी की दीवार पर चढ़ा दी जाती है। इस प्लास्टर के सूख जाने पर मिट्टी की दीवार का टिकाऊपन बढ़ जाता है और रख–रखाव की लागत भी कम हो जाती है। इससे दिवारों का क्षरण रुकता है और वे अग्नि–रोधी हो जाती हैं।

मिट्टी का क्षरणरोधी प्लास्टर छप्पर के ऊपर भी लगा दिया जाता है। इससे छत आग और भारी वर्षा से सुरक्षित हो जाती है। जहां परंपरागत छप्पर की छत का जीवन–काल एक साल ही होता है, वहीं इस तरह छत 5 साल चलती है। अग्निरोधी छप्पर की कीमत परंपरागत छप्पर से करीब 50 प्रतिशत अधिक बैठती है।

चौखट रहित दरवाजे और खिड़कियों के पल्ले

दरवाजे और खिड़कियों की चौखट में बहुत अधिक लकड़ी की आवश्यकता होती है जो दुर्लभ और महंगी होती है। बिना चौखट वाले दरवाजों और खिड़कियों से इमारती लकड़ी की बचत होती है और मकान की कुल लागत में भी कमी आती है। लकड़ी की चौखट की जगह धुरी वाले और चिमटीदार कब्जों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें सीधे दीवार/फर्श और दरवाजे के लिंटेल से जोड़ दिया जाता है ताकि ये शटर को सहारा दे सकें। ऐसे दरवाजे शहारों और गांवों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए बनाये गये मकानों के लिए उपयुक्त हैं।

मिट्टी और चिमनियों की राख की ईटें

मिट्टी और भट्टियों की राख की ईटें हाथ से या एक्सट्रूजन विधि से बनायी जाती हैं। इनमें राख (60 प्रतिशत) और मामूली प्रत्यास्थता वाली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। कच्ची ईटों को सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में या किसी शैड में 3 प्रतिशत से कम नमी वाले संतुलन स्तर तक सुखा लिया जाता है। इसके बाद इन्हें परंपरागत ईंट भट्टे में $1000^{0}\pm30^{0}$ सेल्सियस तापमान पर पकाया जाता है। इन ईंटों से जमीन की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की क्षति कम हो सकती है तथा परंपरागत ईंटों को बनाने में होने वाली कोयले की खपत भी घट जाती है।

राख और चूने की ईटें

राख और चूने को नमी की मौजूदगी में मिलाने से इस तरह की ईटें बनायी जा सकती हैं। राख सामान्य तापमान में चूने के साथ मिलकर एक ऐसा यौगिक बनाती है जिसमें सीमेंट जैसी खूबियां होती हैं। चूने और राख की अभिक्रिया से कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स बनते हैं जिससे नवनिर्मित यौगिक में मजबूती आती है। इसलिए चूने और राख को मिलाकर बनायी गयी ईटें रासायनिक रूप से बनी ईटें हैं।

ये ईटें हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से बनायी जाती हैं और ऑटोक्लेव में सुखायी जाती है। भट्टे में पकायी गयी मिट्टी की ईटों की तरह ये ईटें भी चिनाई के लिए अच्छी होती हैं। इतना ही नहीं, मिट्टी की ईटों की तुलना में, इनके कुछ फायदे भी हैं। ये पर्याप्त दबाव झेल सकती हैं, इनका आकार एकसमान होता है, इनकी सतह चिकनी होती है और इनमें प्लास्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ईटें भार में हल्की होती है और रंग में सीमेंट जैसे रंग की होती है।

ठोस कंक्रीट और पत्थर के ब्लॉक

गांवों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के मकानों में भवन निर्माण लागत का बड़ा हिस्सा चिनाई के कार्य में खर्च होता है। दीवारों के लिए पत्थर और कंक्रीट के ठोस ब्लॉक वाली नयी तकनीक विकसित की गयी है। ईटों के ब्लाकों के शीघ्रता से निर्माण के लिए अर्ध–यांत्रिक गैंग मोल्ड का विकास किया गया है। जिन इलाकों में पत्थर और रोड़ियां सस्ते में उपलब्ध हैं उनके लिए यह तकनीक बड़ी उपयुक्त है। समानान्तर खाचों सें पत्थर, कंक्रीट के ब्लॉक्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव है।

हाथ से ऐसे ब्लॉक बनाने की विधि में एक ब्लॉक वाले सांचे का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट को प्लेट वाईब्रेटर के जरिए सांचे में डाला जाता है। कम लागत पर बड़ी संख्या में कंक्रीट ब्लाक बनाने के लिए सचल पावर स्क्रू स्वचालित मशीन इस्तेमाल में लायी जाती है जिसमें निश्चित मात्रा में मिश्रण सांचे में गिरता जाता है। इस विधि से 30x20x5 सेंमी आकार के छह ब्लॉक एक बार में बनते हैं और प्रतिघंटा 120–150 ईटें बनायी जा सकती हैं।

कम लागत वाले शौचालय

कम लागत के शौचालयों का डिजायन और निर्माण ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां जल–मल निस्तारण प्रणाली नहीं है। यह उन इलाकों के लिए उपयुक्त है जहां सीवेज प्रणाली या सेप्टिक टैंक लगाना वित्तीय अड़चनों के कारण या पानी की कमी के कारणए संभव नहीं है। इस प्रणाली में शौचालय के दो गड्ढे, पीआरएआई किस्म की डब्ल्यू सी.सीट और पानी की सील ट्रैप होती है। 1.2 घनमीटर आकार के गड्ढ़े पीआरएआई किस्म की सीट के साथ मिट्टी/सीमेंट, कंक्रीट/प्लास्टिक पाइप या ईट की नालियों से जुड़े रहते हैं।

गंदे पानी के निपटान की प्रणाली

यह प्रणाली आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों के लोगों के घरों में रसोई और स्नानगृह के गंदे पानी के निपटान के लिए उपयुक्त है। यह गंदे पानी के निस्तारण की सरल, कारगर और किफायती प्रणाली है। इसे फैरो सीमेंट से पहले से बनाया जा सकता है। इस तरह की इकाई चौकोर या वृताकार हो सकती है। इस प्रणाली में घर के आंगन में गंदे पानी के भूमिगत निस्तारण के लिए ट्रैप चैम्बर और बोर होल बनाया जाता है।

एश ट्रैप चैम्बर में दो कक्ष होते हैं जिनमें एक–एक त्रिकोण नाली जुड़ी होती है। नालियां ऊपर से आपस में जुड़ी होती हैं और इनमें नीचे की ओर पानी की निकासी तथा प्रवेश की व्यवस्था होती है। दूसरे कक्ष को ईंट की गिट्टियों से भर दिया जाता है और 3 मीटर गहरे व 30 सेंमी. अर्धव्यास वाले ईट की गिट्टियों से भरे बोर होल से जोड़ दिया जाता है। इस इकाई को पूर्वानिर्मित आर.सी.सी. के ढक्कन से ढ़क दिया जाता है।

निष्कर्ष

इमारतों में विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए, खास तौर ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में कम लागत के आवास कार्यक्रमों के लिए कई नयी सामग्रियों तथा निर्माण–तकनीकों का विकास किया गया है। ये सामाग्रियां तथा तकनीकें कारगर किफायती और आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली हैं। इन्हें अपनाने से आवासीय परिवेश में सुधार होता है। इन तकनीकों को स्थानीय मजदूरों की मदद से स्थापित किया जा सकता है और इस तरह गांवों के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। ❑

(लेखक केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, रुड़की में वैज्ञानिक हैं।)

विकास केंद्र योजना

देश में पिछड़े जिलों के औद्योगिकीरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जून, 1988 में विकास केंद्र योजना की घोषणा की थी जो 1991 से चालू हुई। इस योजना के तहत देश भर में 71 विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव था जिन्हें बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी आधारभूत सुविधाएं दी जानी थीं, ताकि वे निवेशों को आकर्षित कर सकें। ये विकास केंद्र राज्यों के क्षेत्रफल, जनसंख्या और औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा के मिले–जुले मानदंडों के आधार पर आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम स्थित प्रत्येक विकास केंद्र के लिए केंद्रीय सहायता की राशि बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दी गई है। 71 विकास केंद्रों में से 64 विकास केंद्रों ने परियोजना के लिए भूमि अधिगृहित कर ली है। 47 विकास केंद्र चालू हो गए हैं, जिनमें भूखंडों का आवंटन शुरू हो गया है। योजना के तहत 26 विकास केंद्रों को पूरी केंद्रीय सहायता जारी कर दी गई है। 32 विकास केंद्रों में औद्योगिक कार्यकलाप आरंभ हो चुके हैं। 1074 इकाइयां स्थापित कर ली गई हैं। इनमें उद्यमियों द्वारा 1060.788 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है और विभिन्न विकास केंद्रों में 36887 लोगों को रोजगार मिला है। राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों ने कुल 816.5176 करोड़ रुपये जारी किए हैं और केंद्र द्वारा कुल 522.56 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। विकास केंद्र परियोजना पर किया गया कुल व्यय 1235. 0251 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के लिए संस्थागत निगरानी प्रणाली लागू की गई हैं। इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है ताकि त्रैमासिक आधार पर प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा कर उसे जारी की गई केंद्रीय सहायता के उपयोग प्रमाण–पत्र के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सके। ❑

ग्रामीण आवास योजनाएं : प्रगति की नई शुरुआत

देव प्रकाश

आवास मनुष्य के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। उचित आवास उसे न केवल सुरक्षा प्रदान करता है वरन उसे समाज में प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से जीने का आधार व आर्थिक सुदृढ़ता भी देता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था: "एक घर केवल वर्षा, ठंड या धूप से बचने की जगह मात्र नहीं है, यह मनुष्य के व्यक्तिव का प्रसार है या होना चाहिए और अगर हम मानव कल्याण को अपना उद्देश्य मानते हैं तो यह आवासों से संबद्ध है।"

भारत जैसे विशाल देश में जहां 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है और जहां अब भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे है, उचित आवास का उपलब्ध होना एक जटिल समस्या है। आजादी मिलने के बाद ही देश की सरकार ने इस समस्या से जूझने के लिए प्रयास शुरू कर दिये थे। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में भी ग्रामीण विकास के मुद्दे को उठाया गया है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को आवासीय इकाईयों के निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1985–86 से इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) कार्यान्वित कर रही है। 1993–94 से योजना में गरीबी रेखा से नीचे की गैर–अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ग्रामीण गरीबों को भी शामिल किया गया है बशर्ते कि गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला लाभ इंदिरा आवास योजना के आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। इस योजना का लाभ युद्ध में मारे गये सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को भी प्रदान किया गया है। इनमें से 3 प्रतिशत आवास गरीबी रेखा से नीचे के शारीरिक तथा मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इंदिरा आवास योजना 1 जनवरी, 1996 से स्वतंत्र योजना है। इस योजना को और गति देने के लिए अगस्त 1997 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्तीय योजना शुरू की गई, जिसके परिणाम अच्छे रहे। इस योजना के अंतर्गत 10.26 लाख घरों के निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई।

दिनांक 1.4.2004 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आवास निर्माण संबंधी सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों में प्रति यूनिट 25,000/– रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 27,500/– रुपये और कच्चे मकान को पक्के मकान (उन्नयन) में बदलने के लिए 12,500/– रुपये है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधियों का अनुपात 75:25 है। संघ राज्य क्षेत्रों को

100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण आवास विकास से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं इस प्रकार हैं:–

ग्रामीण विकास के लिए क्रेडिट–कम–सब्सिडी स्कीम : यह योजना दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई थी। इस योजना में 32,000/– रुपये की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को लिया गया है जबकि प्रत्येक परिवार को 10,000/– रुपये तक की ही राजसहायता दी जाती है। निर्माण की अधिकतम सीमा अर्थात् योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 40,000/– रुपये तक का ऋण दिया जाना ही स्वीकृत है। केन्द्र और राज्यों के बीच राजसहायता का अनुपात 75:25 है। संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है। दिनांक 1 अप्रैल, 2004 से इस योजना का विलय इंदिरा आवास योजना के साथ कर दिया गया है।

ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के लिए नई योजना : यह योजना वर्ष 1999–2000 से परियोजना आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। ग्रामीण आवास के क्षेत्र से जुड़े मान्यताप्राप्त शैक्षणिक/तकनीकी संस्थान, निगमित निकाय, स्वायत्त संस्थाएं, राज्य सरकारें, विकास संस्थान और विश्वसनीय गैर सरकारी संगठन इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी एजेंसियों के लिए अधिकतम अनुमेय सहायता 50 लाख रुपये है।

ग्रामीण भवन निर्माण केंद्र (ग्रा.भ.नि.के.) : ग्रामीण भवन निर्माण केंद्र योजना 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण राजमिस्त्रियों और प्लंबरों आदि के प्रशिक्षण द्वारा कम लागत और पर्यावरण अनुकूल सामग्री के उत्पादन के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण, सूचना प्रसारण, कौशल वृद्धि प्राप्त करना है। ग्रामीण भवन निर्माण केंद्र की स्थापना के लिए तीन किश्तों में कुल 1.5 लाख रुपये का

केंद्रीय अनुदान दिया गया है। इस योजना को आवास तथा शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) की सहायता से कार्यान्वित तथा मानीटर किया जा रहा है।

वर्तमान में लगभग 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से करीब ढ़ाई करोड़ परिवारों के पास अपने आवास उपलब्ध नहीं है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अपने राष्ट्रीय एजेंडा में "सभी को आवास" प्राथमिकता का क्षेत्र घोषित किया गया है जिसमें कमजोर वर्गों के लिए आवासीय सुविधा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया गया है।

1991 की जनगणना के अनुसार 137 लाख आवासों की कमी की तुलना में उपलब्ध कराए गए 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 149 लाख आवासों की कमी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों में, औसतन लगभग 14–15 लाख मकान प्रतिवर्ष निर्मित किए जाते हैं जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार प्रतिवर्ष 30 लाख मकानों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख निराश्रित लोग जुड़ जाते हैं। इस तरह प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मकानों के निर्माण की आवश्यकता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 25 लाख मकानों की कमी रह जाती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अर्थात् पिछले दो वर्षों में, इंदिरा आवास योजना की प्रगति निम्नानुसार है:

ग्रामीण आवास के अंतर्गत चलने वाली ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास के लिए अभिनव चरण, समग्र आवास योजना तथा ग्रामीण निर्मित केंद्र नामक छोटी योजनाओं को 1 अप्रैल, 2004 से बंद कर दिया गया है और मुख्य योजना अर्थात् इंदिरा आवास योजना के साथ मिला दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के अतिरिक्त, इंदिरा आवास योजना मकानों के निर्माण अथवा मरम्मत न किए जाने योग्य कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया जा सकता है यदि संबंधित राज्य सरकारें/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां इच्छुक लाभार्थियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी लेती हैं।

इंदिरा आवास योजना दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, इंदिरा आवास योजना निधियों का 3 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग ग्रामीण व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अब तक लगभग 45083 मकान बनाए गए हैं।

महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों में यह प्रावधान है कि बनाए गए आवास लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम आबंटित किए जाएं।

2003–2004 के दौरान 5.22 लाख मकान अलग से महिला सदस्यों के नाम आवंटित किए गए थे जबकि 4.15 लाख मकान पति/पत्नी दोनों के नाम आबंटित किए गए थे। 2004–2005 (31 जनवरी, 2005 तक के दौरान) 4.49 लाख मकान अलग से महिला सदस्यों के नाम आबंटित किए गए थे तथा 2.26 लाख मकान पति/पत्नी दोनों के नाम आबंटित किए गए थे।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदान मांगों (2004–2005) से संबंधित अपने तीसरे प्रतिवेदन में ग्रामीण आवास योजनाओं का विस्तृत विवेचन किया है, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए जो ग्रामीण आवास योजनाओं के विकास में बाधक हो रहे हैं। समिति द्वारा यह पूछा गया कि 1985–86 से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप इत्यादि के कारण ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निर्मित कितने आवास (आंशिक और पूर्ण रूप से) क्षतिग्रस्त हो गये हैं। उत्तर में बताया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त आवासों (आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से) की स्थिति की निगरानी नहीं करता है। समिति ने यह भी नोट किया कि आई ए वाई के अधीन निर्मित आवास लाभार्थियों द्वारा स्वयं निर्मित किए जा रहे हैं जिनके, उपलब्ध स्थानीय सामग्रियों और कम लागत वाली आपदा निरोधी तथा पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के उपयोग की उम्मीद की जाती है। तथापि इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध मौजूदा आवासों की रेट्रोफिटिंग करने का कोई अलग से प्रावधान नहीं है। इसलिए समिति चाहती है कि टिकाऊ आवासों के निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में आई ए वाई आवासों के रेट्रोफिटिंग हेतु दिशानिर्देशों में कुछ प्रावधान किए जाएं।

समिति ने नोट किया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों के लिए मकान की व्यवस्था करने हेतु बार–बार निर्धारित करके इसे प्राप्त नहीं कर पा रही है। उदाहरण के लिए "सभी के लिए मकान हेतु अभियान" में 20 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण का निर्णय लिया गया था जिनमें से ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं जैसे–आई ए वाई, ऋण–सह–राजसहायता योजना, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) योजना, राज्य सरकार योजना और राष्ट्रीय आवास बैंक/वाणिज्यिक बैंक आदि के माध्यम से 13 लाख मकानों का निर्माण किया जाना था। तथापि 1999–2000 के लक्ष्यों के मुकाबले 7 से 8 लाख अतिरिक्त मकानों के निर्माण की जानकारी दी गयी थी लेकिन वास्तविक आंकड़ा केवल 5.43 लाख है। ऋण–सह–राजसहायता योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए अतिरिक्त मकानों के निर्माण का भी प्रस्ताव था जो कि आरंभ ही नहीं हो सका और इसके बारे में विभाग ने यह कारण बताया कि न तो गरीबी रेखा से नीचे का रहने वाले कोई परिवार सामने आया और न ही बैंक इसके लिए वचनबद्ध थे। समिति को यह जानकर खेद हुआ है कि वर्ष 2002–2003 को छोड़कर वर्ष 1999–2000 से 2003–2004 के दौरान आई ए वाई के अंतर्गत निर्धारित कुल मकानों का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ।

समिति ने आगे नोट किया है कि 2001 की जनगणना के अनुमानों के अनुसार, देश में लगभग 149 लाख मकानों की कमी है। उपलब्ध संसाधनों के वर्तमान स्तर के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख

मकानों का निर्माण किया जा सकता है जबकि यह अनुमान है कि आश्रयहीनों के लिए 10 लाख लगभग अतिरिक्त मकानों की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष बढ़ जाती है। मकानों का निर्माण जिस रफ्तार से हो रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए समिति को यह आशंका है कि सरकार ग्रामीण भारत में आश्रयहीनता को समाप्त करने का लक्ष्य कैसे पूरा करेगी। समिति ने इस बात पर भी खेद प्रकट किया कि जहां मकानों की अत्यधिक कमी है, तद्नुसार मांग और पूर्ति के बीच के भारी अंतर को पूरा करने के लिए निधियां नहीं बढ़ाई गई है। अतः समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुचित कदम उठाए और ग्रामीण आवास की अत्यधिक कमी को पूरा करने के लिए योजना आयोग से अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करे।

पिछले तीन वर्षों में 1,80,000 ग्रामीण आवास ही बन पाए हैं इसलिए यह माना जा रहा है कि इस योजना को कुछ और प्रोत्साहन की जरूरत है। इस संदर्भ में वित्त मंत्री ने 2004–2005 के बजट में बताया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक उचित सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों के ग्रामीण आवास ऋण के नियमों को सुधारने व किश्तों को फसल ढलाई चक्र के साथ–साथ रखने के लिए सहमति दी है। ग्रामीण आवास के लिए ऋण उपलब्ध नहीं होने का एक मुख्य कारण जमीन का सही वर्गीकरण न होना है। इस बारे में भी राज्य सरकारों को जमीन से संबंधित नियमों को सुधारने की आवश्यकता है।

इंदिरा आवास योजना दिल्ली तथा चण्डीगढ़ को छोड़कर देशभर में कार्यान्वित की जा रही है। मौजूदा आवास नीति एक पुरातन ढर्रे पर चल रही है जिसे नए ढंग से तराशना जरूरी है। समीक्षा के लिए 20 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जो तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी।

आवास निर्माण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित करने और विदेशी निवेश को बढ़ानेके लिए माना जा रहा है कि मौजूदा नीति को अधिक व्यावहारिक और तर्कसंगत बनाया जाए। ऐसे कानून व दिशा–निर्देश हैं कि जिनकी वजह से विदेशी निवेश को लेकर अड़चने सामने आ रही हैं।

ग्रामीण विकास गांधीजी के जीवन का एक ऐसा ध्येय था जिसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए और सभी लोगों को उन्होंने इस ध्येय की महत्ता के प्रति जागरूक बनाया। गांधी जी का ग्राम विकास का यह मिशन कितना सफल हो पाया है इसका विश्लेषणात्मक विवेचन जरूरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पोरबंदर के किसान और श्रमजीवियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था "हम आजाद हो गए हैं। अंग्रेजों की दासता से हमें मुक्ति मिल गई है। हमारे नौजवान, हंसते–हंसते इस मुल्क की आन, बान और शान को बनाये रखने के लिए शहीद हो गए किंतु उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी को किसी भी हाल में कबूल नहीं किया। हमें आजादी के मायने को गहराई से देखना होगा। आज जो हमारे सामने धरती से अन्न उगाने वाले किसान अन्नदाता और मेहनत मजदूरी से सच्चाई के रास्ते पर चले उन सभी श्रमजीवी भाइयों और बहनों से मेरी यही विनती है कि वे हमें मंजिल तक पहुंचने में सहयोग दें और हम उन्हें खुशहाली देंगे। जब तक इस धरती के एक भी किसान की आंखें नम हैं तो आजादी का कोई मायने नहीं होगा। मुझसे एक बार सरदार बल्लभ भाई पटेल ने कहा था, "बापू तुम्हारा मिशन सफल हो गया तो हम सचमुच आजादी के मकसद को समझेंगे।" किसानों के परिवारों की दवादारू, पठन–पाठन, स्वास्थ्य की देखरेख, उचित आवास की व्यवस्था, समय पर ऋण मुहैया कराया जाना ये सब हमारी आजादी के संदेश हैं। इन्हें कौन पूरा करेगा? किसान? नहीं! इन्हें पूरा करेगी देश की आम जनता, सरकार से जुड़े नेता और सरकार की योजनाओं की सफलता। ये शब्द हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जिन्होंने देश के सर्वहारा के लिए देश के सर्वहारा वर्ग को न्यूनतम सुविधाएं मुहैया कराने का ऐलान किया था।

भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, मुख्य रूप से ग्रामीणों को उचित आवास उपलब्ध कराने में जो कदम उठाए हैं वे निश्चय ही सराहनीय हैं। जरूरत इस बात की भी है कि ग्रामीण आवास योजनाओं का निष्पादन संतोषजनक व सुचारू रूप से हो और हमारा देश प्रगति के रास्ते पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ने में सक्षम हो सके। ❑

(लेखक वरिष्ठ संसदीय पत्रकार हैं।)

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी वर्षों से विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर पर प्रमुख संस्था रही है। शुरुआत से अब तक, प्रत्येक कार्यक्रम के लिए आबंटन के निश्चित एक प्रतिशत को अलग रखते हुए उससे डी.आर.डी.ए. के लिए प्रशासनिक लागत की पूर्ति की जाती थी। तथापि, हाल में, जिला स्तर पर गरीबी उपशमन के प्रयासों का समन्वय करने के लिए एक प्रभावकारी एजेंसी की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए डीआरडीए के सुदृढ़ीकरण के लिए 1 अप्रैल, 1999 से एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, डी.आरडी.ए. स्थापना की स्टाफ लागत की पूर्ति केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के आधार पर की जाती है।

उद्देश्य : जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन की योजना का प्राथमिक उद्देश्य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को व्यावसायिक स्वरूप देना देना है ताकि वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चला सकें तथा अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वय कर सकें। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से आशा की जाती है कि वे लाइन विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, गैर–सरकारी संगठनों के साथ–साथ तकनीक संस्थाओं, के साथ प्रभावकारी ढंग से समन्वय करें, जिससे कि जिले में गरीबी को कम करने के लिए अपेक्षित सहायता और संसाधनों को जुटाया जा सके। ❑

(ग्रामीण विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2004–05)

ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंपरोधी मकानों का डिजाइन

अशोक कुमार

पिछले एक दशक के दौरान बार–बार आए भूकम्पों और उनसे हुई जान–माल की भारी क्षति को देखते हुए इस प्राकृतिक आपदा के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। भवनों को जो व्यापक क्षति पहुंची, उसने भूकम्प की आशंका वाले क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के प्रति वास्तुकारों, इंजीनियरों, बिल्डरों और ठेकेदारों के लापरवाही पूर्ण दृष्टिकोण को उजागर किया है। पांच प्रमुख भूकम्पों, यानी उत्तरकाशी, किल्लारी, जबलपुर, चमोली और भुज, की स्थिति का अध्ययन करने के बाद लेखक ने उद्घाटित किया है कि कम आय वाले लोगों की उन बस्तियों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिनमें स्थानीय रूप में उपलब्ध भवन सामग्री से बिना किसी इंजीनियरी तकनीक के मकान बनाए जाते हैं। इन सभी स्थानों पर आए भूकम्पों के बाद केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, सीबीआरआई, रुड़की ने नुकसान का जायजा लेने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किए और मकानों तथा अन्य भवनों की मरम्मत, उनके सुदृढ़ीकरण और पहले से उन्हें उपयुक्त बनाने के बारे में सुझाव दिए थे। यह महसूस किया गया था कि अगर भवनों में भूकम्प–प्रतिरोधी अपेक्षित आयोजना तथा सुदृढ़ीकरण उपाय किए गए होते तो नुकसान को नियंत्रित रखा जा सकता था।

सीबीआरआई ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए उपयुक्त भूकम्प–प्रतिरोधी उपायों और समुचित निर्माण प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री के साथ मकानों का डिजाइन तैयार किया है। इस निबंध में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप के दौरान ग्रामीण मकानों को पहुंची क्षति पर विचार किया गया है। इसमें भवन–विन्यास के लिए उपयुक्त समझे गए मानदंड और भूकम्प–प्रतिरोधी उपाय सुझाए गए हैं, तथा भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों और उसमें काम आने वाली सामग्री पर विचार किया गया है।

परिचय

भूकम्प प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिनका सामना भारत को समय–समय पर करना पड़ता है। इनसे भवनों, बुनियादी सुविधाओं को भारी क्षति पहुंचती है, और समाज का सामान्य जनजीवन अचानक अस्त–व्यस्त हो जाता है। 1991 से 2001 के बीच भारत में ऐसे पांच भूकम्प आए, जिनकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर छह या उससे अधिक मापी गयी। 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में आए भूकम्प को रिक्टर पैमाने पर छह दशमलव छह मापा गया था, जिससे सैंकड़ों मकानों को क्षति पहुंची थी। 30 सितम्बर 1993 में

किल्लारी के भूकम्प की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर छह दशमलव तीन थी, जिससे हजारों मकान ढह गए थे और 1,80,000 मकानों को क्षति पहुंची थी।22 मई 1997 को जबलपुर में आए भूकम्प की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर छह थी, जिससे 52,690 मकानों को क्षति पहुंची थी, और करीब 8,500 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए थे। चमोली में 29 मार्च 1999 में 6.8 तीव्रता का भूकम्प आया था, जिसने करीब 4,494 मकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, और 25,900 मकानों को आंशिक क्षति पहुंचाई थी। इसी प्रकार 26 जनवरी, 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जबरदस्त भूकम्प आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 एम एल/7.6 एमएस आंकी गयी थी। इस प्रलयकारी आपदा में 20,000 लोगों की जानें गयीं और 10,28,400 मकान नष्ट हो गए। इन भूकम्पों में ज्यादातर (73 प्रतिशत) ऐसे मकान नष्ट हुए, जिनके निर्माण में किसी इंजीनियरी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी प्रकार पिछले 100 वर्षों के दौरान भूकम्पों के कारण भारत को करीब 1,00,000 लोगों को जानें गंवानी पड़ीं, और भूकम्पों के कारण कुछ क्षेत्रों को बार–बार क्षति पहुंची।

आपदा प्रबंधन नीति विकसित करने में आईडीएनडीआर **योकोहामा मैसेज** (1994) सर्वाधिक उपयुक्त है। हाल के वर्षों में मानव और आर्थिक क्षति के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है, और आम समुदाय प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। ''महाविपदा में कमी के लक्ष्य और उद्देश्य हासिल करने में आपदा का सामना करने की बजाय उसकी रोकथाम, उसका दुष्प्रभाव कम करने, और उससे निपटने की पहले से तैयारी

करना बेहतर होता है। आपदा का सामना करना मात्र पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे बहुत अधिक लागत पर केवल अस्थायी नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। आपदा निवारण के उपायों का सुरक्षा में स्थाई सुधार लाने में योगदान है, इसलिए ये उपाय आपदा प्रबंधन का अभिन्न अंग हैं।'' इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने अक्टूबर 2003 में विश्व आपदा निवारण दिवस के अवसर पर कहा था कि ''प्राकृतिक आपदाएं मानव को हमेशा चुनौती देती रहेंगी, लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारे वश में हैं कि अनियंत्रित आपदाओं में संपत्ति जोखिमकारी न बनने पाए और यह भी हमारे वश में है कि हम ऐसी ताकतों का सहारा लें, जिनमें आपदा प्रबंधन की भारी जटिलताओं का समाधान करने की क्षमता है। इससे हम ऐसे समुत्थानशील समुदायों और राष्ट्रों का निर्माण कर सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं और संबद्ध पर्यावरणीय एवं प्रौद्योगिकी संबंधी आपदाओं के दुष्प्रभाव से निपटने में सक्षम हों।''

कोई भवन भूकम्प–प्रूफ नहीं होता, लेकिन भूकम्प प्रतिरोधी हो सकता है। किसी भवन का व्यवहार मृदा के प्रकार, ढांचे के स्वरूप, मंजिलों की संख्या, भूकम्प की तीव्रता, भूकम्पीय प्रतिरोधी विशेषताओं आदि के प्रावधानों पर निर्भर करता है। इस निबंध में आपदा रोकथाम नीति और भूकम्पीय उपायों तथा भवन निर्माण प्रौद्योगिकी के हिस्से के रूप में गुजरात के भूकंप की आशंका वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मकानों की आयोजना और डिजाइन का पैकेज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।

भुज का भूकम्प

अंजार समुदाय विकास खंड के अंतर्गत रापर की ग्रामीण बस्तियों; भचाऊ समुदाय के अंतर्गत अधोई, वोंध और नव कटारिया; भुज समुदाय विकास खंड के अंतर्गत कैनाइबी और माधपार सहित विभिन्न स्थानों की यात्रा की गयी और फील्ड अध्ययन किए गए। इन स्थानों पर भवनों में इस्तेमाल की गयी प्रमुख सामग्री में 60 प्रतिशत बेतरतीब या अनगढ़ पत्थर अथवा प्राकृतिक पत्थरों की चिनाई, 13 प्रतिशत कच्ची ईटों की दीवारें, 15 प्रतिशत पकी हुई ईटों तथा खोखले और सॉलिड सीमेंट के कंकरीट ब्लाक एवं 9 प्रतिशत आर सी सी फ्रेम संरचनाएं शामिल हैं।

क्षति के बारे में प्रमुख निष्कर्ष

- अंजार, भचाऊ, अधोई और वोंध बस्तियां पूरी तरह नष्ट हो गयीं।
- बेतरतीब पत्थर की चिनाई वाली इंजीनियरी रहित इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गयी।
- सुसज्जित पत्थर और आर सी सी वर्क वाली समुचित विस्तार युक्त इमारतों में मामूली दरारें आईं।

विफलता पद्धति और विफलता के संभावित कारण

पत्थर की बेतरतीब चिनाई से बने भवनों के गिरने के लिए जिम्मेदार पद्धतियां इस प्रकार थीं : क) सपाट जड़ता बल के अभाव में दीवारों का अत्यधिक बल खाना; ख) पत्थर की दीवारों के दो हिस्सों के बीच अलगाव और ग) छत का ढह जाना।

विफलता के मुख्य कारण इस प्रकार थे, i) पत्थर की दीवारों में मसाला न लगा होना/कम मसाला लगा होना; ii) दीवारों में समस्तर सपाट जोड़ों में निरंतरता का अभाव; iii) सपाट पत्थरों का अभाव; iv) छत और दीवारों के बीच अंतरसंपर्क का अभाव और v) पत्थरों को परिष्कृत करने के लिए समुचित उपाय न किया जाना।

ईंटों की चिनाई वाले भवनों के ढ़ह जाने में विशेष पद्धतियां इस प्रकार थीं : क) चिनाई यूनिटों के जरिए से डाइगोनल विकर्णी या तिरछी दरारें आना; ख) दीवारों का ज्यादा बल खाना; ग) प्लेट बेंड़िग एक्शन की वजह से दीवारों में शीर्षवत दरारें आना; घ) दीवार के जोड़ों का टूट जाना; ङ) छत का गिरना और च) त्रिअंकी दीवार में दरारें आना या उनका ढह जाना। इस तरह भवनों के गिरने के मुख्य कारण इस प्रकार थे : i) भवन का नक्शा व्यवस्थित न होना; ii) दीवारों की लंबाई; iii) दीवारों के कोनों के पास बहुत अधिक खुलापन होना; iv) संरचनागत एकीकरण का अभाव और v) घटिया सामग्री और कारीगरी।

अगर मकान की आयोजना के बुनियादी सिद्धांतो, जैसे हलकापन, निर्माण की निरंतरता, भवन का आकार, भवन का द्रव्यमान, नींव आदि का पालन किया जाता तो भूकंप प्रतिरोधी ढांचा बनाया जा सकता था। यह विश्लेषण किया गया है कि अगर भवनों में अनिवार्य भूकंपीय उपाय किए गए होते तो नुकसान की मात्रा की जा सकती थी।

भवन का विन्यास

भूकंप के दौरान किसी भवन का व्यवहार धरती पर भूकम्पीय ताकतों के स्वरूप के अलावा काफी हद तक स्वयं भवन के समग्र स्वरूप, आकार और ज्यामिति पर निर्भर करता है। साधारणतम भवनों के बचे रहने के सबसे अधिक अवसर रहते हैं। ऐंठन या मरोड़ और तनाव संकेन्द्रण का असर न्यूनतम रखने के लिए भवनों की आयोजना द्रव्यमान और दृढ़ता दोनों ही संदर्भों में साधारण और व्यवस्थित होनी चाहिए। अगर यह संभव न हो तो ढांचागत डिजाइन में भूकम्पीय ताकतों के कारण आने वाले मरोड़ और अन्य प्रभावों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। आवासीय इकाई की लंबाई उसकी चौड़ाई से तीन गुणा कम रखकर भूमि की अलग अलग गतिशीलता से उत्पन्न होने वाली हलचल को न्यूनतम किया जा सकता है। जिन भवनों की योजना एल, टी, ई और वाई आकार की हो, उन्हें सामान्य आयताकार यूनिटों में विभाजित करने को वरीयता दी जानी चाहिए। दीवारों में लगाए जाने वाले खिड़की दरवाजें उनकी पार्श्ववर्ती भार प्रतिरोधी क्षमता को कम करते हैं, इसलिए वे छोटे और मध्य में लगाने को वरीयता दी जानी चाहिए। किसी भी मंजिल में सभी खिड़की दरवाजे समान स्तर पर लगे होने चाहिए, ताकि सतत बैंड प्रदान किया जा सके।

लोगों की सामाजिक–आर्थिक जरूरतों को देखते हुए सीबीआरआई ने 20 वर्ग से 50 वर्ग मीटर तक के प्लिन्थ एरिया वाले भवनों के लिए

ग्रामीण आवास : चुनौतियां और संभावनाएं

पुष्पेश पंत

हमारे देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा (लगभग 70 प्रतिशत) गांवों में रहता है और भले ही शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है यह स्थिति बहुत जल्द बदलने वाली नहीं। इसीलिए ग्रामीण आवास का मुद्दा देश की प्रगति और आर्थिक विकास के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में रोटी कपड़ा और मकान है। जिसके सर पर छत न हो और जिसे उसके घर की दीवारें निरापद न रख सकती हों उससे अधिक अभागा और कौन होगा? भूखे और नंगे की तरह बेघर व्यक्ति भी सबसे अधिक जरूरतमंद समझा जाता है। इसी सिलसिले में यह बात भी याद रखना जरूरी है कि संतोषप्रद आवास का अर्थ सिर्फ सर छुपाने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा नीड़ है जहां एकांत हो, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने लायक साफ–सुथरी जगह और मानवीय गरिमा के साथ पारिवारिक जीवन संभव हो। इस कविताई रोमानियत के सहारे देहात में जिन्दगी बसर करना आज कठिन है– 'आहा ग्राम जीवन भी क्या है, खपरैलों पर बेलें छाईं' आदि। हकीकत यह है कि भारत में आज भी ग्रामीण इलाके में बहुसंख्यक आबादी कच्चे घरौंदे नुमा मकानों में जीवन–यापन करती है।

आवास हमारे संविधान के अनुसार राज्यसरकार का विषय है और उसी का कार्य क्षेत्र। इसका एक परिणाम यह है कि विभिन्न राज्यों ने अपने संसाधनों के अनुसार और अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के दबाव में इस जटिल चुनौती का सामना करने की कोशिश की है लेकिन सभी जगह एक जैसी सफलता देखने को नहीं मिलती। केंद्र की जिम्मेदारी राष्ट्रीय आवास नीति को तय करना जरूर है पर उसके लिये यह काम लगभग असंभव है कि वह पूरे देश में इसे संतोषप्रद ढंग से लागू भी कर सके। एक समग्र राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति की घोषणा 1998 में की गई है पर इसे उद्देश्यों को मुखर करने और नेक संकल्प को दोहराने के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। तब भी केंद्र सरकार की आलोचना करने का लालच हमें छोड़ना चाहिए क्योंकि सरकार की प्राथमिकता समाज के दलित एवं पिछड़े तथा अन्य कमज़ोर तबकों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की रही है। इसी कारण ग्रामीण आवास परियोजनाओं में सर्वत्र एक सी प्रगति संभव नहीं हुई है।

एक और बात अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। हमारे देश का आकार बहुत विशाल है और इस उपमहाद्वीप में माथा चकरा देने वाली विविधता देखने को मिलती है। जिस तरह के आवास हिमालय के पहाड़ी गांवों में बनाये जाते हैं उनकी कोई तुलना रेगिस्तानी या सागर तटवर्ती परिवेश में निर्मित ग्रामीण निवासों से नहीं की जा सकती। देहात में भवन निर्माण स्थानीय रूप से सुलभ संसाधनों पर ही कमोवेश निर्भर रहा है। कारीगरों

का कौशल भी पारंपरिक रूप से प्रयुक्त सामग्री विशेष के साथ ही जुड़ा रहा है। मिसाल के तौर पर पहाड़ी गांवों में हिमाचल तथा उत्तरांचल में पत्थर की चिनाई और पत्थर की स्लेटों से छाये अथवा टीन की छत वाले मकान बनाये जाते रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में बांस का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। तटवर्ती भारत में नारियल के पेड़ से प्राप्त होने वाली सामग्री फर्श, दीवार, छत हर जगह इस्तेमाल की जाती है। मध्यदेश में मिट्टी के मकान बनाये जाते हैं और छत के लिए घास–फूस के छप्पर और खपरैलें देखने को मिलती हैं। रेगिस्तानी इलाके में मिट्टी के बूंगे या छानियां आम है। कुल मिलाकर स्थानीय क्षेत्रीय भवन निर्माण की देशी परम्परा मौसम और प्राकृतिक विपदाओं के अनुसार विकसित होती रही है। रिहायशी मकान बनाने के लिए विशेषज्ञ कारीगरों की जरूरत बहुत कम पड़ती थी और अधिकांश गांव वासी अपने मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए आत्मनिर्भर थे।

यह सब कहने का अर्थ यह नहीं कि यह स्थिति आदर्श थी या इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। देहात में रहने वाली अधिकांश जनता निर्धनता और साधनों के अभाव में ही किफायती पर कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थी। बाढ़ और तूफान से रक्षा करने में यह 'भवन' अक्सर असमर्थ रहते थे। आग का खतरा और सांप–बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं से जान का जोखिम भी हमेशा बना रहता था। अत्याचारी, ताकतवर, शोषक जमीदारों, सूदखोर साहूकारों या डाकू लुटेरों से भी बचाव कठिन था। अधिकांश गांवों में अभी कुछ साल पहले तक जो पक्के मकान देखने को मिलते थे वह बड़े लोगों के या मंदिर, मस्जिद, स्कूल जैसे सार्वजनिक भवन होते थे। इसके अलावा गांव के रिहायशी मकानों में शौचालय, स्नानागार जैसी सुविधायें दुलर्भ होती हैं जिस कारण महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों तथा बीमारों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इन मकानों के जो डिजाइन सदियों पहले बनाये गये थे

उनमें आज 21 वीं सदी का जीवनयापन कठिन है। रसोई से धुएं और गंदे पानी का निकास हो या मकान में बिजली की निरापद फिटिंग नये सोच की जरूरत वर्षों से मुंह बाये खड़ी है।

घर बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है जमीन की जिसका स्वामित्व कभी भी झगड़े की जड़ न बन सके जहां से बेदखल करने की धमकी कोई बड़ा भूपति न दे सके। इसके बाद दरकार होती है पूंजी की यथेष्ठ धनराशि की जिससे पक्का मकान बनाने के लिए जरूरी सामग्री खरीदी जा सके। गांव में रहने वाले बहुत कम लोग इस काम के लिए निजी बचत से पैसा जुटा सकते हैं। इसीलिए बरदाश्त किये जा सकने लायक रियायती दरों पर ऋण की तथा अनुदान की आवश्यकता होती है। आज गांवों में भी सामुदायिक जीवन पहले जैसा सदभाव पूर्ण नहीं रहा और क्रमशः संयुक्त परिवार वाली व्यवस्था का क्षय हो रहा है। यह कहना गलत नहीं कि भवन निर्माण के लिए निशुल्क श्रमदान या सहकार की बात सोचना नादानी ही होगा। अतः निर्माण सामग्री की खरीद की तरह मजदूरों की दिहाड़ी का बजट भी बनाना होता है। इसके अलावा बदलते वक्त के साथ और अपनी जरूरतों को देखते हुए समुचित डिजाइन की जानकारी भी बेहद जरूरी है।

कुछ उदाहरणों से ऊपर कही बातों का महत्व स्पष्ट हो जायेगा। हिमालय के पहाड़ी इलाके में अक्सर भूकंप के झटके महसूस किये जाते हैं। वहां जिस तरह के मकान पहले बनाये जाते थे, सुरक्षित होते थे। ढलवा छत के पत्थर मकानों के हिलने पर सरक कर गिर जाते थे, घर के भीतर रहने वालों को दबाते नहीं थे। दो मंजिला मकान भी काफी नीचे होते थे और भू–चाल से इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता था। जब से नवधनाढ़्य वर्ग ने पत्थर लकड़ी का इस्तेमाल छोड़कर ईंटों की दीवारें और सिमेंट लिंटर की छत वाले तीन मंजिले चार मंजिले शहरी मकान बनाना शुरु किया अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न गांव वाले भी देखा देखी भेड़ चाल में शामिल हो गये। उत्तर काशी के भूकंप के बाद की तबाही ने इस तरह के भवन निर्माण की दुर्भाग्यपूर्ण अनुपयोगिता जगजाहिर कर दी। दूसरी ओर तटवर्ती इलाके में सुनामी के कहर ने लोगों का ध्यान इस ओर दिलाया कि जिस तरह के पारंपरिक मकान बनाये जाते रहे हैं उन्हें नई सामग्री के प्रयोग से अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। गुजरात के भू–चाल के बाद भी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सस्ते पर टिकाऊ भवनों के निर्माण के लिए नई सामग्री और नई शैली चर्चा का विषय बनी थी। इस बात का भी उल्लेख किया जाना चाहिये कि पत्थर, लकड़ी, बांस या फूस जैसी चीजें जो गांव वाले अपने हक–हकूक के रूप में हांसिल करते रहे हैं वह आज कई जगह कानून द्वारा प्रतिबंधित है या किसी और की संपत्ति। वैकल्पिक, कृत्रिम या मानव निर्मित पदार्थ प्रचलित होने लगे हैं।

हडको नामक संस्था (हाउसिंग एंड अरबन डवेलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) इस क्षेत्र में अग्रणी रही है। जरूरतमंद लोगों को आवास के लिए ऋण दिलाने से लेकर नई सामग्री एवं डिजाइनों, भवन निर्माण पद्धतियों, मरम्मत एवं सुधार को प्रोत्साहन देने के अभियान में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले तीन–चार वर्षों में इसने अपने लक्ष्य से लगभग 2 दोगुना अधिक ऋण दिया है और लगभग पौने 9 लाख आवासीय भवनों का निर्माण किया है। इनमें से 80 प्रतिशत का सीधा लाभ आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों को मिल सका है। हडको के क्षेत्रीय केंद्रों ने भवन निर्माण संबंधी सभी जानकारी को देश के सूदूरतर कोणों में पहुंचाने की कोशिश की है।

इस क्षेत्र में सक्रिय अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम भी उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय आवास बैंक का गठन 1988 में किया गया था और इसका काम काज रिजर्व बैंक की निगरानी में होता है। केंद्र सरकार ने समय–समय पर ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जिसके अंर्तगत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने आवास को सुधारने के लिए प्रेरणा तथा सहायता मिलती रही है। इंदिरा आवास योजना इनमें विशेष महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार निरंतर इस बात के लिए प्रयत्नशील रही है कि राष्ट्रीय वित्त बैंक, प्रमुख वित्तीय संस्थान तथा निजी क्षेत्र के उद्यमी ग्रामीण आवास परियोजनाओं में भरपूर योगदान करें। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बारंबार बजट में इस क्षेत्र में निवेश पर करों में छूट दी गई है और स्वयं सरकार ने इस मद के लिए आवंटित राशि में निरंतर बढ़त का प्रयत्न किया है।

केंद्र सरकार को इस बात का गहरा अहसास रहा है कि सिर्फ धनराशि के ऋण या अनुदान के रूप में वितरण से ही यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। ग्रामीण आवास परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को दूर करने और बिचौलियों को मुनाफा न कमाने देने के लिए निरंतर संशोधन एवं सुधार किये गये हैं। कई बार सतही दृष्टि से देखने पर ऐसा लग सकता है कि हर नई सरकार सिर्फ पुरानी योजना को नया नाम देकर यश बटोरना चाहती है जबकि वास्तव में अधिकतर प्रयत्न यह रहा है कि पिछले अनुभव से कुछ सीखकर परिष्कार–सुधार किया जा सके। किसी एक व्यक्ति या संस्था को इन परियोजनाओं के निरीक्षण–परिवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपने की वजाय अधिक से अधिक अधिकारियों तथा संस्थाओं को (बिना लालफीता शाही बढ़ाए) साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता रहा है। नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट) तथा कपार्ट (काउंसिल फॉर अपलिकेशन ऑफ रूरल टेक्नॉलौजी) के माध्यम से गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को सहभागी बनाने की कोशिश लगातार की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था टाइफैक (टेक्नोलॉजी एससमेंट इन्फॉरमेशन एण्ड फॉरकास्टिंग काउंसिल) भी इस क्षेत्र में सक्रिय रही है। सरकार ने न केवल ऊपर से नीचे की ओर आदेश या उपदेश भेजने का प्रयत्न किया है बल्कि नीचे से ऊपर प्रेषित संदेशों से मिलने वाली उपयोगी जानकारी को राष्ट्रीय नीति में शामिल करने की मंसा को अंजाम दिया है। केरल में 1985 में निर्मिति नामक जो ग्रामीण जन अभियान आरंभ हुआ था उसकी ऊर्जा का लाभ लौरी बेकर जैसे जनजीवन से जुड़े वास्तुकारों नगर नियोजकों के अनुभव के साथ–साथ उठाया जा सका है। ग्रामीण आवास की चुनौती का सामना इस विषय से अलग–थलग नहीं किया जा सकता। पक्की सड़कों तथा पेयजल की आपूर्ति और मल पदार्थ की सफाई–निकास की समुचित व्यवस्था के बिना ग्रामीण आवासों में सुधार की बात सोची नहीं जा सकती।

व्यक्तिगत आवास, सार्वजनिक पर्यावास और आधारभूत ढांचे में घनिष्ठ संबंध है और एक का विकास दूसरे की अनदेखी कर नहीं हो सकता। इसीलिए चाहे इंदिरा आवास योजना हो या अटल ग्रामीण गृह योजना अथवा राजीव गांधी के नाम के साथ जुड़ी नई पहल करने वाली परियोजना इन सभी में लाभान्वित व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी, जिम्मेदारी को न्यूनतम सुविधाओं शौचालय नाली धूम रहित चूल्हे के प्रावधानों के साथ अनिवार्यतः जोड़ा गया है। आवासीय परियोजनाओं को ग्रामीण रोजगार योजनाओं के साथ जोड़ने का भी प्रयत्न किया गया है।

निश्चय ही इस सबके बाद यह कहना तर्कसंगत नहीं लगता कि सरकार ने कुछ नहीं किया है या जो कुछ किया है वह बहुत कम है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिला स्तर पर इन सभी परियोजना को इमानदारी से लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही है। इनकी निगरानी करने के अपने कर्तव्य से हम खुद नहीं कतरा सकते। यह बेहद जरूरी है कि समाज के सबसे कमजोर और पिछड़े तबके के लिए आबंटित राशि और प्रावधानों का नाजायज लाभ दूसरा ताकतवर लोग न उठा सके और नहीं दलगत वैमनस्य इन परियोजनाओं को पथभ्रष्ट कर सके।

एक संकट और है। उदारीकरण, आर्थिक सुधारों और भूमंडलीकरण के इस दौर में जनकल्याणकारी सरकार की परिभाषा और भूमिका निश्चय ही पूर्ववत नहीं रह सकती। राज्य सरकारें अब यह नहीं सोचती रह सकतीं कि उनकी फिजूलखर्ची के बाद भी इस क्षेत्र में सरकार रियायती ऋण दान और अनुदान से उनकी जान बार–बार बचाती रहेगी। निजी क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी और विकासोन्मुखी जनहितकारी गतिविधियों के बारे में यर्थाथवादी ढंग से सोचने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भवन निर्माण जरूरी सामग्री के निर्माताओं के लिए बहुत बड़ा बाजार भी प्रस्तुत करेगा। आधारभूत ढांचे में सुधार इस गतिविधि के साथ अनिवार्यतः जुड़ा है। जाहिर है यह सारा क्रिया–कलाप सिर्फ परोपकार नहीं लाभप्रद व्यापार भी है। करों की छूट और फायदा बेईमानी से उठाने वालों के साथ सख्ती बरतने का वक्त भी आ रहा है। ❑

(लेखक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं)

ग्रामीण भारत के लिए नई पहल

मीनाक्षी सिन्हा

कृषि हमारे देश का प्राणतत्व है। हमारी आजादी के बहुत बड़े भाग की आजीविका और आर्थिक खुशहाली कृषिगत संपन्नता पर निर्भर है– और इसी बात का विशेष ध्यान रखा गया है 'कृषि शिखर सम्मेलन – 2005' के अवसर पर प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के व्यक्तव्यों में।

हाल के वर्षों में भारतीय कृषि ने अपनी क्षमता से काफी नीचे प्रदर्शन किया है। यदि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की विकास दर को 7–8 प्रतिशत तक लाना है तो निश्चय ही कृषि विकास की दर को बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि विगत दशक में इसमें कमी आई है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ही सरकार ने 'ग्रामीण भारत के लिए नई पहल' शुरू करने को प्राथमिकता दिया है।

इस नई पहल के लिए हमें निम्नलिखित बातों की आवश्यकता है:–

कृषि निवेश के गिरावट वाले रुख को पलटने की; किसानों के लिए सुविधा बढ़ाने की; सिंचाई और बंजर भूमि विकास जैसे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की; कृषि अनुसंधान और विस्तार के लिए वित्त बढ़ाने की; कृषि उपज के लिए अलग से एक बाजार बनाने की; ग्रामीण स्वास्थ्यचर्या और शिक्षा में निवेश करने की; ग्राम–विद्युतीकरण में निवेश की; ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की, वस्तुओं के वायदा–बाजार की स्थापना की और ऐसे जीविकों के प्रति सुरक्षा देने की जो एक तेजी से वाणिज्यीकृत कृषि–अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं।

'भारत निर्माण' की योजना के अंतर्गत आधार संरचना विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण आवास, ग्राम सड़कों, ग्रामीण क्षेत्र में जल आपूर्ति, ग्राम विद्युतीकरण और ग्राम–संपर्क के समयबद्ध ढंग से निवेश की बात की गई। देश के सभी गांवों में वर्ष 2009 तक विद्युत पहुंचाने का काम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत् शुरू किया गया है। सिंचाई के क्षेत्र में अगले चार वर्षों के भीतर एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि जुटाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हमें निवेश की मात्रा बढ़ानी होगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की जा रही है जिसमें शोध, उत्पादन, फसल पश्चात् प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए योजनाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इससे बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की प्रबल संभावनाएं हैं। सरकार के बेहतर जल–संरक्षण के कारण ही शुष्क भूमि पर भी खेती का कार्य संभव हो पाया है।

फसल–पश्चात प्रबंधन की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विपणन, आधार संरचना को सशक्त करने का कार्यक्रम मंजूर किया गया है। जैसे शीतभंडारों और गोदामों का निर्माण। कृषि अनुसंधान और शिक्षा में भी आमूल सुधार लाया जा रहा है। एक कृषक आयोग का भी गठन किया गया है जिसमें विशेषज्ञों से संपूर्ण कृषि नीति पर मार्गदर्शन ली जाती है। इस नई कृषि योजना के तहत् हमें कृषकों और गैर–सरकारी संगठनों, सहकारी संस्थाओं और निजी कम्पनियों के बीच सीधी बाजार व्यवस्था कायम करने की भी बात पर जोर दिया गया है।

निःसंदेह सरकार के इस सत्प्रयास का हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के भावी स्वरूप पर बहुत ही सार्थक प्रभाव पड़ेगा। ❑

(लेखिका स्वंतत्र पत्रकार है।)

ग्रामीण विद्युतीकरण

देवजित पालित

देश के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों को खाद्य और आजीविका संबंधी सुरक्षा के साथ गरिमामय जीवन व्यतीत करने के रास्ते में जो अनेक बाधाएं हैं उनमें से एक–टिकाऊ और किफायती ऊर्जा स्रोतों की कमी भी है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों में से बिजली निर्विवाद रूप से सबसे प्रभावी ऊर्जा–स्रोत है जो गांवों में आमूल परिवर्तन ला सकती है और गरीबी कम सकती है। हालांकि अधितर विकासशील देशों में बिजली की उपलब्धता कुल ऊर्जा–आपूर्ति के 10–12 प्रतिशत के बराबर है, लेकिन विद्युतीकरण ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्र के आधुनिकीकरण का पर्याय सा बन गया है। इसका कारण यह है कि ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में बिजली ग्रामीण लोगों की विविधतापूर्ण मांग को पूरा करने में अधिक सुविधाजनक तथा सक्षम है। बिजली आधारभूत ढांचे और निवेश, दोनों ही तरह से उपयोगी है। मानव विकास सूचकांक में बिजली की कम खपत करने वालों को बिजली उपलब्ध होने का बड़ा महत्व है जिससे पता चलता है कि थोड़ी–सी आपूर्ति से ही बेहद गरीब लोगों को लाभ मिल सकता है।

भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति

भारत में विद्युत क्षेत्र में आकार, विस्तार तथा टेक्नोलाजी के परिष्कार की दृष्टि से व्यापक सुधार हुआ है और विद्युत उत्पादन क्षमता 1947 में केवल 1360 मेगावाट के मामूली से स्तर से कई गुना बढ़कर आज एक लाख मेगावाट से भी अधिक हो गयी है। लेकिन विद्युत क्षेत्र का एक निराशाजनक पक्ष यह भी है कि भारत की आजादी के 58 वर्ष बीत जाने के बाद भी आबादी वाले 5,86,000 गांवों में से करीब 1,40,000 का विद्युतीकरण होना अब भी बाकी है। आठ राज्यों–आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और नागालैंड शत–प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर चुके है, लेकिन इनके अंतर्गत देश के केवल 18 प्रतिशत गांव ही आते हैं। बिजली से वंचित गांवों में से करीब 25,000 दूर–दराज के हैं जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ऐसे गांवों तक बिजली लाईनें पहुंचाना अगर असंभव नहीं तो आर्थिक दृष्टि से कठिन कार्य है। इतना ही नहीं 2001 की जनगणना के अनुसार देश के कुल 13.82 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 43.5 प्रतिशत को ही बिजली की सुविधा उपलब्ध है। इसके दो कारण हैं–एक तो ये परिवार बिजली कनैक्शन ले पाने की स्थिति में नहीं हैं और दूसरे विद्युत प्रदाय संगठन भी कई जगह बिजली कनेक्शन नहीं दे सकते और विद्युत आपूर्ति नहीं कर सकते। जिन गांवों में बिजली लाइनें पहुंच चुकी हैं वहां भी बिजली आपूर्ति को लेकर

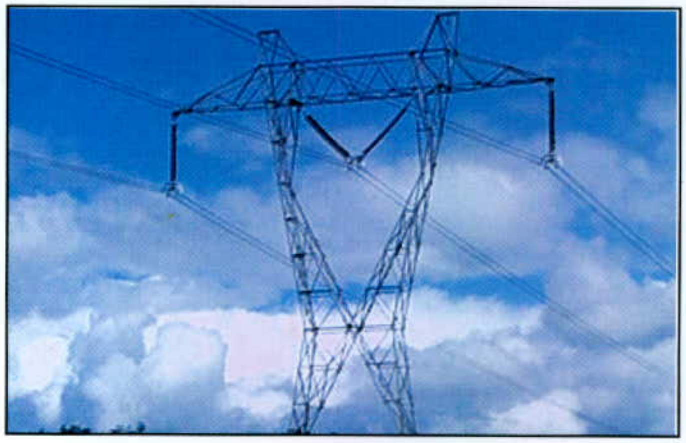

लोगों की शिकायत है कि विद्युत आपूर्ति गांव के एक छोर तक सीमित है। एक अन्यमहत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कम विद्युत क्षमता वाली लाइनों का ही विस्तार कर दिया गया है, जिस कारण विद्युत–आपूर्ति में भारी अनियमितताएं हैं। बिजली की गुणवत्ता में कमी से वोल्टेज में जबरदस्त उतार–चढ़ाव पैदा होते हैं और जब–तब बिजली गुल हो जाती है या इसकी आपूर्ति बहुत कम हो जाती है।

ग्रामीण विद्युतीकरण का संबंध राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ है। यह देखा गया है कि बिजली की सुविधा से वंचित अधिकतर बस्तियां बीमारू राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) या पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं। ये वही राज्य हैं जिनका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम है। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और असम में ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति बड़ी दयनीय है। इन राज्यों में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) भी बहुत कम है।

दूसरी ओर आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति अच्छी है वहां प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी ऊंचा है। अगर समूचे विश्व को ध्यान में रखकर विचार करें तो बिजली–सुविधा से वंचित 80 प्रतिशत से अधिक लोग दक्षिण एशिया और सहारा के निकटवर्ती इलाकों में रहते हैं। (आई.ई.ए. 2002) ये क्षेत्र दुनिया के अल्पविकसित इलाकों में शामिल हैं।

बिजली की उपलब्धता और इसके लाभ

बिजली से वंचित किसी क्षेत्र में बिजली उपलब्ध हो जाने से ग्राम और सामुदायिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की संभावना

बढ़ जाती है। इससे पर्यावरण और संसाधन प्रबंधन, शुद्ध पेय जल आपूर्ति, बेहतर सुसज्जित अस्पताल व स्कूल, सूचना और संचार सुविधाओं की सुलभता तथा आमदनी बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण से गरीबी में कई तरह से कमी आती है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक रूप से आमदनी व रोजगार में वृद्धि, खर्च के उपयुक्त स्तर, बचत अतिशेष तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के रूप में सामने आता है। अप्रत्यक्ष प्रभावों का संबंध जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से है जिसमें अन्य बातों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की स्थिति, आधुनिकरण आदि शामिल हैं। इन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों के तालमेल से आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव विकास में तेजी आती है।

कृषि क्षेत्र को और अधिक या अधिक विश्वनीय तरीके से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना से गरीबों को कई तरह से लाभ मिलता है। इससे खेती वाले कुल इलाके में वृद्धि हो सकती है और ऊर्जा के सस्ते व अधिक कुशल विकल्प उपलब्ध हो जाने से ऊर्जा की लागत कम होती है। इससे भूजल पर निर्भर किसान लाभान्वित होते हैं तथा खेती में रोजगार बढ़ता है। गरीब परिवारों को बिजली से घरों में बेहतर रोशनी मिलने लगती है जिससे वे शाम के समय का बेहतर इस्तेमाल करने लगते हैं। इससे शिक्षा और कुटीर उद्योग, दोनों ही में फायदा होता है। बिजली उपलब्ध हो जाने से बच्चे और व्यस्क शाम को अधिक समय तक पढ़–लिख सकते हैं तथा महिलाएं टोकरी बनाने और सिलाई–कढ़ाई जैसी घरेलू गतिविधियों के जरिए अपना काम निपटा सकती हैं या आमदनी कमा सकती है। पेड़–पौधों से प्राप्त होने वाले इंधन के स्थान पर ऊर्जा के लिए बिजली का उपयोग करने से घरों में वायु–प्रदूषण में कमी आती है और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। बिजली सुलभ हो जाने से जलावन लकड़ी पर निर्भरता भी कम होती है। इससे जंगलों का कटना कम हो जाता है, जिस कारण जमीन के बंजर होने और पानी की कमी की समस्या का समाधान होता है। ऊर्जा की कमी वाले इलाकों में बिजली की उपलब्धता से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बिजली के इस्तेमाल से उत्पादन लागत कम हो जाती है तथा उत्पादन व रोजगार बढ़ जाता हैं दूसरे शब्दों में यह बात स्वाभाविक रूप से कहीं जा सकती है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वनीय ऊर्जा–आपूर्ति या बिजली आपूर्ति में सुधार अपरिहार्य है। इन लक्ष्यों के तहत गरीबी और भुखमरी दूर करने, प्राथमिक शिक्षा सर्व–सुलभ बनाने, महिला सशक्तिकरण, बाल मृत्यु दर घटाने व माताओं के स्वास्थ्य में सुधार, बीमारियों से बचाव तथा पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करने की बात कही गयी है।

विश्व बैंक द्वारा कराये गये अध्ययनों से पता लगता है कि ऊर्जा के आधुनिक साधन सीधे तौर पर गरीबी कम कर सकते हैं। इनसे देश की उत्पादकता बढ़ती है तथा उसके उत्पादों की गुणवत्ता तथा विविधता में भी सुधार होता है। इस तरह गरीब लोगों को अधिक मजदूरी मिलने लगती है (विश्व बैंक 2002)। फिलिपीन्स में ग्रामीण विद्युतीकरण के आर्थिक और सामाजिक फायदों के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित अध्ययन से कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों का पता चला (ईएसएमएपी 2005)। एक सामान्य सर्वेक्षण के अनुसार जिन परिवारों के पास बिजली नहीं थी वे बिजली सुविधा वालों की तुलना में बहुत गरीब तथा कम शिक्षित थे। इस अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि बिजली से होने वाले फायदे कई तरह से प्राप्त होते हैं जिनमें से कुछ में समानता भी है। बिजली की कम लागत और घरों में रोशनी के लिए अधिक समय तक बिजली का इस्तेमाल, रेडियो व टेलीवीजन का अधिक समय तक उपयोग और उन्हें चलाने की लागत में कमी से किसी परिवार का उपभोक्ता–अतिशेष सीधे तौर पर बढ़ सकता है। घरेलू कार्यों के लिए अधिक समय की बचत को भी प्रत्यक्ष लाभ कहा जा सकता है, हालांकि समय की इस किफायत से शिक्षा की अवसर–लागत तथा कुटीर उद्योग संबंधी गतिविधियों में कमी आ जाती है। बिजली सुविधा से वंचित किसी प्पीनी परिवार को बिजली उपलब्ध कराने का कुल फायदा परिवार के कमाने वाले सदस्यों की संख्या और कुटीर उद्योग के आधार पर 81–150 डालर मासिक पड़ता है।

बंगलादेश का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम दुनिया में सबसे सफल कार्यक्रमों में माना जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गठित पल्ली विद्युत समितियों (ग्रामीण सहकारिताओं) ने बेहतर बिजली उपलब्ध कराने और अच्छी आमदनी के साथ–साथ एक लाख से अधिक सिंचाई पंपों को बिजली उपलब्ध करायी है जिससे किसान अब साल में तीन फसलें ले सकते हैं। कार्यक्रम के फायदों के आकलन के लिए एक अध्ययन (एनआरईसीए 2002) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

- बिजली की सुविधा वाले परिवारों की औसत वार्षिक आय बिजली सुविधा से वंचित लोगों की तुलना में 64.5 प्रतिशत अधिक है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण से कृषि और ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का रोजगार बढ़ा है। इतना ही नहीं ग्रामीण विद्युतीकरण का अन्य क्षेत्रों पर भी जबरदस्त असर पड़ा है और विभिन्न सहायक सेवाओं में रोजगार बढ़ा है।
- विद्युतकृत परिवारों में समग्र साक्षरता दर 70.8 प्रतिशत थी जबकि विद्युतीकृत ग्रामों के बिजली से वंचित परिवारों में यह 54.3 प्रतिशत और गैर–विद्युतकृत ग्रामों में 56.5 प्रतिशत थी।
- विद्युतीकरण से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा उनके इधर–उधर आने–जाने, निर्णय लेने, आमदनी और बचत का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता, ऋणों के बेहतर इस्तेमाल, स्त्री–पुरुष समानता के बारे में जागरूकता तथा कानूनी मुद्दों आदि में जबर्दस्त असर दिखाई दे रहा है।
- लोगों ने विद्युतीकृत गांवों में रोजगार के नये अवसरों को देखते हुए ऐसे गांवों में जाकर बसना शुरू कर दिया। इस तरह गैर–विद्युतीकृत गांवों के लोग इन गांवों में आना शुरू हो गये।
- ग्रामीण विद्युतीकरण से जुड़े उद्योगों ने अपने अगले तथा पिछले संपर्कों को बढ़ावा देकर स्थानीय उद्योगों का आधार मजबूर किया।

• विद्युतीकृत ग्रामों में बिजली वाले परिवारों में मानव विकास सूचकांक 0.642 है। इन्हीं गांवों के बिजली से वंचित परिवारों में यह 0.440 है जबकि गैर–विद्युतीकृत गांवों के बिजली से वंचित परिवारों में यह सूचकांक 0.436 है।

श्रीलंका में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के प्रभाव के अध्ययन से भी विद्युतीकरण और गरीबी–उन्मूलन के बीच सीधे संबंध की पुष्टि होती है (गुणरत्ने 2002)। अध्ययन से पता चलता है कि परिवार को बिजली प्राप्त होने के स्थानीय लाभ होते हैं। इससे जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार होता है तथा विद्युतीकरण के कारण हवा की गुणवत्ता भी सुधरती है। बिजली उपलब्ध होने से बच्चे शाम को अधिक देर तक पढ़ाई कर सकते हैं। विद्युतीकरण ने सूचना और मनोरंजन को सुलभ बना दिया है तथा जनता, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा में सुधार किया है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि बिजली के इन फायदों के कारण समाज को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हो सकते हैं जिससे आर्थिक विकास में स्थायित्व आता है।

हालांकि विद्युतीकरण से आर्थिक विकास को वांछित बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही विद्युतीकरण का पूरा फायदा उठाने के लिए पूरक आधारभूत ढांचे, जैसे सड़कों, बाजार, इमारतों, उपकरणों और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ उदाहरणों से तो यहां तक पता चलता है कि बिजली के साथ–साथ आधारभूत ढांचे की सुविधाएं भी उपलब्ध कराने से न केवल अतिरिक्त लाभ मिलता है बल्कि, असली तालमेल से फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। (बार्नेस 2000, सिसिल्स्की 2000 में उद्धरित)

विद्युतीकरण का संभावित प्रभाव

बिजली उपलब्ध कराने से ग्रामीण जीवन में भारी बदलाव आता है। लेकिन ग्रामीण भारत के अधिकतर इलाकों में जहां अन्य बुनियादी सुविधाएं, जैसे सड़कें, पेयजल, स्वच्छता नहीं हैं वहां ग्राम विद्युतीकरण को पिछले दशक के अंत तक प्राथमिकता के आधार पर धन का आबंटन नहीं किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि छः राज्य (असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जिनमें रहने वाले परिवारों की कुल संख्या देश में परिवारों की कुल संख्या का आधा है, उनमें बिजली से वंचित परिवारों की संख्या सबसे अधिक 80–90 प्रतिशत है। ऐसे कई राज्यों में कृषि क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्र है। लेकिन इसमें भी सिंचाई सुविधाओं की कमी और यंत्रीकरण की न्यूनता के कारण खेती की पैदावार बहुत कम है। ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। बिजली से पंपों का विद्युतीकरण करके तथा कृषि संबंधी आधुनिक टेक्नोलाजी व तौर–तरीके अपनाकर पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण से आधारभूत ढांचे के निर्माण और छोटे–मोटे उद्योगों जैसे मसाले पीसना, अनाज की कुटाई–पिसाई, मुर्गी पालन तथा कृषि और बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण का मार्ग प्रशस्त होगा और इस तरह गरीबी दूर करने में काफी मदद मिलेगी। हालांकि ग्रामीण बैंकों के माध्यम से देश भर में बड़ी संख्या में स्व–सहायता समूहों को छोटे ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं, लेकिन जब तक गांवों में बिजली नहीं करायी जाती इसके वांछित परिणाम सामने नहीं आएंगे। इसका कारण यह है कि स्व–सहायता समूह बिजली की उचित व्यवस्था के बिना कोई छोटा–मोटा उद्यम नहीं लगा सकते।

1985–2000 के दौरान चीन की आर्थिक विकास की दर 9 प्रतिशत से अधिक इसलिए रही क्योंकि वहां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को विद्युतीकरण के लक्ष्य से सीधे तौर पर जोड़ दिया गया था। (आईईए 2002) स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में बिजली के उपयोग से ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य व जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और पेयजल योजनाओं के जरिए लोगों में भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। महिलाएं तो बिजली उपलब्ध हो जाने पर कृषि प्रसंस्करण गतिविधियों, जैसे मसाले और अनाज पीसने, धान कूटने और तेल पेराई आदि में समय और मेहनत की भरपूर बचत कर सकती हैं। फसल समेटने के बाद की खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियां ग्रामीण महिलाओं के लिए सबसे कठिन और मेहनत वाली होती हैं। आटा चक्की, छोटी धान मिलों और तेल पेराई मशीनों के विद्युतीकरण से ग्रामीण महिलाओं का घर का काम काफी कम हो सकता है। इसी तरह विद्युतीकरण से ग्रामीण महिलाओं के बहुत से काम आसान हो जाएंगे। उनकी घरेलू आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों जैसे बुनना, डालिया–टोकरियां बनाना आदि में बिजली आने से उत्पादकता बढ़ेगी। विद्युतीकरण से महिलाओं के पास फुर्सत का समय बढ़ जाएगा जिससे स्वास्थ्य के रूप में सामाजिक परिसंपत्ति की वृद्धि होगी।

भारत में स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादन की संभावना

भारत में बिजली की सुविधा से वंचित अधिकतर बस्तियां दूर–दराज के और जंगल से घिरे इलाकों में हैं। जहां तक ग्रिड के जरिए बिजली पहुंचना न केवल बेहद खर्चीला है, बल्कि असंभव भी है। इसके विकल्प के रूप में छोटी विद्युत इकाईयों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बार–बार काम में लाये जा सकने वाले स्थानीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन कर वहीं उसका वितरण करने से बिजली की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इस संदर्भ में यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि स्वतंत्र रूप से बिजली पैदा कर दूर–दराज के गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके जरिए 2012 तक सबके लिए बिजली का राष्ट्रीय लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरण ऊर्जा पर आधारित स्वतंत्र रूप से विद्युत उत्पादन की जो टेक्नोलाजी देश के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं उनमें बायोमास गैसीफायर, मिनी माइक्रो जल विद्युत, सोलर फोटोवोल्टैक और नवीकरणीय हाईब्रिड प्रणाली आधारित टेक्नोलाजी शामिल है।

स्वतंत्र रूप से उत्पादन की परंपरागत प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में नयी नहीं है। पहाड़ी इलाकों के दूर–दराज के गांवों तथा ब्लाकों में बिजली पहुंचाने के लिए कभी–कभी डीजल जनरेटरों का उपयोग किया जाता

है। लेकिन यह प्रणाली टिकाऊ नहीं है क्योंकि बिजली का उपयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से न केवल खर्चीला है, बल्कि इससे प्रदूषण भी फैलता है। इंधन की ढुलाई की ऊंची लागत के कारण दूर–दराज के इलाकों में लगायी गयी इन इकाइयों की उत्पादन लागत बहुत अधिक होती है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ सुदूर क्षेत्रों (जैसे चायांगताजो, बायेंग, ताली, सार्ली आदि) में तो इस तरह से बिजली पैदा करने की लागत ईंधन डिपो से बिजली घर तक की दूरी के अनुसार 8 रुपया प्रति किलोवाट/घंटा से 25 रुपए प्रति किलोवाट/घंटा तक पड़ती है। (पालित 2003) लेकिन इसके विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित स्वतंत्र विद्युत उत्पादन टेक्नोलाजी में बिजली की कीमत कम बैठती है, क्योंकि दूर–दराज के इलाकों की एक खासियत यह है कि इनमें जनसंख्या घनत्व तथा बिजली की मांग बहुत ही कम है। ग्रामीण क्षेत्र में विकेंद्रित विद्युत उत्पादन के बारे में रूबाब और कांडपाल(1999) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार 33 किलोवोल्ट की बिजली लाईन और एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले इलाकों के लिए बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन सबसे उपयुक्त विकल्प है। चक्रवर्ती और अन्य (2002) के अनुमान के अनुसार 33 किलोवोल्ट ग्रिड से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूर–दराज के किसी गांव में बिजली पहुंचाने की लागत जो इस दशक के प्रारंभ में ताप बिजली के लिए 20.27 रुपये, डीजल जेनरेटर के लिए 25.00 रुपए और सोलर फोटो बोल्टेक प्रणाली के लिए 26.10 रुपए बैठती थी, 2010 तक क्रमशः 19.15 रुपए, 25.15 रुपए और 9.67 रुपए तक आ जाने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और उड़ीसा में टेरी द्वारा कराये गये एक अध्ययन से पता चलता है कि गांवों में आमतौर पर विद्युत–भार की औसत आवश्यकता जनसंख्या के अनुसार 10 किलोवाट से 100 किलोवाट तक रहती है। यह आवश्यकता गैसीफायर आधारित विद्युत उत्पादन प्रणाली आसानी से पूरी की जा सकती है (टीईआरआई 2003 बी, टीआरआई 2002), अध्ययन से यह भी पता चलता है कि गांवों में जिस तरह बायोमास आमतौर पर उपलब्ध रहता है। उसका उपयोग करके गैसीफायर प्रणाली से गांवों में करीब 6–8 घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध करायी जा सकती है। इतना ही नहीं, विकेन्द्रित टेक्नोलाजी से पारेषण (ट्रांसमिशन) और वितरण संबंधी क्षति तो कम होती ही है, इसके लिए पारेषण व वितरण नेटवर्क कायम करने व उसके रख–रखाव का खर्च भी बहुत कम हो जाता है। जीवन चक्र लागत विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रिड में विस्तार की जीवन चक्र लागत में ग्रिड विस्तार लागत ही मुख्य होती है और उत्पादन लागत का तो इस पर बहुत कम असर पड़ता है। ग्रिड विस्तार के लिए जीवन चक्र लागत 7.5 किलोवाट से 50 किलोवाट तक के विद्युत भार परिवर्तन के लिए 15.20 रुपये प्रति किलोवाट घंटा से 14.20 रुपए प्रति किलोवाट घंटा तक बैठती है (शर्मा और महापात्र 2003) इसलिए जो गांव किसी भी मौजूदा 11 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट ग्रिड लाइन से अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हैं उनमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित स्वतंत्र विद्युत उत्पादन प्रणाली से बिजली पहुंचाना निश्चित रूप से किफायती है।

निष्कर्ष

हाल में देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में नयी जान आयी है। भारत सरकार ने देश में ग्रामीण विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण के लिए समय–सीमा निर्धारित कर दी है। गांवों में विद्युत संबंधी आधारभूत ढांचे के निर्माण तथा घरेलू विद्युतीकरण का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 33/11 किलोवोल्ट या 66/11 किलोवोल्ट के कम से कम एक सबस्टेशन और प्रत्येक गांव/बस्ती में कम से कम एक वितरण ट्रांसफार्मर लगाकर ग्रामीण विद्युत वितरण ढांचा विकसित किया गया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में ऐसे गांवों में विकेंद्रित विद्युत वितरण और उत्पादन पर भी जोर दिया गया है जो दूर–दराज में स्थित होने और जिनकी आबादी बहुत कम होने के कारण जहां तक ग्रिड का विस्तार करना कठिन है। योजना के तहत अगले पांच वर्षों में बिजली से वंचित 1.25 लाख गांवों का विद्युतीकरण करने और इनमें रहने वाले 7.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य है। इनमें से 2.5 करोड़ परिवारों को तो हाल में शुरू किये गये भारत–निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत बिजली कनेक्शन दे दिये जाएंगे। उम्मीद है कि विद्युतीकरण के इस विशाल कार्यक्रम का असर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा और देश विकसित राष्ट्र बनने के लिए वांछित विकास दर का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। ❑

(लेखक द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) दिसपुर, गुवहाटी में रिसर्च एसोसिएट हैं।)

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पांच सालों में एक लाख गांवों में बिजली पहुंचाई जानी है, यानी हर साल 20 हजार गांव। लेकिन चालू वर्ष अर्थात 2005–06 में सरकार महज 10 हजार गांवों को बिजली पहुंचा पाएगी।

संसद में पेश 2005–06 के आउटकम बजट में इसका खुलासा किया है। इसके मुताबिक वर्ष के दौरान केवल दस हजार गांवों के एक लाख 40 हजार घरों में ही बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए बजट में 1100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी जबकि 10 फीसदी खर्च राज्य सरकारों को वहन करना होगा। योजना पर पांच सालों के दौरान कुल मिलाकर 16 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जानी है। ❑

ग्रामीण आवास : पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

डा. महिपाल

आवास और विकास एक–दूसरे के अनुपूरक और प्रतिपूरक हैं। देश में नियोजिस विकास के युग के प्रारंभ से ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी दूर करने के लिए आवास उपलब्ध कराना सरकार की रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक रहा है। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि नवम्बर 1988 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व की सभी सरकारों से अपनी–अपनी राष्ट्रीय आवास नीतियां बनाने को कहा था। इसी के तहत भारत सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 1994 में राष्ट्रीय आवास नीति को मंजूरी दी। बाद में 1996 में इस्ताम्बूल (तुर्की) में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित पर्यावास–2 सम्मेलन में आवास–विकास के बारे में चिंता प्रकट की गयी। इस्ताम्बूल घोषणा प्रकृति के संदर्भ में मनुष्य के तमाम पहलुओं का ध्यान रखते हुए हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त आवास बनाने की विश्व समुदाय की वचनबद्धता प्रकट करती है। बाद में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में निजी क्षेत्र, समाज और स्वैच्छिक क्षेत्र आदि सहित विभिन्न भागीदारों के साथ सहयोग के लिए राष्ट्रीय आवास नीति की नयी व्याख्या करना आवश्यक समझा गया। यदि और स्पष्ट शब्दों में कहें तो आवास के अर्थ का विस्तार करने पर जोर दिया गया जिसमें अन्य बातों के अलावा मकानों के लिए उपयुक्त स्थान तथा सेवाएं उपलब्ध कराना, ऊर्जा के स्थानीय स्रोतों की उपलब्धता तथा ऐसे स्थानों के पास स्वस्थ वातावरण का निर्माण जैसी बातें भी शामिल हैं। संक्षेप में राष्ट्रीय आवासन और पर्यावास नीति 1998, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सब्सिडी वाली आवास योजनाओं की बजाय लागत भागीदारी पर जोर दिया गया है। इसी तरह इसमें लक्षोन्मुख ग्रामीण आवास रणनीति की जगह मांग–निर्देशित रणनीति; ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण सहकारिताओं को अधिकार संपन्न बनाना; आवास क्षेत्र की कार्यकुशलता, उत्पादकता आदि सुधारने के लिए इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण; आवासन और पर्यावास के क्षेत्र में निर्माण–उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए निजी, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्रों के बीच भागीदारी और सहयोग हासिल करना तथा उन्हें आवास संबंधी नीतियां व कार्यक्रम बनाने तथा लागू करने में सक्षम बनाना; गांवों का इस तरह से विकास करना जिससे पर्यावरण स्वास्थ्यप्रद रहें, ऊर्जा के फिर से काम आने वाले स्रोतों का उपयोग बढ़े तथा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएं रखने के साथ–साथ ठोस कचरे के निपटान का भी ध्यान रखा जाए; सभी नागरिकों को, खास तौर पर उपेक्षित वर्गों को अच्छे किस्म का और किफायती आवास तथा परिवेश मिल सके और किफायती आवास तथा परिवेश मिल सके और सभी आवासीय इकाइयों ये पीने के पानी और स्वच्छता की पक्की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी ज़ोर दिया गया है।

2001 की जनगणना के अस्थायी अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 149 लाख आवासीय इकाइयों की कमी थी जबकि 1991 की जनगणना में यह कमी 137 लाख इकाइयों की थी। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पिछले तीन साल से हर साल औसतन 14–15 लाख मकान बनाये जा रहे हैं जबकि इनकी वार्षिक मांग करीब करीब 30 लाख इकाइयों की है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल आधी आवश्यकता ही पूरी हो पा रही है। इसके अलावा यह भी अनुमान है कि हर साल बेघर लोगों की सूची में 10 लाख परिवार और जुड़ जाते हैं। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 40 लाख आवासीय इकाइयों की वार्षिक मांग में से केवल 15 लाख मकान ही हर साल बनाए जा रहे हैं और 25 लाख मकानों की कमी बनी रहता है।

आवास नीति के इस पहलू और ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या के स्वरूप और विस्तार के संदर्भ में ग्रामीण आवास नीति, खासतौर पर इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन की जांच करने तथा योजना को सही–सही और कारगर तरीके से लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का पता लगाने का प्रयास इस लेख में किया गया है। इसके अलावा इस बात का पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि ये संस्थाएं किस तरह अपने वित्तीय और गैर–वित्तीय संसाधन जुटाकर खुद ही आवास की समस्या का समाधान कर सकती हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है जिसमें कहा गया है कि "ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्बल वर्गों के लोगों के लिए आवास सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा।" इस लेख में इन्ही सब मुद्दों की चर्चा की गयी है।

पंचायतें और ग्रामीण आवास का विकास

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है राष्ट्रीय आवास और पर्यावास नीति में बेघर लोगों को सिर के ऊपर छत मुहैया कराने के काम में

पंचायती राज संस्थाओं तथा महिलाओं को शामिल करने तथा उनकी भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। आइये पहले इस संदर्भ में मौजूदा प्रावधानों पर चर्चा करें। संविधान के 73वें संशोधन में कहा गया है कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने स्तर पर बनायी जाएंगी। इस सूची के अनुसार ग्रामीण आवास विषय पंचायत राज संस्थाओं को सौंप दिया गया है। दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाते समय पंचायतें इस बात का भी ध्यान रखेंगी कि गांव में आवास के साथ–साथ समूचे पर्यावास की स्थिति क्या है। जहां तक महिलाओं द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता का सवाल है यह बात ध्यान देने की है कि तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के हर स्तर पर सदस्यों तथा अध्यक्षों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रावधान के बाद तो देश भर में 10 लाख से ज्यादा महिलाएं इन संस्थाओं की सदस्य और अध्यक्ष बनी हैं।

आइये अब ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना को लागू करने में पंचायतों की भूमिका की चर्चा करें। इंदिरा आवास योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला पंचायतें/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां आबंटित धनराशि और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बनाए/सुधारे जाने वाले मकानों की संख्या तय करेंगी। यह कार्य किसी खास वित्त वर्ष में योजना के अनुसार पंचायत–वार किया जाएगा। इस तरह के मकानों की संख्या के बारे में संबंधित ग्राम पंचायत को सूचना दी जाएगी। इसके बाद ग्राम–सभा, जिसमें ग्राम पंचायत के सभी मतदाता शामिल हैं, गरीबी रेखा से नीचे के तमाम परिवारों में से उपयुक्त लाभार्थी का चयन करेगी। इस तरह इस संख्या को कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य तक सीमित रखा जाएगा। ग्राम–सभा द्वारा चयन अंतिम होगा और इसके बाद किसी उच्चतर संस्था के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और खंड विकास कार्यालयों को चयन किये गये लाभार्थियों की सूची सूचना हेतु भेजनी होगी। लाभार्थियों का चयन करते समय प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार रहेगा:

- मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर
- अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार
    - अत्याचारों के शिकार अ.जा./अ.ज.जा. परिवार
    - विधवा और अविवाहित महिला मुखिया वाले अ.जा./अ.ज.जा. परिवार
    - बाढ़, भूकम्प, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा दंगे जैसी इंसानी आपदाओं से प्रभावित अ.जा./अ.ज.जा. परिवार
    - अन्य अ.जा./अ.ज.जा. परिवार
- ड्यूटी करते शहीद हुए रक्षा सेवाओं/अर्ध सैनिक बल कर्मियों के परिवार/विधवाएं
- गरीबी रेखा से नीचे के अ.जा./अ.ज.जा. से इतर परिवार।
- शारीरिक और मानसिक रूप से बाधाग्रस्त लोग
- भूतपूर्व सैनिक तथा अर्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत लोग
- विकास परियोजनाओं की वजह से विस्थापित लोग; यायावर/अर्ध यायावर लोग; अनधिसूचित जनजातीय लोग; शारीरिक/मानसिक रूप से बाधाग्रस्त सदस्यों वाले परिवार।

लाभार्थियों का चयन इस शर्त के अनुसार किया जाएगा कि ड्यूटी करते हुए शहीद हुए रक्षा सेवाओं/अर्ध सैनिक बलों के कर्मियों की विधवाओं/परिवारों के अलावा उपर्युक्त अन्य सभी श्रेणियों के परिवारों का चयन गरीबी रेखा के नीचे गुजर–बसर करने वालों में से होना चाहिए। योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लाभार्थियों की अपने मकानों के निर्माण में भागीदारी ज़रूरी है।। दूसरे शब्दों में लाभार्थी निर्माण सामग्री की खरीद के लिए अपनी व्यवस्था कर सकते है; कुशल कारीगरों को काम पर लगा सकते है और परिवार के सदस्य निर्माण में हाथ बंटा सकते हैं। लाभार्थियों को मकानों के निर्माण के तौर–तरीकों के निर्धारण की पूरी छूट होगी। आवासीय इकाई का आवंटन लाभार्थी परिवार के महिला सदस्य के नाम होना चाहिए। आवंटन पति और पत्नी के नाम संयुक्त रूप से भी हो सकता है। इंदिरा आवास योजना के मकानों के निर्माण और उनमें सुधार की प्रति इकाई लागत इस प्रकार है:

ब्यौरा	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र
मकान और उसके साथ शौचालय तथा धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण	25,000 रुपये	27,000 रुपये
जो मकान रहने योग्य न हो उसमें सुधार	12,500 रुपये	12,500 रुपये

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन संबंधी जानकारी

ग्रामीण विकास विभाग ने विभिन्न राज्यों में इंदिरा आवास योजना का समवर्ती मूल्यांकन कराने के साथ–साथ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इंदिरा आवास योजना सहित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में प्रभाव–मूल्यांकन अध्ययन कराया है। आइये इन मूल्यांकनों और अध्ययनों के निष्कर्षों की चर्चा करें क्योंकि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका से इनका संबंध है।

समवर्ती मूल्यांकन

इस योजना के कार्यान्वयन के कई रचनात्मक पहलू भी हैं जो इस प्रकार है:

- यह योजना उपेक्षित वर्गों के लोगों में से काफी बड़े हिस्से को आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रही है।
- ग्राम–सभाएं लाभार्थियों में से बहुत–से लोगों के चयन में शामिल रही हैं,
- मकानों पर कब्जा करके रहने वालों की दर बहुत ऊंची है; अधिकतर मकान स्थानीय कौशल और संसाधनों से स्थानीय सामग्री का उपयोग कर बनाए गए हैं।
- कुछेक को छोड़कर अधिकतर मकानों में हैंड पम्प, नल या गांवों के कुंओं आदि आदि के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हैं।
- आम तौर पर सभी लाभार्थी निर्मित भवनों से संतुष्ट हैं। लेकिन

मूल्यांकन से सामने आये अनेक अन्य पहलुओं की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। ये इस प्रकार हैः

- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाभार्थियों का गरीबी रेखा से नीचे होना आवश्यक है। लेकिन मूल्यांकन अध्ययन से पता चला कि 36.99 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जो गरीबी रेखा से ऊपर थे। कई राज्यों में योजना का लाभ उठाने वाले अपात्र परिवारों की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊपर थी। उदाहरण के लिए पंजाब में ऐसे परिवार 79.64 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 77.66 प्रतिशत, राजस्थान में 68.40 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 67.26 प्रतिशत और मिजोरम में 57.00 प्रतिशत थे।
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों का चयन केवल ग्राम सभा द्वारा किया जाना आवश्यक है। लेकिन मूल्यांकन अध्ययन से पता चला कि केवल 78.16 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं ने किया और शेष में से 12.67 प्रतिशत का सरकारी अधिकारियों तथा 5.70 का सांसदों/विधायकों या जन प्रतिनिधियों ने किया।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन उचित प्रकार से नहीं हुआ। अगर हम ग्राम सभा से इतर लोगों द्वारा चुने गये 22 प्रतिशत लाभार्थियों को छोड़ दें तो ग्राम सभाओं द्वारा चयनित बाकी लाभार्थियों को कम–से–कम गरीबी रेखा से नीचे के परिवार का तो होना ही चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं था। स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं, खासतौर पर ग्राम पंचायतों ने अपनी वह भूमिका नहीं निभायी जो उन्हें निभानी चाहिए थी। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सुपात्र परिवारों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्यों के पंचायत अधिनियमों के अनुसार ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जाएं और जब ऐसा होगा तभी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार उपेक्षित वर्गों को आवास उपलब्ध करा सकेगी।

प्रभाव का मूल्यांकन

मंत्रालय ने भी प्रतिष्ठित संस्थाओं की सहायता से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराये। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कराये गये अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैः

- हरियाणा के फरीदाबाद जिले में कराये गये प्रभाव अध्ययन से पता चला कि सरपंच आवेदन पत्र को अग्रसासित करने वाली एजेंसी की तरह काम करता है और उसके द्वारा इंदिरा आवास योजना के मकान उपलब्ध कराने में कोई प्राथमिकता तय नहीं की जाती। लिहाजा सब कुछ विकास खंड अधिकारियों के हाथ में रहता है। जो भी उन्हें संतुष्ट कर देता है वह फायदा उठा लेता है।
- होशियारपुर जिले में इंदिरा आवास योजना के एक अध्ययन से पता चला कि आम तौर पर सहायता तीन किस्तों में दी गयी लेकिन किस्त की राशि अलग–अलग थी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस मामले में सरपंचों ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग किया। घूसखोरी के मामले भी सामने आये।
- हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इंदिरा आवास योजना के अध्ययन से पता चला कि अधिकतर पंचायतों में चयन का काम प्रधान, उप–प्रधान या पंचायत–सचिव द्वारा किया जाता है। यह बात इस निष्कर्ष से भी उजागर हो जाती है कि कुल लाभार्थियों में से 46 प्रतिशत का चयन पंचायतों ने और 51 प्रतिशत का खंड विकास अधिकारियों ने किया। लोगों को योजना की जानकारी नहीं है तथा लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया ग्राम–सभाओं के हाथ में नहीं हैं।
- गोंडा जिले में कराए गए एक अध्ययन से पता चला कि जिन विकास खंडों में आधारभूत–ढांचा विकसित है वहां 83 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं ने किया, लेकिन अपेक्षाकृत निर्धन विकास खंडों में ग्राम सभाओं द्वारा चुने गये लाभार्थियों की संख्या करीब 69 प्रतिशत थी। ऐसे मामलों में चयन प्रक्रिया में खंड विकास अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- इस तरह इंदिरा आवास योजना के समवर्ती मूल्याकन और प्रभाव आकलन अध्ययनों से ऊपर जो मुख्य निष्कर्ष निकले हैं उसे यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि पंचायतें योजना को लागू करने में भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि पंचायतें योजना को लागू करने में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही हैं।

ग्रामीण आवास योजना को पंचायती राज संस्थाओं के जरिए कारगर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव

"सबके लिए आवास" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन और उपेक्षित लोगों को लाभ देकर ऐसे उपाय करने की व्यवस्था की है जिससे कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत करीब 19,915 करोड़ रुपये लागत से लगभग 114.17 लाख आवासों का निर्माण किया गया है। लेकिन योजना के कार्यान्वयन की समवर्ती समीक्षा से इसके बारे में जो तथ्य सामने आते हैं उनके अनुसार योजना का 40 प्रतिशत फायदा अपात्र परिवारों ने उठाया है। अगर इस कमजोरी को दूर नहीं किया गया तो दुर्लभ संसाधनों का बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को कारगर तरीके से भागीदार बनाने की आवश्यकता के साथ–साथ यह भी जरूरी है कि इन संस्थाओं के अपने संसाधनों का भी योजना में निवेश हो। इसके लिए निम्नलिखित सुझावों को लागू करना होगाः

- जिला और उप–जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों में ग्रामीण आवास के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इससे ये नेता गांवों में सुयोग्य व्यक्तियों के लिए योजना के तहत आवंटित संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
- ग्राम सभा की बैठकें पंचायती राज अधिनियम में निर्धारित कायदे–कानूनों के अनुसार होनी चाहिए। देखा गया है कि ग्राम–सभा की बैठकें महज खाना पूरी के लिए आयोजित की गयीं क्योंकि सरपंच और ग्राम सचिव ने बैठकों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की पहचान केवल इसी संस्था द्वारा की जानी चाहिए। किसी अन्य एजेंसी या किसी नौकरशाह या सांसद/विधायक से लाभार्थियों का चयन कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि खंड विकास अधिकारियों का लाभार्थियों के चयन में बड़ा हाथ होता है, जबकि

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायतों को अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत मकानों के निर्माण के बारे में केवल सूचना मात्र देनी होती है।

- ग्राम सभा की नियमित बैठकें हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सुझाव है कि ब्लॉक स्तर के ऐसे राजपत्रित अधिकारी को जो पंचायती राज विभाग से न हों, बैठक में प्रेक्षक बनाया जाएं। अगर ग्राम सभा की बैठकें व्यवस्थित रूप से होती हैं और उनमें ग्रामीणों की अधिक से अधिक भागीदारी हो तो वास्तविक लाभार्थियों की स्वतः पहचान हो जाएगी।
- संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) के अनुसार पंचायतें अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करेंगी। इधर–उधर के कुछ अपवादों को छोड़कर पंचायतें तो ऐसी योजनाएं बना रही हैं और न उन्हें लागू कर रही हैं। इस संदर्भ में उन्हें पहल करने की आवश्यकता है। पंजाब के होशियारपुर जिले के प्रभाव आकलन अध्ययन में ठीक ही कहा गया है: "सामुदायिक स्तर पर पर्यावास की योजना बनाने और इसे समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ समन्वित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।" हालांकि कुछ मकान बनाए गये हैं और कुछ में सुधार किया गया है, लेकिन हर गांव के आस–पास घरेलू और सामुदायिक कूड़ा–कचरा इकट्ठा होता जा रहा है जिससे न केवल बहता हुआ पानी प्रदूषित हो रहा है, बल्कि भूमिगत जल भी प्रदूषित होता जा रहा है। प्रणाली दृष्टिकोण का सर्वथा अभाव है। ग्रामीण बस्तियों में नियोजन ग्रामीण पर्यावास के विकास के लिए होना चाहिए और इसमें आवास पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए। इस बारे में योजना बनाते समय, अन्य बातों के अलावा पर्यावास सुधार को भी शामिल किया जाना चाहिए और ग्रामीण जल आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी, स्वच्छता तथा ग्रामीण सड़कों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण आवास योजना जनसंख्या तथा दूरी को ध्यान में रखते हुए ग्राम समूहों में लागू की जा सकती है। इस तरह की योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जानी चाहिए ताकि समूचे गांव को करीब पांच वर्ष की निर्दिष्ट अवधि में पूरा किया जा सके। ग्रामीण आवास तथा पर्यावास के विकास के बारे में इस तरह के दृष्टिकोण पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी चर्चा हुई लेकिन ग्रामीण आवास के बारे में कोई समग्र योजना की बजाय अलग–अलग कार्यक्रमों पर अलग–अलग अमल की नीति अपनायी गयी।
- अतः ग्रामीण आवास योजनाओं का केंद्र बिंदु पूरे गांव और पर्यावास सुधार पर होना चाहिए और ऐसा करते समय सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान जैसी आधारभूत ढांचा सेवाओं संबंधी कार्यक्रमों के बीच समन्वय और तालमेल कायम किया जाना चाहिए। इस तरह की नीतिगत पहल पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही की जा सकती है।
- पंचायतें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित ग्रामीण–आवास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने के साथ–साथ गांवों के समीप की भूमि पर स्वयं भी बस्तियों का निर्माण कर सकती है। इसके लिए वे उपयुक्त किस्म के किफायती और आसानी से उपलब्ध मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से संसाधन भी जुटा सकती हैं। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर नगर के कुछ गांवों का उदाहरण दिया जा सकता है जहां नयी सोच वाले कुछ किसानों ने गांव के पास की अपनी जमीन पर आवासीय कॉलोनी का विकास किया है। गांव के जिन लोगों के परिवार समय के साथ–साथ बड़े होते चले गये हैं और जो गांव के बीच में रह रहे हैं, उन्होंने तत्काल इस योजना के तहत भूखंड खरीदे हैं।

इसी तरह पंचायतों को भी अपनी भूमि में इसी तरह की नयी योजनाएं शुरू करने के लिए आगे आना होगा। इस तरह की योजना का व्यावसायिक और मुनाफे वाला पहलू भी होता है, खासतौर पर ऐसे बड़े गांवों में जो मुख्य सड़कों के पास स्थित हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में कई ग्राम पंचायतें आसानी से ऐसी परियोजनाएं अपना सकती हैं और अगर उन्हें इसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो वित्तीय संस्थाओं से इसे जुटाया जा सकता है, क्योंकि पंचायत अधिनियम के अनुसार पंचायतों को अधिनियम में बताये गये किसी भी कार्य के लिए सरकार से पूर्वानुमति लेकर कर्ज लेने की छूट दी गयी है। इस संदर्भ में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को पहल करनी चाहिए।

समन्वय

आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की भारी कमी है और यह बात 2001 की जनगणना से स्पष्ट हो जाती है। इस तथ्य की ओर इस लेख में पहले भी इशारा किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की आवश्यकता पूरी करने के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ–साथ पंचायतों को खुद पहल करनी चाहिए और कम से कम समय में ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए पंचायतों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को कारगर तरीके से लागू करना चाहिए। इसके लिए ग्राम सभाओं को सक्रिय बनाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों का चयन किया जाना चाहिए जिन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत सचमुच मकान की आवश्यकता है। बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के कार्य में भ्रष्टाचार दूर किया जाना चाहिए। अगर यह कार्य जल्द–से–जल्द नहीं किया जाता तो पंचायती राज संस्थाओं की महत्ता और उनके सामाजिक कार्यक्रमों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए पंचायतों के निर्वचित प्रतिनिधियों को इस मामले में सक्रिय और सावधान बनना होगा। इसके अलावा पंचायतों को अपने संसाधनों से तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर मकानों के निर्माण का कार्य भी अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन यह तभी हो सकता है जब पंचायत का नेतृत्व करने वाले और भी नये कार्यक्रमों की आवश्यकता तथा व्यवहार्यता महसूस करें और इस दिशा में पहल करें। ❑

(लेखक हरियाणा ग्राम विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)

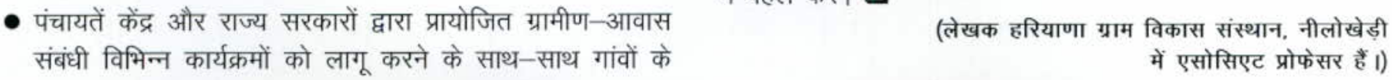

बुनियादी ढांचा : ग्रामीण विकास : भारत निर्माण

वेद प्रकाश अरोड़ा

आज देश इतिहास के ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, जब दुनिया उसे हसरत भरी निगाहों से देख रही है। अब इतिहास बनाने का वक्त आ गया है। दुनिया चाहती है कि भारत उभरकर दुनिया के मंच पर अपनी जगह हासिल करे। हमारी तरक्की में कोई बाहरी अड़चन नहीं, अगर कोई अड़चन है तो वह देश के अंदर ही है। हमें देश को जल्द से जल्द संपन्न और खुशहाल बनाने का संकल्प लेना होगा। हमारे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं और हम किसी भी दूसरे के बाशिंदों के बराबर हैं। ये हैं स्वाभिमान, देश प्रेम और आत्म–विश्वास से भरे शब्द प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, जो उन्होंने 59वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दूसरी बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को अपने संबोधन में कहे।

राष्ट्रपिता गांधीजी का भी एक सपना था कि वे एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जिसमें गरीब से गरीब आदमी यह अनुभव करे कि यह देश उसका है तथा इसके निर्माण में उसे कारगर भूमिका निभानी है। वे एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहें, जिसमें न कोई ऊंचा हो और न कोई नीचा, बल्कि सभी समुदाय सद्भाव–सम्मान से रहे। इसमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हों। वे कहते थे कि मेरा सपनों का स्वराज गरीबों का स्वराज है। जब तक गरीबों को सामान्य सुख सुविधाओं की गारंटी न मिले, तब तक स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं बन सकता। गत अगस्त महीने में संसद द्वारा पारित ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक गांधीजी के इस चिर पोषित सपने का सच में बदलने का प्रबल प्रयास है। अब गांवों में रोजगार के लिए रोजगार कार्यालयों की खाक छानने की जरूरत नहीं रहेगी ग्राम पंचायत में नाम पंजीकरण होने और उसके साथ ही रोजगार कार्ड के मिलने पर किसी भी गरीब लेकिन शरीर से पुष्ट नर–नारी को रोजगार हासिल करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब ऐसे व्यक्ति की कानूनन रोजगार देना ही पड़ेगा। उसे वर्ष में कम से कम एक सौ दिन 60 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से काम पर लगाना अनिवार्य होगा। इससे न्यूनतम कार्यक्रम एक प्रतिबद्ध वास्तविकता बनता गई है।

पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री ने कहा था "मुझे कोई वादे नहीं करने हैं, बल्कि वायदे निभाने हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि ऐसा विकास करना है, जिससे आम आदमी के जीवन में कोई सुधार हो। डा. मनमोहन के शब्दों में दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां इस तरह एक सौ करोड़ से अधिक आबादी वाला देश अपनी सामाजिक और आर्थिक उन्नति लोकतंत्र के माध्यम से कर

रहा हो। इसी वजह से सारे विश्व की निगाहें हम पर टिकी हैं। हम सभी की मेहनत का फल है कि आज हमने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है और हम अव्वलीन (अग्रणी) देशों की कतार में खड़े होने का गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे देश में आर्थिक क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हो रही है। अनेक कठिनाइयों, विवादों और मतभेदों के बावजूद गत वर्ष हमारी आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रही और इस वर्ष भी ऐसी ही रहने की उम्मीद है। सच तो यह है कि देश के इतिहास में ऐसी प्रगति कभी देखी नहीं गई। उन्होंने कहा : मुझे विश्वास है कि अगर हम इस गति को बनाए रखेंगे तो आने वाले 5–14 वर्षों में पूरे भारत से गरीबी, भुखमरी, जहालत और बीमारियों को मिटा देंगे। यह लक्ष्य कोई सपना नहीं रहा, बल्कि इसे हासिल करना संभव है। देश के बुलंदियों पर बढ़ने का साफ संकेत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा विश्व के देश हमारी ओर हैरत और हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भारत एक बहुसंस्कृति, बहुजातीय, बहुधर्मी, और बहुभाषी देश होते भी किस तरह आर्थिक मोर्चे पर लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत, सामाजिक न्याय के साथ–साथ आर्थिक विकास की राह पर अग्रसर है।

बुनियादों ढांचे के विकास के क्षेत्र में स्वर्णचतुर्भुज को छह लेन का बनाने, मुम्बई, दिल्ली–कोलकाता रेल के गलियारे के निर्माण, शहरी नवीकरण कोष, विश्व श्रेणी के हवाई अड्डों का निर्माण और असैनिक परमाणु, बिजली विकास जैसे विषयों पर भी देशवासियों को सरकारी नीतियों से अवगत कराया। प्रशासन में सुधार और ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। अपने अर्थशास्त्री रूप की छाप यहां वहां छोड़ते हुए उन्होंने बताया कि प्रगति पथ का सफर कठिन होने के बावजूद इस में तेजी लाने के लिए

हमें क्या कुछ करना हैं और अपनी कमजोरियों को कैसे दूर करना है। यह सफर तभी सफलतापूर्वक तय होगा जब सबका और विशेष रूप से आम आदमी का, ग्रामवासियों का तथा पंचायतों का सहयोग मिले तथा विकास, बुनियादी ढांचे का स्थाई और स्फूर्तिदायी मंत्र बन जाए। ग्रामीण भारत के चेहरे को चमकाने और उसमें नया वासंती रंग भरने के लिए उन्होंने कुछ नए कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई तथा कुछ पुराने कार्यक्रमों को सुधारने, बढ़ाने और गतिशील बनाने का आह्वान भी किया। वर्ष 2007 तक प्रत्येक गांव में एक कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, भारत–निर्माण के लिए कोष उपलब्ध कराया जायेगा तथा बजट सिर्फ व्यय पर ही नहीं, परिणामों पर भी केंद्रित रहेंगे। राजनीतिक दलों से यह अपील भी की गई कि पानी की समस्या का समाधान राष्ट्रीय और समग्र दृष्टि से किया जाए। रोजगार के नए अवसर जुटाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन करने की बात के साथ ही उन्होंने पर्यावरण और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

विकास सूत्र

पिछले वर्ष विकास को बढ़ावा देने के लिए डा. मनमोहन सिंह ने जिन सात सूत्रों–कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शहरी विकास और बुनियादी–ढाचे का जिक्र किया था, इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने न सिर्फ इनका जायजा लिया बल्कि उन्हें गति देने का बीड़ा भी उठाया। क्योंकि आर्थिक विकास के लाभ समाज के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं, विशेष रूप से यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू होती है जबकि आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनना प्रत्येक किसान का अधिकार है। इसे महत्व देना इस लिए भी आवश्यक है कि देश के साठ प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में एक चौथाई का योगदान करती है, लाभकारी रोजगार दिलाती है तथा अधिक से अधिक लोगों की आय का साधन है। किसान हमारे देश के विकास की रीढ़ हैं। उन्हीं की बदौलत और उन्हीं के प्रयत्नों से देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। पूरा देश उनका आभारी है। अब हमने ग्रामीण भारत के लिए एक नए दौर की शुरुआत की है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे किसानों को आसानी से कर्ज दिलाना, निवेश और गोदामों को बेहतर सुविधाएं जुटाना, सब्जी फलों की उपज और व्यापार को बढ़ावा देना, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत करना और कृषि में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। रही बात देश में शुष्क भूमि और वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों के किसानों की कठिनाइयों को दूर करने की, तो इसके लिए वर्षा के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी बनाने का विचार है। आशा है कि आने वाले वर्षों में कृषि की उन्नति तेजी से होगी और नई हरित क्रांति आयेगी। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है।

भारत निर्माण

लेकिन बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के बगैर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पायेगा। इसलिए भारत निर्माण की नई योजना के अंतर्गत एक करोड़ हैक्टेयर खुश्क जमीन की सिंचाई की जायेगी। यह योजना एक समयबद्ध और लक्ष्यबद्ध कार्यक्रम है। 500 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी और 1000 से अधिक आबादी वाले गैर–पहाड़ी गांव सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। सवा दो करोड़ घरों को बिजली की सप्लाई की जायेगी और इस तरह देश के सभी गांवों में बिजली उपलब्ध हो पायेगी। गावों में 60 लाख मकान बनाए जायेंगे। बची हुई 74,000 बस्तियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा। हर गांव में कम से कम एक टेलीफोन अवश्य होगा।

सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास उद्देश्य से भारत निर्माण परियोजना के लिए विश्व बैंक के एक अरब डालर की मांग की है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने भी कहा है कि भारत चाहता है कि विश्व बैंक मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए आगामी वर्षों में उधार की राशि को बढ़ा दे। परियोजना के लिए फिलहाल मिल रही वार्षिक तीन अरब डालर की रकम पर्याप्त नहीं है।

ग्रामीण भारत की तस्वीर संवारने के लिए जहां सिंचाई, सड़कों, मकानों जल–सप्लाई, बिजलीकरण और दूर–संचार जैसे बुनियादी ढांचे के छह क्षेत्रों पर 1,74,000 करोड़ रुपए यानी 17 खरब 40 अरब रुपए की विशाल राशि चार वर्ष के लिए मंजूर की गई है। इस अवधि में देश के हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाने की पूरी कोशिश की जायेगी, इसी तरह गांव गांव में साफ–सुथरा पीने का पानी पहुंचाया जायेगा, हर गांव में सड़कें बना कर शहरों के साथ उन का संपर्क को बढ़ाया जायेगा।

पंचायती राज

निसंदेह भारत निर्माण से हमारे ग्रामीण क्षेत्र तेजी से विकसित होंगे। इस काम में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। राजीव गांधी का सपना था कि विकास योजनाओं में आम आदमी और खासकर ग्रामवासी पंचायती राज के माध्यम से हिस्सेदार बने। जिला, तालुका और ग्राम–सभी स्तरों पर पंचायतों को अपनी भूमिका निभानी होगी। वैसे भी भारतीय संविधान में पंचायतों के केवल आर्थिक–विकास को जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि पंचायती राज के माध्यम से भारत–निर्माण एक ठोस कार्यक्रम बन जायेगा। इस विकास को परखने की कसौटी यह मालूम करना है कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है कितने परिवारों में गरीबी का कलंक मिटा है और आर्थिक आजादी का स्पंदन और एहसास कितने लोगों को होने लगा है। इसी आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबो हटाओ का नारा दिया। यह नारा तभी सार्थक और सफल हो सकता है जब लोगों को रोजगार मिले। रोजगार गारंटी विधेयक इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस महत्वपूर्ण विधेयक के कानून बन जाने से ग्रामीण इलाकों से जबरदस्त बदलाव आने की आशा है। यह देहात के खुश्क इलाकों में हरियाली लाने की जबरदस्त चुनौती है और एक महान अवसर भी। हर परिवार में एक सदस्य को रोजगार मिलने से करोड़ों लोगों को दो जून रोटी सुनिश्चित होना सामाजिक न्याय और बराबरी लोन की तरफ बड़ा कदम होगा, गांवों में जगह निर्माणों से श्रम की ताकत का एहसास होने लगेगा। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ–साथ आर्थिक

स्वतंत्रता हासिल होगी। गांवों का रूप निखरेगा और घरों की अंधेरी रातों में दीपक जल उठेंगे। सारे ग्रामीण भारत में निर्माण की गहमागहमी होगी और देश नई करवट लेने लगेगा। ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच की दूरियां भी कम होंगी। ग्रामीण उद्योग कमीशन के प्रयासों से भी परिवर्तन लाया जा रहा है, ताकि छोटे उद्योग धंधों से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

चाहे कोई शिक्षित हो या अशिक्षित गांव का हो या शहर का खुशहाल जीवन बसर करने के लिए उसका सेहतमंद और स्वस्थ होना जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सा की अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रत्येक गांव तक पहुंचाई जायेंगी। देश के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक कोने में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सकेगा। इस मिशन से इस वर्ष कोढ़ की बीमारी 25 राज्यों में दूर कर दी गई है, पोलियो और टी बी पर धीरे–धीरे काबू पा लिया गया है। लेकिन एड्स की बीमारी भयंकर परेशानी बनी हुई है इसकी रोकथाम के लिए जन आंदोलन चलाया जायेगा। प्रत्येक बीमारी की दवाइयां लोगों को आम दामों पर दिलाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नौजवानों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से वे समाज की सबसे बड़ी ताकत बन जायेंगे।

बुनियादी ढांचे की विकास

विकास की गति धीमी न पड़े, इसके लिए गांवों और शहरों सहित सारे देश का बुनियादी ढांचा मजबूत बनाना होगा। इस ढांचे में रेलें, सड़कें और बिजली सबसे खास है। भारतीय रेलों को विश्व की बेहतरीन रेलों जैसी बनाने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली, कोलकाता और दिल्ली, मुंबई के बीच विशेष मालगाड़ी मार्ग बनाने की योजना है। सड़कें, शहरों और गांवों की जीवन रेखा है, इनके विस्तार का काम तेजी से किया जा रहा है। 30 हजार किलोमीटर के राजमार्ग के निर्माण का नया काम शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा समूचे स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन कवाड्रिलेटरल) परियोजना को जल्दी ही छह लेन का बना दिया जायेगा इसका काफी बड़ा हिस्सा इसी वर्ष पूरा हो जायेगा। हवाई यातायात के विकास के लिए बेहतरीन हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। बंदरगाहों को नया रूप देने तथा कई नए बंदरगाहों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इससे गांवों के प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में उछाल आयेगा।

पिछड़े इलाके

प्रधानमंत्री ने पिछड़े और सरहदी इलाकों का भी जिक्र किया और कहा कि देश का कोई हिस्सा विकास की दौड़ में पीछे रह जाए यह गंवारा नहीं किया जा सकता। सरकार देश के सरहदी इलाकों के विकास पर पूरा ध्यान देगी तथा इन इलाकों के लोगों की सड़कों, बिजली, टेलीफोन जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जायेगा।

आदिवासी–भाई कई पुश्तों से जंगलों के पास की जमीन पर काश्त करते आए हैं लेकिन इस जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं है, जिससे वे असुरक्षित रहते हैं। यह हक उनसे 150 वर्ष पहले अंग्रेजी शासन के दौरान छीन लिया गया था। इसे दुरस्त करने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है, ताकि आदिवासियों को मालिकाना हक मिले और जंगलों का भी बचाव हो सके।

सर्वशिक्षा अभियान

जहां तक बच्चों का संबंध है, सर्वशिक्षा अभियान को मजबूत बना कर प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। इसमें लड़कियों की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन देश को तेजी से प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को बेहतरीन बनाना होगा।

बिजली

बिजली की कमी के प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि सबसे गरीब तबके के लोगों को छोड़, बाकी लोगों को मुफ्त बिजली देने से स्वयं बिजली इकाइयों की स्थिति बिगड़ जाती है। हमें तेल की तरह बिजली के लिए भी सही लागत का भुगतान करना होगा, तभी बिजली समय पर, सही मात्रा में और सही क्वालिटी की मिल सकेगी। अपनी अमरीका यात्रा की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस यात्रा से परमाणु–बिजली कार्यक्रम की बाधाएं कुछ कम हो गई हैं। अब यह उम्मीद हो गई है कि अगले 10 वर्षों में पानी और कोयले से डेढ़ लाख मैगावाट बिजली पैदा होने के अलावा चालीस हजार मैगावाट परमाणु बिजली का उत्पादन होने लगेगा।

पर्यावरण और प्राकृतिक आपदाएं

21वीं शताब्दी की सबसे कीमती वस्तु पानी की बढ़ती मांग और पानी की स्वच्छता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नदियों में और हवा में प्रदूषण रोकने पर जोर दिया और कहा हमें अपनी प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को निर्मल और स्वच्छ रखने के लिए सफाई अभियान चलाना होगा, जिससे हमारे गांव, शहर, सड़कें, गलियां और घर साफ–सुथरा रखें। बीमारियों को रोकने के लिए तथा वातावरण को गंदगी से बचाने के लिए गांधीजी अपने आश्रम में स्वच्छता पर जोर दिया करते थे। उन्होंने घोषणा की कि प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय–आपदा–प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है और कहा कि कहर बरसाने वाली सुनामी लहरों और मुंबई में भीषण बाढ़ से हुई तबाही से उबारने के लिए कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और विशेष रूप से मुंबई की हर संभव सहायता की जायेगी।

प्राकृतिक आपदाओं और अन्य कठिनाइयों के बावजूद देश के बढ़ते कदमों का उल्लेख करते हुए डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि देश इस समय इतने पायदान ऊपर चढ़ चुका है कि वह विकासशील देशों में सर्वाधिक अग्रणी देश बन गया है, तथा सबसे तेज चाल वाले तीन चार देशों की पंक्ति में जा खड़ा हुआ है। अपने संबोधन का समाहार करते हुए उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर देश को आगे ले जाने का जोरदार आह्वान किया। उन्होंने कहा आइए हम सब कंधे से कंधा मिलाकर, विविधता में एकता को महसूस कर, नए भारत का निर्माण करें– एक ऐसे भारत का जिसमें सरकार और आम आदमी के बीच कोई दीवार न हो। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

ग्रामीण विकास में सड़क, आवास और बिजली की भूमिका

अनन्त मित्तल

ग्रामीण सड़कों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अहम् भूमिका है। गांवों और दूर–दराज के क्षेत्रों में रोजमर्रा की जरूरत के सामान पहुंचाने और वहां से कृषि पैदावार को शहरी मंडियों तक पहुंचाने के साथ ही देश के पिछड़े और गरीब नागरिकों को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का काम मुख्यतः सड़कों का ही है। हाल के वर्षों में गांवों तक पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्य जिस तेजी से चल रहा है, उससे देश के सदियों से पिछड़े और गरीबी के द्वीप बने रहे देश के करीब छह लाख गांवों में विकास की नई भोर होने की आशा जगी है। गांवों तक सड़कों का मुकम्मिल जाल बिछने के बाद गांवों और शहरों के बीच तालमेल तो बढ़ेगा ही, साथ ही गांववासियों को इलाज और पढ़ाई के लिए शहर में आने जाने में सुविधा भी हो जाएगी। देश में यात्रियों के कुल यातायात में से 85 फीसदी यातायात सड़कों के जरिए ही होता है। इसी प्रकार देशभर में ढोए जाने वाले कुल माल में से 70 फीसदी सड़कों के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसीलिए गांवों में बारहमासी पक्की सड़कें बिछाने का जिम्मा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने बड़े पैमाने पर उठाने का फैसला किया है। इसके साथ ही संप्रग सरकार ने समग्र ग्रामीण विकास के लिए सिंचाई, पीने का पानी, आवास, बिजली और टेलीफोन सेवा को भी देश के सभी गांवों तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है।

इस कार्यक्रम के लिए अगले साढ़े तीन साल में कुल 1,74,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च के लिए निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत निर्माण नाम दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का निर्माण असल में इस देश के गांवों तक बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं पहुंचाकर ही किया जा सकता है। भारत निर्माण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सामान्य तौर पर एक हजार और पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में पांच सौ परिवारों वाली आबादी को बारहमासी सड़क के जरिए मुख्य मार्ग से जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा गरीबों के लिए 60 लाख आवासीय इकाई, बाकी बची 74 हजार बसाहटों तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने, सवा लाख गांवों तक बिजली पहुंचाने और 66822 गांवों तक टेलीफोन सुविधा पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी भारत निर्माण के अंतर्गत जोर दिया जाएगा। भारत को वैसे भी गांवों और खेतिहरों का देश कहा जाता है। इसलिए ग्रामीण विकास की इस

प्रधानमंत्री सड़क योजना

महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का प्रयास दरअसल भारत का निर्माण ही सिद्ध होगा। पिछले करीब एक दशक से देश की अर्थव्यवस्था औसतन साढ़े पांच फीसदी पर ही अटकी हुई है और बिना ग्रामीण विकास के ठोस प्रयास के अर्थव्यवस्था को वांछित आठ अथवा उससे अधिक प्रतिशत की सालाना दर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। जब तक अर्थव्यवस्था इस सीमा को पार नहीं करेगी तब तक देश की निरंतर बढ़ रही आबादी को वांछित तादाद में रोजगार नहीं दिया जा सकता।

अर्थव्यवस्था के विकास की गति के अटक जाने का एक कारण यह है कि शहरी क्षेत्र में मध्यवर्ग द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की खपत एक अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी है और अब उस में सालाना बहुत तेज वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में जाहिर है कि संप्रग सरकार को गांवों का रूख करना पड़ा है, ताकि गांवों को समृद्ध बनाकर वहां के निवासियों, खेतिहरों का जीवनस्तर बेहतर बनाया जा सके और उनकी खरीद क्षमता बढ़ाई जा सके। ग्रामीणों की खरीद क्षमता बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। भारत की 70 प्रतिशत आबादी अभी तक गांवों में ही बसती है और कृषि का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में घटकर भले ही 25 फीसदी रह गया हो, मगर रोजगार के लिहाज से देश की दो–तिहाई से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। सिंचाई, सड़क और बिजली आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार का प्रत्यक्ष लाभ जाहिर है कि इसी वर्ग को मिलेगा। इससे रोजगार के जो अवसर पैदा होंगे उनसे ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी और अंततः माल की खपत भी बढ़ेगी।

सड़क

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और अब यह भारत निर्माण योजना में ही शामिल की जा चुकी है। इसके अंतर्गत 500 या उससे अधिक घरों वाले गांव को मुख्य सड़क से बारहमासी सड़क द्वारा जोड़ने की योजना है। इसी तरह पहाड़ी, रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्रों के गांवों के लिए इससे आधे यानी 250 घरों वाले गांव को मुख्य मार्ग से बारहमासी सड़क द्वारा जोड़ने का लक्ष्य दसवीं योजना काल के अंतर्गत रखा गया था। केंद्र सरकार का इरादा है कि देश के ऐसे सभी सड़कविहीन गांवों तक इस दौरान पक्की सड़क पहुंचा दी जाए। इसके लिए डीजल पर विशेष कर लगाकर केंद्रीय सड़क कोष बनाया गया है। इसके अलावा घरेलू वित्तीय संस्थाओं और विश्व बैंक से भी इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर्ज लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मौजूदा जर्जर सड़कों को भी बारहमासी बनाने की बात है।

देश में फिलहाल ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रति सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों का राष्ट्रीय औसत बढ़कर 75 किलोमीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रति 10 लाख आबादी के अनुपात में सड़कों की लंबाई भी बढ़कर 25.82 किलोमीटर हो गई है। यह तो सड़कों की बढ़ती उपलब्धता का राष्ट्रीय औसत है,लेकिन राज्यों के स्तर पर इसमें भारी विसंगतियां हैं। प्रमुख राज्यों में से केरल, सड़कों का जाल फैलाने के मामले में शिक्षा के प्रसार की तरह ही देश भर में अव्वल रहा है। वहां फिलहाल प्रति एक सौ वर्ग किलोमीटर के दायरें में 375 किलोमीटर लंबी सड़कों का औसत है। इसके बाद तमिलनाडु और पंजाब ने भी सड़कों का जाल बिछाने में खासी सफलता हासिल की है, फिर भी इन राज्यों में यह औसत केरल के औसत का 35 प्रतिशत ही है। केरल में ग्रामीण सड़कें शहरी परिधि बनाने वाली सड़कों से लगभग पूरे राज्य में मिल चुकी हैं। इसी वजह से राज्य में मानव विकास और आर्थिक विकास में इतनी तेजी आ सकी है।

उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी पिछले डेढ़ दशक में सड़क निर्माण में तेजी आई है। उड़ीसा में प्रति दस लाख आबादी पर 75 किलोमीटर लंबी सड़कों का औसत है, जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल अब भी इस दौर में पिछड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 22 प्रतिशत और राजस्थान के 38 प्रतिशत गांव वर्ष 1996–97 तक शहरों से जुड़ चुके थे। उनके मुकाबले केरल, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में लगभग सभी गांवों तक सड़क पहुंच गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल के अलावा देश में 1500 से अधिक परिवारों की आबादी वाले अधिकतर गांवों में पक्की सड़क बन चुकी है। इसीलिए अब 1000 और 500 परिवारों वाले गावों में बारहमासी पक्के मार्ग बनाने पर ध्यान लगाया जा रहा है। संप्रग सरकार बिहार और बंगाल में सड़कों की हालत और संख्या सुधारने पर खास ध्यान लगा रही है।

केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देशभर के लगभग सवा छह लाख से अधिक गांवों में से एक चौथाई यानी 1 लाख 70 हजार गांवों में यह सड़क बनाई जानी है। इस हिसाब से तीन लाख 69 हजार किलोमीटर लंबी नई सड़कें बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही तीन लाख 68 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों को सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए वर्तमान अनुमान के अनुसार 1,33,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2004–05 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार नवंबर 2004 तक 14,00,789 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। इस राशि से 1,03,010 किलोमीटर लंबे 35,296 सड़क निर्माण कार्यों को पूरा किया जाएगा। इनमें से 22,930 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कुल 60,024 किलोमीटर लंबी सड़कें बन चुकी हैं। अक्तूबर 2004 तक इन सड़कों पर 7866 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस कार्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को कार्यकारी और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। यह एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत बनाई गई है।

ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों की सहायता के वास्ते केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से 40 करोड़ डॉलर के कर्ज के लिए 8 नवंबर 2004 को समझौता किया था। इसमें बिहार को जोड़ने की भी गुंजाइश है। इस कर्ज से बनने वाली सड़कों के मुआयने के आधार पर विश्व बैंक 50 करोड़ डॉलर के कर्ज की अगली किस्त जारी करेगा। इसी प्रकार एशियाई विकास बैंक ने भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 40 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की स्वीकृति दी है। इसके लिए भी संप्रग सरकार के नेतृत्व में 19 नवंबर 2004 को समझौता हुआ है। दूसरी किस्त असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए 50 करोड़ डॉलर दी जाएगी। इसके अलावा तीसरी किस्त में 25 करोड़ डॉलर एशियाई विकास बैंक और देगा।

ग्राम सड़क योजना को ग्रामीण बुनियादी ढांचे की अन्य योजनाओं मसलन, सिंचाई, बिजली, फोन आदि सुविधाओं को मुहैया कराने संबंधी कार्यों से तालमेल बैठाने के लिए भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है और इस सिलसिले में वर्ष 2009 तक संप्रग सरकार ने गांवों का कायापलट करने की ठानी है। गांवों में टेलीफोन की बात करें तो 30 नवंबर 2004 तक देश के 5,20,000 हजार गांवों तक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सेवा पहुंच चुकी है। बाकी करीब 66,822 गांवों में फोन सेवा पहुंचाने का निश्चय भारत निर्माण योजना के अंतर्गत किया गया है। फिलहाल गांवों में 129 लाख फोन लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 2592 ग्रामीण संचार सेवकों के द्वारा 11013 गांवों तक भी फोन सेवा पहुंचायी जा रही है। यह स्थिति नवंबर 2004 तक थी और जाहिर है उसके बाद से ग्रामीण टेलीफोन सुविधाओं का और भी तेजी से विस्तार हुआ है। अब इस सेवा को भारत निर्माण योजना में शामिल किए जाने से वर्ष 2009 तक देश के बाकी बचे गांवों में भी टेलीफोन सेवा पहुंच जाएगी। गांवों को टेलीफोन सेवा से जोड़ देने का लाभ दरअसल देश के उस सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए फायदेमंद साबित होगा जो समाज की यूं तो सबसे निचली पायदान पर है मगर अपने शारीरिक परिश्रम के द्वारा सड़कों से लेकर बड़े–बड़े बांधों और हवाई अड्डो के निर्माण में भारी योगदान करके अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाता है। दूर–दराज के गांवों से निकलकर खेतिहरों के ये झुंड जब हजारों किलोमीटर दूर मजदूरी की तलाश में जाते हैं तब इनके लिए अपने प्रवासकाल में अपने बंधु–बांधवों की खबर पाना भी

दूभर हो जाता है। गांवों में टेलीफोन की व्यवस्था हो जाने से भारत निर्माण के ये मूक मगर पुरुषार्थी सिपाही अपने नाते–रिश्तेदारों की हजारों किलोमीटर दूर से भी आसानी से सुध ले सकेंगे और फिर चैन से मेहनत–मजदूरी के जरिए कमाने में लगे रह सकेंगे।

बिजली

भारत निर्माण के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य गांवों तक बिजली पहुंचाने का है। देश के छह लाख से ज्यादा गांवों में से फिलहाल लगभग 1,12,401 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई है। इन सभी गांवों तक वर्ष 2009 में हर हाल में बिजली पहुंचा दिए जाने का संकल्प भारत निर्माण के अंतर्गत संप्रग सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया है। बिजलीयुक्त गांव की परिभाषा के अनुसार अब गांवों में कम से कम कुल घरों में से दस प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन होना अनिवार्य है। यह शर्त पूरी होने पर ही उस गांव को बिजलीयुक्त माना जाएगा। इस शर्त को पूरा करने के लिए अब गांव के विद्यालय, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्रों, दवाखानों तथा समुदायिक केंद्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों में बिजली के कनेक्शन देकर गांवों को बिजलीयुक्त होने के पैमाने पर खड़ा उतारा जा रहा है। इसके साथ ही गांवों की दलित बस्तियों में भी बिजली पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांवों में बिजली वितरण की व्यवस्था को टिकाऊ बनाने के लिए ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली स्थापित की जा रही है। इसके अंतर्गत 33/11 केवी क्षमता के सबस्टेशनों की श्रृंखला स्थापित की जा रही है। हरेक ब्लॉक में कम से कम एक सब स्टेशन स्थापित किया जा रहा है और उसे गांवों में वितरण प्रणाली फैलायी जा रही है। दूसरी तरफ उस सब स्टेशन को राज्य की पारेषण प्रणाली से जोडा जा रहा है। इसके साथ ही हरेक गांव में बिजली के वितरण के लिए कम से कम एक ट्रांसफार्मर स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके लिए ग्रामीण विद्युत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। उन घरों को गांव के ट्रांसफर्मर से बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है जिनमें अभी तक बिजली पहुंची ही नहीं थी। बिजली के ग्रिड से जिन गांवों को जोड़ पाना या तो आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं है या फिर तकनीकी कारणों से ऐसा होना संभव नहीं है उन गांवों के लिए विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन एवं वितरण प्रणाली स्थापित की जा रही है। इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में लंबे अरसे तक पिछड़ने के बाद अब संप्रग सरकार ने गांव वालों को भी निरंतर बिजली आपूर्ति दिलाने के लिए ठोस प्रयास शुरू किए हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय बिजली नीति को भी संशोधित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2009 तक देशभर में सभी घरों और बसाहटों के लिए बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2012 तक देशभर में बिजली की मांग को पूरा कर सकने लायक बिजली उपलब्ध कराने की भी योजना है। इसमें कृषि की बुआई और गर्मी के मौसम में घरों में बढ़ने वाली बिजली की खपत को पूरा करना भी शामिल है। प्रति व्यक्ति एक हजार यूनिट बिजली वर्ष 2012 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हरेक घर में रोजाना कम से कम एक यूनिट बिजली की खपत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। साथ ही उपभोक्ताओं के हितों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों को पूंजीगत सब्सिडी का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय बिजली नीति में है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले घरों को प्रतिमाह तीस यूनिट बिजली की खपत के लिए सहायता देने की भी योजना है। इस दौरान घर–घर बिजली पहुंचाने के नारे पर काफी गहराई से अमल होने का सबूत मिलता है। वर्ष 1981 में जहां सिर्फ 26 प्रतिशत परिवारों को बिजली मिल रही थी, वहीं बिजली के कनेक्शन वाले घरों की संख्या 1991 में बढ़कर 42 प्रतिशत और 1998–99 में और भी बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई थी, लेकिन इस मामले में भी संपन्न और गरीब, छोटे और बड़े राज्यों के बीच भारी विसंगति है। मानव विकास के लिहाज से आखिरी पायदान पर खड़े बिहार में वर्ष 1991 में सिर्फ करीब 13 प्रतिशत घरों में बिजली मौजूद थी। इसी तरह असम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी तब बहुत कम घरों तक बिजली पहुंच पाई थी। इनमें से भी बिहार में ग्रामीण परिवारों की विशाल संख्या में से सिर्फ 5.6 प्रतिशत को ही बिजली मिल रही थी, हालांकि 90 के दशक में ऐसे घरों की संख्या बढ़कर लगभग तीन गुनी यानि 18 प्रतिशत हो गई है। इसी तरह 1991 में उड़ीसा के सिर्फ 17.5 प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली मिल रही थी, वहीं 1998–99 में असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ऐसे घरों की संख्या 25 से 36 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। दूसरी तरफ पंजाब में 1991 में ही 77 प्रतिशत ग्रामीण घरों में और हिमाचल प्रदेश में 86 प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच गई थी। वर्ष 1998–99 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर तथा दिल्ली के 90 प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच गई थी। इतना ही नहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे अपेक्षाकृत अधिक आबादी वाले तथा गुजरात और कर्नाटक जैसे उनसे छोटे राज्यों में भी 80 प्रतिशत घरों में 1998–99 तक बिजली पहुंच गई थी।

पेयजल

ताजा सर्वेक्षण के अनुसार देश की कुल आबादी में से लगभग 80 प्रतिशत नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है और करीब 20 प्रतिशत घर ही बचे हैं जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इन्हीं बाकी बचे गांवों तक पेयजल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पीने के पानी के लिए निर्भर घरों का राष्ट्रीय औसत 22 प्रतिशत है। इनके अलावा सभी घरों तक हैंडपंप या ट्यूबवेल का पानी पहुंच चुका है। पंजाब और दिल्ली में लगभग सभी घरों तक पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध है जबकि केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीने का स्वच्छ पानी राष्ट्रीय औसत से कम लोगों को उपलब्ध है। पीने के साफ पानी की उपलब्धता के लिहाज से भी रिपोर्ट में जहां गांवों और शहरों के बीच 1981 के दशक में काफी फासला बताया गया है, वहीं 1991 कें दशक में गांवों में सुरक्षित पेयजल पाने वाले घरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 1991 की जनगणना में भारत के कुल परिवारों में से 62 प्रतिशत परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध था, जबकि 1981 में ऐसे घरों की संख्या बमुश्किल 38 प्रतिशत थी। वर्ष 1991 के इन आंकड़ों के अनुसार तब तक 56

प्रतिशत ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित पेयजल पहुंच चुका था, और शहरों में ऐसे परिवारों की संख्या 81 प्रतिशत थी। इसके मुकाबले वर्ष 1981 में शहरों में जहां 75 प्रतिशत घरों को सुरक्षित पेयजल मिल रहा था वहीं गांवों में ऐसे परिवारों की संख्या सिर्फ 27 प्रतिशत थी। इस लिहाज से 1981 से 1991 के बीच के दशक में गांवों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिए जाने के तथ्य का खुलासा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि सुरक्षित पेयजल पाने वाले परिवारों की सरकारी परिभाषा यह है कि जिन परिवारों को अपने घरों के भीतर या आसपास नल, बरमे यानि हैंडपंप अथवा नलकूप से पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है, वे इस श्रेणी में आते हैं।

सुरक्षित पेयजल से वंचित गांवों और ग्रामीण परिवारों के मामले में एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि केरल जैसा अगड़ा राज्य भी इस लिहाज से उत्तर पूर्व की छितरी आबादी वाले राज्यों तथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान के समकक्ष ही है। इसका कारण यह है कि केरल में अधिकतर कुएं का पानी ही पिया जाता है जिससे सुरक्षित पेयजल नहीं माना जाता और लगभग 20 प्रतिशत घरों में ही सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। इनके मुकाबले पंजाब में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के मामले में शहरों और गांवों में कोई खास फर्क नहीं है। वहां शहरों में 94 प्रतिशत घरों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है और 92 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को भी। रिपोर्ट में आदिवासी बहुल यानि जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता का औसत बेहद कम होने पर चिंता जताई गई है, हालांकि इसमें भी राज्यवार काफी उतार–चढ़ाव है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1998–99 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 72 प्रतिशत परिवारों तक सुरक्षित पेयजल पहुंच गया था और इसका राष्ट्रीय औसत भी 62 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया था। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्वजल परियोजना का विशेष उल्लेख है। इसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण जल आपूर्ति तथा पर्यावरण स्वच्छता परियोजना है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे विश्व बैंक की सहायता से 1996 से अपने पूर्ववर्ती हिस्से उत्तरांचल के 12 जिलों में तथा बुंदेलखंड के सात जिलों में लागू कर रही है। अब स्वतंत्र राज्य बन चुके उत्तरांचल के 1,000 पर्वतीय गांवों में स्वजल योजना को स्थानीय लोगों की समितियां चला रहीं हैं। इसकी लागत भी अलग–अलग गांवों में भिन्न आ रही है। कुछ गांवों में जहां सिर्फ बोर करके हैंडपंप लगाया गया है, इसकी लागत एक लाख रुपये आई है, वहीं जिन गांवों में पानी की ऊंची टंकी बनाई गई है वहां इसकी 65 लाख रुपये तक लागत आई है। रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना का फायदा यह है कि इससे गांव वालों को सुरक्षित पेयजल मिलने के साथ ही समिति की मदद से प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण स्वच्छता तथा महिलाओं के विकास संबंधी जानकारियां भी मिल रही हैं।

आवास

आवास के मामले में देश अभी काफी पिछड़ा हुआ है। वर्ष 1999 के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल देश की कुल आबादी में से सिर्फ 32 प्रतिशत परिवारों को ही पक्की छत नसीब हो पाई है। बाकी 68 प्रतिशत परिवार अब भी झोपड़ियों अथवा अन्य कच्चे आवासों में रहते हैं। इनमें भी गांवों में सिर्फ 20 प्रतिशत परिवार ही पक्के घरों में रहते हैं, जबकि शहरों में दो–तिहाई आबादी को पक्के घरों में रहने का सुख हासिल है। इसीलिए संप्रग सरकार ने वर्ष 2009 तक गरीबों के लिए 60 लाख नए आवास बनवाकर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इससे न सिर्फ गरीबों को सर पर पक्की छत उपलब्ध हो पाएगी बल्कि गांवों में निर्माण गतिविधियां बढ़ने से उन्हें रोजगार भी मिल पाएगा।

आवास की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी दयनीय है। वहां सिर्फ 20 प्रतिशत लोग ही पक्के घरों में रहते हैं बाकी 80 प्रतिशत में से अधिकतर फूस की झोंपड़ी या फिर कहीं खुले में ही जीवनयापन करते हैं। गांव के मुकाबले शहरों में हालत कहीं बेहतर है। शहरों में दो–तिहाई आबादी पक्के घरों में रह रही है जबकि देशभर में कुल परिवारों में से 1999 तक लगभग 32 प्रतिशत परिवारों को ही सर पर पक्की छत नसीब हो पाई थी। यह औसत केरल के संदर्भ में 80 प्रतिशत है। राज्य में 80 प्रतिशत लोग पक्के घरों में जीवनयापन कर रहे हैं। आवास पक्के मकाने के मामले में अन्य राज्य केरल के मुकाबले बहुत अधिक पिछड़े हुए हैं। असम में गांवों में आवास की सबसे बुरी हालत है वहां सिर्फ 11 प्रतिशत ग्रामीण आबादी के सर पर ही पक्की छत है बाकी 89 प्रतिशत परिवार कच्चे घरों में ही जिन्दगी काट रहे हैं। इसके मुकाबले असम के शहरी क्षेत्रों में 43 प्रतिशत आबादी पक्के मकानों में रह रही है मगर यह भी वर्ष 1991 के राष्ट्रीय औसत 73 प्रतिशत शहरी परिवारों के पक्के घरों में रहने संबंधी आंकड़ों से कहीं कम है। उड़ीसा में हालात कोई खास बेहतर नहीं है। वहां भी सिर्फ 13 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पक्के मकान में रह पाने का मौका मिल पा रहा है बाकी 87 प्रतिशत लोग फूस या चटाई की झोपड़ी में जीवनयापन कर रहे हैं।

सिंचाई

भारत निर्माण योजना में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2009 तक देश में और एक करोड़ हेक्यटेयर कृषि क्षेत्र में सदाबहार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प किया है। वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इस पर अगले साढ़े तीन साल में 67,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसका आधार बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रति हेक्यटेयर 75,000 रुपये की दर से और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्रति हेक्यटेयर 50,000 रुपये लागत दर का अनुमान है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री पुराने तालाबों, झीलों और जल संग्रह के अन्य पारंपरिक साधनों की मरम्मत और रख–रखाव की योजना का उदघाटन कर चुके हैं। इसके अलावा अपने निर्धारित समय से बहुत अधिक समय लगने के बावजूद पूरी नहीं हो पा रही बांध परियोजनाओं को पूरा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही नई परियोजनाओं का खाका बनना भी शुरू हो गया है। समय पर पूरी नहीं हो पा रही सिंचाई योजनाओं के लिए संप्रग सरकार ने वर्ष 2004 से सामान्य दर्जा प्राप्त राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में केंद्रीय सहायता देना शुरू किया है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए यह अनुपात 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में है। दिसंबर 2004 तक राज्यों को इस मद में 15,395 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

ग्रामीण आवास और बुनियादी ढांचा

नवीन पंत

रोटी और कपड़ों के बाद मकान या घर मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। घर की व्यवस्था करने के बाद ही मनुष्य घरवाली की सोचता है। घर ऐसा होना चाहिए जो घर वाले को सर्दी, गर्मी और बरसात से रक्षा कर सके। उसे सुरक्षा और निश्चितता प्रदान कर सके। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कच्चे मकानों में रहते हैं जो प्रतिकूल मौसम में उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करते। समाज के पीड़ित, दलित और शोषित वर्ग की स्थिति तो बहुत ही खराब है। अधिकांश गांवों में उन्हें गांव के बाहर जगह दी जाती है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीड़ित, शोषित और दलित वर्गों को आवास सुविधा प्रदान करने और मकानों की कमी दूर करने के लिए मई 1985 में जवाहर रोजगार योजना के भाग के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। जनवरी, 1996 में इसे पृथक योजना बना दिया गया।

योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों को मकान बनाने और उसमे सुधार लाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करना है। 1993 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य लोगों को भी इस योजना में शामिल कर दिया गया। तथापि, योजना की 60 प्रतिशत निधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकान निमार्ण में खर्च की जाती है। 1995–96 में योजना के लाभ रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं आदि और पूर्व रक्षा कर्मचारियों को भी उपलब्ध करा दिए गए।

योजना के लिए साधनों की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में की जाती है। दिसम्बर, 2004 तक इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ 21 लाख मकानों का निमार्ण किया जा चुका था और इन मकानों के निर्माण पर 21419.64 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे।

पिछली जनगणना (2001) के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ 49 लाख मकानों की कमी थी। अगर प्रति वर्ष 30 लाख मकान बनाए जाएं तो कुछ समय में यह कमी दूर की जा सकती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष औसतन 14/15 लाख मकान बनाए गए हैं। इस तरह प्रति वर्ष 15 लाख मकानों की कमी रह जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए मकान निर्माण की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लोगों की आवासीय सुविधा का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। इससे यह आशा बंधती है कि निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण की गति में तेजी आएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लागू होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण में तेजी आने की संभावना है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इस समय मकान बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 25 हजार रुपये और पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 27,500 रुपये की की अधिकतम सहायता दी जाती है। कच्चे मकानों को पक्का करने और सुधारने के लिए अधिकतम 12,500 रुपये की सहायता दी जाती है। जिले में पंचायतवार कितने मकान बनाए जाएं इसका फैसला जिला ग्रामीण एजेंसी करती है। ग्राम सभा पात्र परिवारों में से लाभार्थियों का चयन करती है।

योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए लाभार्थियों का चयन करते समय विधवाओं और अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। मकान बनाने के लिए ठेकेदार की सेवाओं का उपयोग नही किया जा सकता। मकान में स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा होना आवश्यक है। इनके न बनाए जाने पर सहायता राशि में क्रमशः 600 रुपये और 100 रुपये की कटौती कर दी जाती है। मकान आम तौर पर लाभार्थी महिला के नाम पर आवंटित किया जाता है। वैकल्पिक रूप में यह पति–पत्नी दोनों के संयुक्त नाम पर भी आवंटित किया जा सकता है। वर्ष 2004–05 में 17 लाख 76 हजार मकान बनाने का लक्ष्य था और इसके 2900 रुपये करोड़ की राशि आवंटित की गई थी लेकिन केवल 15 लाख हजार 222 मकान बनाए जा सके।

इंदिरा आवास योजना की 20 प्रतिशत निधि ऋण और सब्सिडी योजना के अंतर्गत मकानों को सुधारने पर खर्च की जा सकती है। 1,32,000 रुपये वार्षिक आय वाला व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थाओं से 50,000 रुपये तक का ऋण पा सकता है।

गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना

मनुष्य शरीर में जिस प्रकार नसें हृदय में रक्त पहुंचाकर उसे जीवित रखती हैं, उसी प्रकार सड़कें आवागमन की सुविधा प्रदान करके देश की सुख–समृद्धि में योगदान करती हैं। देश के अधिकांश गांवों में बारहमासी सड़कें नहीं हैं। वर्षा ऋतु में अच्छी सड़कों के अभाव में कुछ गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है।

सड़कों के अभाव में ग्राम अलग–थलग पड़ जाते हैं। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता और उपभोक्ताओं को वही वस्तुएं दोगने तिगुने दामों पर मिलती हैं। कोई सरकारी कर्मचारी–डाक्टर, अध्यापक, सहायक विकास अधिकरी, कृषि और बागवानी अधिकारी–ऐसे गांव में नहीं जाना चाहता जो पक्की सड़क से जुड़ी न हो। पक्की सड़क के अभाव में गांव का सर्वांगीण विकास रुक जाता है।

देश के सभी गांवों से पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई। यह एक केंद्रीय योजना है और इसका समूचा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। राज्य सरकारें सड़कों के रख–रखाव का खर्च उठाती हैं। योजना के अंतर्गत देश के एक हजार से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को तीन वर्ष के भीतर और 500 आबादी वाले गांवों को दसवीं योजना के अंत तक बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। पहाड़ी राज्यों, रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्रों में 250 आबादी वाले गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एक लाख 70 हजार गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की जरूरत है।

सड़क निर्माण का कार्य राज्यों के जरिए किया जा रहा है। सरकार ने इस कार्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी गठित की है। यह एजेंसी ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता, निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति, उनके प्रबंधन आदि के संबंध में तकनीकी सलाह देती है। इसी प्रकार राज्यों में ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां स्थापित की गई हैं। राज्य सरकारों और राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की ग्रामीण सड़क एजेंसियों को तकनीकी एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए आई आई टी स्तर की संस्थाओं से समझौते किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अच्छी और टिकाऊ सड़कें बनाई जाती हैं। सड़कों की तीन स्तर पर जांच की जाती है। सड़क निर्माता 5 वर्षों तक सड़क के रख–रखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। नई सड़कें बनाने के साथ पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम भी हाथ में लिया जाता है।

इस योजना के लिए धन की व्यवस्था डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर के उपकर में से की जा रही है। वर्ष 03–04 से हाई स्पीड डीजल पर कर 0.50 रुपये की वृद्धि की गई है। अतिरिक्त डीजल पर उपकर का 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दिया जा रहा है।

पेय जल

अधिकांश बीमारियां दूषित पानी पीने या आस–पड़ोस की गंदगी होती हैं। पेय जल राज्यों का विषय है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल की योजनाएं राज्यों द्वारा चलाई जाती हैं। केंद्र सरकार इन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकार का प्रयास है कि लोगों को पेय जल लेने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.6 किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर से अधिक न चलना पड़े।

दसवीं योजना में सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके लिए दो कार्यक्रम त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना–ग्रामीण पेय जल चलाई जा रही हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत 55067 शेष गांवों को जहां पेय जल की सुविधा नहीं है, 2008–09 तक यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार 31 मार्च, 2006 तक सभी ग्रामीण स्कूलों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। भारत निर्माण के अंतर्गत इस कार्य के लिए 41, 637 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार यह भी चाहती है कि पेय जल की आपूर्ति, व्यवस्था में गांव समाज–पंचायतें सक्रिय भागीदारी निभाएं। पेय जल परियोजनाओं की स्थापना का आंशिक खर्च और उसके रख–रखाव मरम्मत आदि का पूरा खर्च पंचायतें उठाए। देश के 26 राज्यों के 67 जिलों में यह योजना चलाई जा रही है और इसका स्वागत हुआ है।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

पानी, सफाई और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। दूषित पानी, जहां तहां शौच के लिए बैठने, जल निकासी की व्यवस्था न होने, यत्र–तत्र कूड़े के ढेर लगाने आदि से गंदगी और बीमारियां फैलती है इससे बाल मृत्यु की दर भी अधिक रहती है। इसे रोकने के लिए केंद्र ने गांवों में 1986 में केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम शुरू किया था। 1999 में इसमें बदलाव करके देश के 461 जिलों में संपूर्ण सफाई अभियान चलाया गया।

गांवों में 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 22 प्रतिशत मकानो में शौचालय संपूर्ण सफाई अभियान में सफाई की जागृत्ति पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार पर जोर दिया जाता है। स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए 625–1000 रुपये में शौचालय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्य के लिए 500 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती है। गांव क्षेत्र को साफ–सुथरा रखने के लिए 2 लाख रुपये से 50 लाख रुपए तक के निर्मल पुरस्कार दिए जाते हैं। संपूर्ण सफाई अभियान के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ 5 लाख निजी स्वच्छ शौचालय, एक लाख 20 हजार स्कूल शौचालय, 4325 सामुदायिक शौचालय और 18394 आंगनवाड़ी शौचालय बनाए गए हैं।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तरह बिजली, टेलीफोन, इंटरनेट और इनफार्मेशन टेक्नोलाजी सुविधाएं देने के लिए प्रयत्नशील है। इसके लिए वित्तमंत्री ने 2005–06 के बजट में 1,74,000 करोड़ रुपये की चार वर्षीय भारत निर्माण महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। इस दिशा में कार्य आरंभ हो गया है। इस योजना के कुछ कार्यक्रम निर्धारित समय में पूरे हो जाएंगे। लेकिन कुछ जैसे ग्रामीण सड़कों का निर्माण से जोड़ना, में कुछ अधिक समय लगेगा। यद्यपि, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास है, तथापि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार है)

आवास : ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार

अभिनय कुमार शर्मा

वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क बिजली एवं संचार की इस समय बेहद आवश्यकता है सरकार इस ओर पूरी तन्मयता से भी रत है लेकिन ये सभी आधारभूत सुविधायें उस समय तक अर्थहीन हैं जब तक कि इनको नियोजित करने हेतु ग्रामीणों के पास कोई बेहतर आधार न हो। यहां आधार से तात्पर्य है आवासीय सुविधा की उपलब्धता क्योंकि ग्रामीण अपनी आवासीय सुविधा से विहीन रहेंगे तो उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग करना तो उनके लिए संभव ही नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी कहना था कि ग्राम वासियों को उचित गृह सुविधा उपलब्ध कराने से ही उनको अपने रचनात्मक कार्यों (जैसे सफाई, ग्राम पंचायत, सड़क आदि) के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी अवस्था में वे मानसिक निश्चितता से अपने कल्याण के प्रति जागरूक रहते हैं। स्वातंत्रयोत्तर भारत सरकार ने गांधीजी के इस दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में प्रगतिशील कदम उठाए हैं। हालांकि अभी भी 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अपने आवास उपलब्ध नहीं हैं। परंतु दसवीं पंचवर्षीय योजना के 2002–07 अंत तक सरकार सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। इसी दिशा में 1998 में केंद्र सरकार ने नई आवास नीति भी घोषित की। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासनों, वित्तीय संस्थानों, अनुसंधान मानकीकरण संस्थाओं और तकनीकी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गयी है। आवासों के लिए वित्तीय रियायतों के साथ–साथ कानूनी प्रावधानों और नियमों में सुधार लाकर आवास क्षेत्र में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना भी नई आवास नीति का मुख्य उद्देश्य है।

आवास योजनाओं पर योजनागत व्यय

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आवास निर्माण पर कुल योजना व्यय का दो प्रतिशत से कम व्यय किया जाता रहा है जैसा कि तालिका–1 के अवलोकन से स्पष्ट है। आवास के लिए निर्धारित कुल योजनागत व्यय में से ग्रामीण आवास निर्माण पर अभी तक तुलनात्मक रूप से बहुत कम व्यय करने की प्रवृत्ति ही रही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1964–79 तक तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए निर्धारित कुल योजना व्यय का मात्र 11.5 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सका है। हालांकि छठी योजना 1980–85 में इसे बढ़ाकर 27.2 प्रतिशत किया गया। सांतवी योजना 1985–90 के दौरान ग्रामीण आवासों के लिए 576 करोड़ रुपये व्यय किये गये जो आवास क्षेत्र में निर्धारित कुल व्यय अर्थात 245.3 करोड़ रुपये का 23.5 प्रतिशत भाग था। आठवीं योजना में ग्रामीण आवासों हेतु 1334.1 करोड़ की राशि निर्धारित की

गई जो कुल आवास व्यय का 25.3 प्रतिशत हिस्सा थी। नौवीं योजना 1997–2002 में इसमें और भी अभिवृद्धि की गयी जो कुल आवास व्यय का 32.1 प्रतिशत रही। इस प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आवासों के लिए 6041.2 करोड़ रुपये की भारी राशि व्यय की जा सकी। देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में निवास करती है अतः ऐसी स्थिति में आवास योजनाओं में ग्रामीण आवास को विशेष महत्व दिया जाना नितांत आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विभिन्न आवासीय योजनाएं

जैसा कि अभी वर्णन किया गया कि भारत सरकार ने इस क्षेत्र में उतरोत्तर प्रगतिशील कदम उठाये हैं जिसमें ये इंगित होता है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। इसी मानसिकता के तहत उसने बहुत सी योजनाएं संचालित की हैं। उनका अवलोकन भी प्रासंगिक होगा।

इंदिरा आवास योजना–देश के 5,80,781 गांवों में रहने वाले गरीबों की आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मई 1985 में जवाहर योजना की एक उपयोजना के रूप में लागू किया गया। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों को सुधारने में सहायता प्रदान करना है। इस हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1995–96 से इंदिरा आवास योजना के लाभ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं या निकतम संबंधी को भी दिये जाने लगे हैं। योजना के दायरे में भूतपूर्व सैनिकों तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवा निवृत्त सदस्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। योजना के अंतर्गत तीन प्रतिशत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने

तालिका–1

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आवास क्षेत्र में योजना व्यय

क्रम संख्या	योजनावधि	कुल योजना कुल व्यय (करोड़ रुपये)	आवास क्षेत्र का कुल व्यय (करोड़ रुपये)	आवास क्षेत्र का कुल व्यय (करोड़ रुपये)	ग्रामीण क्षेत्र का कुल व्यय (करोड़ रुपये)	कुल में ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत
1.	पहली योजना (1951–56)	1,960	38	1.96	–	–
2.	दूसरी योजना (1956–61)	4,672	90	1.93	1.0	11.1
3.	तीसरी योजना (1961–69)	8,579	110	1.28	1.3	11.5
4.	तीन वार्षिक योजनाएं (1966–66)	6,625	72	1.09	0.3	3.5
5.	चौथी योजना (1969–74)	15,779	189	1.20	5.8	3.1
6.	पांचवी योजना (1974–79)	39,426	494	1.25	54.8	11.1
7.	छठी योजना (1980–85)	97,500	1302	1.34	354.1	27.2
8.	सातवीं योजना (1985–90)	1,80,000	2453	1.36	576.5	23.5
9.	आठवी योजना (1992–97)	4,34,100	5273	1.20	1334.1	25.3
10.	नौवीं योजना (1997–2002)	8,59,000	18820	2.20	6041.2	32.1

वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गयी है। वर्ष 1985 से अब तक इस योजना के अंतर्गत 75 लाख मकान बनाये गये हैं जिन पर कुल 12,500 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं के विस्तार हेतु किये जा रहे प्रयासों को अधिक बल देते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवासों के निर्माण की योजना संचालित की गयी है। यह कार्य एक विस्तृत योजना के तहत किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवासों की कमी को दूर करना तथा इन क्षेत्रों के पर्यावरण के स्वास्थ्य विकास में सहायता देना है। इस योजना में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को सीधे धनराशि जारी की जाती है।

ग्रामीण आवासों के लिए ऋण एवं सब्सिडी की योजना

यह योजना एक अप्रैल 1999 से शुरू की गई है। ग्रामीण आवासों के लिए ऋण एवं सब्सिडी की योजना ऐसे ग्रामीण परिवारों को ध्यान में रखकर बनायी गयी जिनकी वार्षिक आमदनी 32,000 रुपये तक है लेकिन इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों की वरीयता दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में प्रत्येक पात्र परिवार को 10,000 रुपये की सब्सिडी तथा प्रति परिवार 40,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। स्वच्छ शौचालय और धुआ रहित चूल्हे प्रत्येक मकान में अभिन्न अंग बनाये गये हैं। योजना के लिए धनराशि का बटवारा केंद्र और राज्यों के बीच 75.25 के अनुपात में होता है।

समग्र आवास योजना

एक अप्रैल 1999 से समग्र आवास योजना के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की गयी है। यह एक व्यापक आवास योजना है जिसका उद्देश्य आवास स्वच्छता और पेयजल की समग्र व्यवस्था करना है। समग्र आवास योजना की गुणवत्ता में सुधार लाना है। प्रथम चरण में इस योजना को 24 राज्यों के 25 जिलों के प्रत्येक विकास खंड तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को विशेषकर जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास का अभिनव कार्यक्रम

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती, पर्यावरण–अनुकूल वैज्ञानिक, रूप से परीक्षित और प्रभावी स्वदेशी व आधुनिक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और समाग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अप्रैल 1999 से ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास का अभिनव कार्यक्रम शुरू किया गया है।

भारत निर्माण योजना

भारत निर्माण योजना जिसकी औपचारिक शुरुआत 16 मई, 2005 का हुई का उद्देश्य बुनियादी सरंचना से जुड़े छः प्रमुख क्षेत्रों को सुदृढ़ता प्रदान कर गांवों को विकास की धारा से जोड़ना है। इन छः प्रमुख क्षेत्रों में आवास भी शामिल हैं। अन्य क्षेत्र हैं–सिंचाई, सड़क, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख अतिरिक्त आवास का निर्माण किया जायेगा।

मूल्यांकन और मुद्दे

वर्ष 1998–99 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा आवास योजना का "एकीभूत मूल्यांकन" किया गया था जो मई 2001 में जारी किया गया। इस मूल्यांकन के अंतर्गत राज्यों से 53,153 व केंद्रशासित प्रदेशों से 590 लाभार्थियों का प्रतिदर्श चयन किया गया था। इस मूल्यांकन के निष्कर्ष निम्न हैं–

इस योजना द्वारा ग्रामीण समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एक बहुत बड़े भाग को आवास प्रदान किया गया। लगभग 3/4 लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा हुआ है। मकान की "ओक्यूपेन्सी" दर काफी ऊंची 96.74 प्रतिशत है जो यह सिद्ध करती है कि इस क्षेत्र में विनियोग उचित है। अधिकतर आवास निर्माण में पानी आसानी से उपलब्ध है। सामान्यतः लाभार्थी आवास इकाई से संतुष्ट हैं।

चिंता के बिंदु

27 प्रतिशत से अधिक मकान ठेकदारों द्वारा बनाये गये। वहां मकान पंचायतों द्वारा बनाये गये वहां भी लाभार्थियों की खास भागीदारी नही रही। राज्य स्तर पर लगभग 37 प्रतिशत परिवारों की आय 11,000/– रुपए से अधिक थी अर्थात वे गरीबी की रेखा से ऊपर थे। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति और गंभीर थी क्योंकि वहां पर लगभग 64 प्रतिशत की जिन्होंने योजना के अंतर्गत लाभ लिया, वार्षिक आय 11,000/– से अधिक थी गरीबी रेखा से ऊपर थे। इसका अर्थ यह हुआ कि काफी संख्या में उन परिवारों को लाभ नहीं मिला जिनको मिलना चाहिए था।

आवास इकाई को बनाने की लागत व इसके लिए प्राप्त अनुदान में काफी अंतर है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल लाभार्थियों में से 32–50 प्रतिशत लाभार्थी की योजनातंर्गत अनुदान को पर्याप्त मानते हैं।

प्रति लाभार्थी 20,000 रुपये की शत–प्रतिशत सब्सिडी के कारण काफी लोकप्रिय है, किंतु इससे ग्रामीण गरीबों की राजनीतिज्ञों और अधिकारीगणों पर निर्भरता में भी वृद्धि हुई है।

पति–पत्नी दोनों के नाम में मकानों को संयुक्त पंजीकरण की अनिवार्य व्यवस्था का भी बहुत से मामलों में पालन नहीं किया गया।

उपाय

लाभार्थियों को चयन प्रक्रिया की जानकारी देना व ग्रामसभा को सशक्त करना ताकि योग्य पात्र को लाभ मिले। समस्या साधनों की है। सब्सिडी के भरोसे गाड़ी नही चलने वाली दसवीं पंचवर्षीय योजना के ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर गठित कार्यदल ने सिफारिश की है कि 100 प्रतिशत सब्सिडी मात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ही हो बाकि वर्गों के लिए उचित ऋण व सब्सिडी स्कीम हो। ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास के लिए सूचना, शिक्षा व संचार पर जोर देने की जरूरत है।

निर्माण सामग्री की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए आवास का आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आवासीय लाभ के पात्र सही है अर्थात वह गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहा है लेकिन उसके पास स्वयं का प्लाट नहीं है जिस पर वह अपना मकान बना सकें। ऐसी स्थिति में उसे आवासीय लाभ नही मिल पाता। इसलिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत ऐसे पात्रों को प्लाट उपलब्ध कराये।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण आवास का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है साथ ही यह भी स्पष्ट है कि सरकार इसके प्रति कार्योन्मुख है। लेकिन अभी भी स्थिति उत्साहवर्द्धक न होकर केवल संतोषजनक है। अतः सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या पर वृहत कार्य योजना लागू करें। स्थायी कार्यपालिका पर सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि सरकार तो योजना बना देती है और उनके लिए धनराशि भी आवंटन कर देती है लेकिन योजना चाहे कितनी अच्छी क्यों न हो लेकिन जब तक क्रियान्वयन प्रभावी न हो तो सब कुछ अर्थहीन है और क्रियान्वयन स्थायी कार्यपालिका यानि प्रशासन के हाथ में होता है। इस कार्य के लिए सरकार के साथ ग्रामीण आवासीय निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत सभी "स्टेक होल्डर" की वचनबद्धता की जरूरत होना भी प्रासंगिक है। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, विंग 'ए' गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम

मानव के जीवन निर्वाह के लिए आवास बुनियादी जरूरतों में से एक है। एक साधारण नागरिक के लिए आवास उपलब्ध होने से उसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। एक बेघर व्यक्ति को आवास उपलब्ध हो जाने से उसके अस्तित्व में सामाजिक परिवर्तन आता है तथा उसकी पहचान बनती है और इस प्रकार, वह शीघ्र ही अपने सामाजिक वातावरण से जुड़ जाता है।

विभाजन के पश्चात शरणार्थी पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों हेतु एक आवास कार्यक्रम बनाया गया था जो 1960 तक चला, जिसके अंतर्गत मुख्यतः उत्तरी भारत में स्थित विभिन्न केन्द्रों में लगभग 5 लाख परिवारों को बसाया गया था। सामुदायिक विकास आंदोलन के भाग के रूप में 1957 में एक ग्राम आवास योजना भी शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सहकारी समितियों को प्रति आवास 5000/– रु. की अधिकतम राशि का ऋण मुहैया कराया गया था। तथापि, इस योजना के तहत 5वीं योजना के अंत (1980) तक केवल 67,000 मकान बनाए गए थे। 1972–73 में लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने अपनी 37वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि "समिति को जानकर खेद हुआ है कि हालांकि भारत की 83 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और लगभग 73 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या असंतोषजनक कच्चे ढांचों में रहती है, फिर भी सरकार ने ग्रामीण आवास की समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है।" इसके उपरांत सरकार ने कुछ कदम उठाए जिसमें आवास स्थल और निर्माण सहायता योजना चलाना शामिल है जो चौथी योजना में एक केन्द्रीय योजना के रूप में शुरू हुई और जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् पर 1.04.1974 से राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित कर दिया गया था।

इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से हुई है, जो 1980 के शुरू में प्रारंभ हुए। 1980 में शुरू होने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और 1993 में शुरू होने वाले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य गतिविधियों में से एक गतिविधि आवासों का निर्माण था। हालांकि, राज्यों में ग्रामीण आवास के लिए कोई समरूप नीति नहीं थी। जैसे, कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम की निधियों में से निर्माण लागत का एक हिस्सा देना ही मंजूर किया और शेष राशि की पूर्ति लाभार्थियों द्वारा अपनी बचत अथवा स्वयं हासिल किए गए ऋणों से की जानी थी। दूसरी ओर अन्य राज्यों ने संपूर्ण खर्च को एन.आर.ई.पी./आर.एल.ई.पी.जी. की निधियों में से पूरा करना मंजूर किया। कुछ राज्यों में नए आवासों के निर्माण की मंजूरी दी जबकि कुछ ने लाभार्थियों के मौजूदा आवासों की मरम्मत की अनुमति दी। जून, 1985 में भारत सरकार ने एक घोषणा की जिसमें ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम निधियों के एक हिस्से को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बधुंआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु अलग रखा गया। इस घोषणा, के परिणामस्वरूप ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गांरटी कार्यक्रम की एक उप–योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना 1985–86 में शुरू हुई थी जो अप्रैल, 1989 में शुरू हुई जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना के रूप में जारी रही। जवाहर रोजगार योजना की कुल निधियों का छः प्रतिशत भाग इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया जाता था। वर्ष 1993–94 से इंदिरा आवास योजना के क्षेत्र को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर–अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को भी शामिल कर लिया गया तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों के आबंटन को राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कुल संसाधनों के छः प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया, परन्तु शर्त यह थी कि गैर–अनुसूचित जातियों/जनजातियों के गरीबों को दिया जाने वाला लाभ जवाहर रोजगार योजना के कुल आबंटन का चार प्रतिशत से अधिक न हो। इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग कर एक जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना बना दी गई है।

1999–2000 से जीर्ण–शीर्ण कच्चे मकानों को सुधारने के प्रावधान बना कर तथा गरीबों के कतिपय वर्गों को सब्सिडी के साथ ऋण देकर ग्रामीण आवास कार्यक्रम में सुधार लाने के अनेक प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण आवास में किफायती, आपदा–रोधी और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी बल दिया गया है।

व्यापक रूपरेखा तथा उद्देश्य

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को आवास मुहैया कराने के लिए इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है।

उद्देश्य

इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों तथा गैर– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण लोगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन में मदद करना है।

वित्तपोषण प्रणाली

इंदिरा आवास योजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में लागत को वहन करके वित्तपोषित किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में इस योजना के अंतर्गत समस्त निधियां भारत सरकार द्वारा दी जाती हैं।

लक्ष्य समूह

आईएवाई के अंतर्गत आवासों के लिए लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुओं मजदूरों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युद्ध में मारे गए सशस्त्र/अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की विधवाएं तथा संबंधियों (उनके आय मानदण्ड पर ध्यान दिए बिना), अन्य शर्तों को पूरा करने वाले भूतपूर्व सैनिक और अर्द्ध सैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए निधियों का निर्माण

जिले में योजना के अंतर्गत उपलब्ध नीतियां निम्नानुसार विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित की जाती हैं:

(i) एक वित्तीय वर्ष के दौरान आईएवाई के कुल आबंटन का कम से कम 60 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण/उन्नयन के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए अधिकतम 40 प्रतिशत।

(iii) शारीरिक तथा मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत।

यदि किसी जिले में कोई विशेष वर्ग समाप्त या उपलब्ध नहीं होता है तो दिशा–निर्देशों में दी गई वरीयताओं के अनुसार अन्य वर्गों के लिए आबंटन का इस्तेमाल केवल तभी किया जा सकता है जब उसे संबधित जिला परिषद्/डीआरडीए द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है।

कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य नीति

कार्यक्रम को जिला परिषदों/जिला ग्राम विकास एजेंसियों के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा तथा मकानों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।

लाभार्थियों की पहचान तथा चयन

लाभार्थियों का चयन

जिला पंचायत/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां किए गए आबंटनों तथा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए/उन्नयन किए जाने वाले मकानों की पंचायतवार संख्या का निर्धारण करेंगी। इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को देंगी। इसके बाद, ग्राम सभा दिशा–निर्देश के अनुसार पात्र बीपीएल परिवारों की सूची में से आबंटित लक्ष्यों तक लाभार्थियों का चयन करेंगी। ग्राम सभा का चयन अंतिम होता है।

किसी उच्च निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, जिला परिषदों/जिला ग्रामीण एजेंसियों तथा खण्ड विकास कार्यालयों को उनकी जानकारी के लिए चुने गए लाभार्थियों की सूची भेजी जाएगी।

लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकता

लाभार्थियों के चयन के लिए प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार है:

(i) मुक्त बंधुआ मजदूर।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, जो अत्याचारों से पीड़ित हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, जिनकी मुखिया विधवाएं तथा अविवाहित महिलाएं हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, जो बाढ़, भूकम्प, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं जैसे दंगों आदि से पीड़ित हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, जो अत्याचारों से पीड़ित हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्य परिवार।

(iii) कार्रवाई के दौरान मारे गए रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों की विधवायें/परिवार।

(iv) गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार।

(v) शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(vi) अर्द्ध सैनिक बलों के भूतपूर्व तथा सेनानिवृत्त कर्मचारी।

(vii) विकासात्मक परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्ति, खानाबदोश/अर्द्ध–खानाबदोश तथा निर्दिष्ट आदिवासी, शारीरिक/मानसिक अपंग सदस्यों वाले परिवार।

लाभार्थियों का चयन इस शर्त के आधार पर किया जाएगा कि (iii) के अलावा उपर्युक्त सभी वर्गों के परिवार गरीबी रेखा से नीचे हों।

लाभार्थियों की भागीदारी

मकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए। लाभार्थी निर्माण के लिए जरूरी निर्माण सामग्री की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं और अपने आप ही कुशल श्रमिकों को लगा सकते हैं तथा पारिवारिक श्रम का भी योगदान कर सकते हैं। लाभार्थियों को मकान के निर्माण के संबंध में पूरी स्वतंत्रता होगी। जिला परिषदें/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां लाभार्थियों के चाहने पर या आग्रह पर इस संबंध में उचित दर पर कच्ची सामग्री प्राप्त कराने में लाभार्थियों की सहायता कर सकती हैं। इससे लागत कम आएगी, निर्माण अच्छी गुणवत्ता का होगा, लाभार्थियों को संतोष होगा और वे मकान को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार मकान के उचित निर्माण का उत्तरदायित्व स्वयं लाभार्थियों पर ही होगा। इस कार्य का समन्वय करने के लिए जरूरी हो, तो एक समिति बनायी जा सकती है। समिति का मकानों के डिजाइन में जोखिम रोधी विशेषताएं शामिल करने की सलाह दी जाएगी।

मकानों का आवंटन

मकानों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होना चाहिए। विकल्पतः इसे पति एवं पत्नी दोनों के नाम आवंटित किया जा सकता है।

इंदिरा आवास योजना के आवासों की इकाई लागत

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के आवासों के निर्माण तथा सुधार के लिए इकाई लागत

नए आवास के निर्माण तथा बेकार कच्चे आवास के सुधार के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति इकाई लागत में सहायता अनुदान की सीमा इस प्रकार है:–

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र
क) स्वच्छ शौचालय एवं धुआंरहित चूल्हा सहित आवास का निर्माण	25,000/– रुपये	27,500/– रुपये
ख) बेकार आवासों का सुधार	12,500/– रुपये	12,500/– रुपये

स्वच्छ शौचालयों एवं धुआंरहित चूल्हों का निर्माण

इंदिरा आवास योजना के प्रत्येक आवास के साथ स्वच्छ शौचालय और धुआँरहित चूल्हा प्रदान किया जाएगा। शौचालय का निर्माण आई. ए.वाई. आवास से लाभार्थी की भूमि पर ही किया जाना चाहिए। जहां संभव हो, स्वच्छ शौचालय के प्रावधान के लिए संपूर्ण स्वच्छता अभियान से निधियां प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए जिससे कि आई.एवाई. आवास के निर्माण के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके। यदि किसी कारणवश लाभार्थी स्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं कर पाता है तो नए आई.ए.वाई. आवास के निर्माण के लिए या बेकार कच्चे आवास के सुधार के लिए दी जाने वाली सहायता में से 600/– घटा दिए जाएंगे। इसी तरह, जहां धुआंरहित चूल्हा संभव नहीं है वहां यह कटौती 100/– रुपये होगी।

आई.ए.वाई. लाभार्थियों के लिए ऋण

आई.ए.वाई. के अंतर्गत दी गई सहायता के अतिरिक्त नए आई.ए. वाई. आवासों के निर्माण या बेकार कच्चे आवासों के सुधार के लिए बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण ग्रामीण विकास एजेंसियों की जिम्मेवारी होगी कि वे इच्छुक लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ समन्वय बनाएं।

ग्रामीण आवासों के निर्माण/सुधार के लिए ऋण–सह सब्सिडी

वर्तमान कच्चे आवासों के सुधार के लिये तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण के साथ आवासों के निर्माण हेतु सब्सिडी के लिए कुल निधि में से 20 प्रतिशत तक का उपयोग किया जा सकता है। ऋण–सह–सब्सिडी निम्न शर्तों पर प्रदान की जाएगी :–

(i) ग्रामीण परिवार जिनकी वार्षिक आय मात्र 32,000/– रुपये तक है।

(ii) योजना के अंतर्गत सब्सिडी की सीमा 12,500/– रुपये प्रति परिवार होगी।

(iii) इस योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा मात्र 50,000/– रुपये होगी। ऋण का प्रबंध पैरा 3.3 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप होगा।

इंदिरा आवास योजना का स्थल

इंदिरा आवास योजना की आवासीय इकाइयां सामान्यतः गांव की मुख्य बसावट में निजी प्लॉटों पर बनाई जानी चाहिए। एक बसावट के अंदर एक समूह के रूप में भी आवासों का निर्माण किया जा सकता है जिससे कि आंतरिक सड़क, नाली, पेयजल आपूर्ति आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास तथा अन्य समान सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल सके। इस बात का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए कि आई. ए.वाई. के अंतर्गत आवास गांव के निकट हों और ज्यादा दूर नहीं हों, जिससे कि सुरक्षा और निश्चितता, कार्यस्थल से नजदीकी तथा सामाजिक संबंध सुनिश्चित हो सके। यथासंभव यह स्थल आपदा प्रवण क्षेत्रों जैसे बाढ़ की अधिकता वाले क्षेत्रों में नहीं होना चाहिए। ❑

(साभार : ग्रामीण विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2004–05)

उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कार्यों की मंजूरी

उत्तरांचल में राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न खंडों के मरम्मत के कार्य को मंजूरी दी है। इन कार्यों पर 20 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आएगी।

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 125 सितारगंज–पिथौरागढ़ रोड (जगपुरा पुल से पिथौरागढ़ खंड तक) के 38.400 किमी से 48 किलोमीटर खंड के मार्ग को चौड़ा करने और इसे मजबूत करने के कार्य के लिए 480.20 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

रामपुर–नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग–87 पर काठगोदाम (नैनीताल) के नजदीक 24 मीटर के गिर्डर पुल के निर्माण के लिए 103.86 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

खानपुर से उत्तर प्रदेश सीमा स्थित लक्सर–दल्लावाला रोड़ के दो किमी. के टुकड़े को चौड़ा करने ओर मरम्मत कार्य के लिए 486.62 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि अंतरराज्यीय संपर्क के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत मंजूर की गई है।

इसके अलावा राज्य के ज्यौलीकोट–अल्मोड़ा–पांडुखाल मोटर मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग–87) के एक किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच के खंड के मरम्मत कार्य के लिए 497.63 लाख रुपए मंजूर किए गए है। ❑

इंदिरा आवास योजना : स्वच्छ शौचालय निर्माण

जे.एन.सिंह

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सुविधाजनक आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में 1985–1986 से इंदिरा आवास योजना संचालित की गयी थी। प्रारंभ में यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अवमुक्त बंधुआ मजदूरों को शत–प्रतिशत अनुदान के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही थी। वर्ष 1993–1994 से गैर अनुसूचित जातियों के ग्रामीण करीब तथा युद्ध में मारे गये सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। इनमें से तीन प्रतिशत मकान ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग परिवारों के लिये भी आबंटित किये गये, लेकिन इन सभी को 40 प्रतिशत तक ही सीमित रखा गया। उस समय प्रदेश के सामान्य क्षेत्र के व्यक्तियों के लिये 9000 रुपये तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिये 10800 रुपये का प्रावधान किया गया था। यह व्यवस्था 1989–90 तक रखी गयी थी, इसमें वर्ष 1985–86 से वर्ष 1989–90 की अवधि में 113.25 करोड़ रुपये व्यय करके 1,24,185 मकान निर्मित कराये गये थे। वर्ष 1990–91 से मकान निर्माण के लिये यह धनराशि बढ़ा कर सामान्य तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए क्रमशः 12,700 रुपये तथा 14,500 रुपये कर दी गयी। यह व्यवस्था वर्ष 1995–96 तक रही। वर्ष 1996–97 से इस योजना के अंतर्गत आवासीय व्यवस्था हेतु यह धनराशि बढ़ाकर 20 एवं 22 हजार रुपये कर दी गयी और यही व्यवस्था अभी तक लागू है। यहां यह उल्लेख्य है कि सम्पूर्ण धनराशि में करीब 3000 रुपये स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु अन्तर्निहित था।

कार्यक्रम प्रगति

उत्तर प्रदेश में इस योजना के प्रारंभ से अब तक इंदिरा आवासों के निर्माण का कार्य निर्बाध गति से चल रहा है। वर्ष 1991 से 1995 की अवधि में रु. 430.72 करोड़ व्यय करके ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लगभग 3,59,394 मकान निर्मित कराये गये। वर्ष 2000–01 के अंत तक रु. 2026.71 करोड़ की लागत से करीब 12.57 लाख मकान बनाये गये। इस प्रकार की प्रगति ग्रामीण गरीबों के लिए आवासीय व्यवस्था में एक मील का पत्थर कही जा सकती है। इससे भी ज्यादा उत्साहवर्धक बात यह परिलक्षित होती है कि इतने ही स्वच्छ शौचालयों का निर्माण हो गया होगा, जो आगे चलकर भविष्य में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में चार चांद लगा देगा। मूल्यांकन कार्य से एक लंबी अवधि से संबंद्ध रहने के कारण लेखक की सहज ही यह जिज्ञासा हुई कि इसकी प्रगति–समीक्षा इस प्रकार की जाय, जिससे यह उभरकर सामने आ

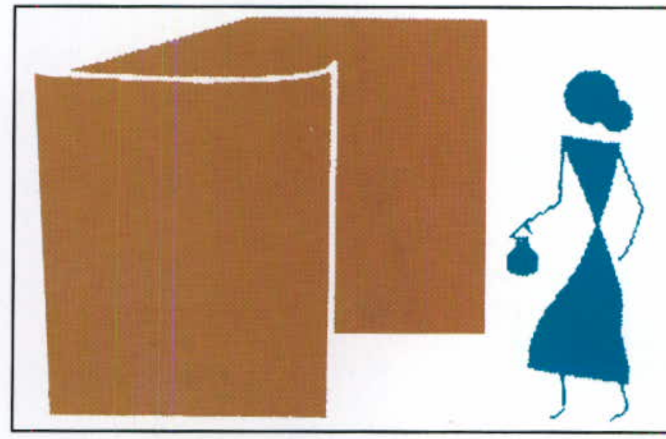

सके कि ग्राम्य विकास विभाग का यह मान लेना कहां तक युक्तिसंगत है कि जितने इंदिरा आवास बनते हैं, करीब–करीब उतने ही स्वच्छ शौचालयों का निर्माण हो जाता है।

प्रगति समीक्षा

कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंद्ध विभागों के प्रकाशित विवरण में सम्भवतः कहीं भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल सका कि योजना के अंतर्गत इंदिरा आवासों के निर्माण के साथ–साथ कितने स्वच्छ शौचालय बनाये गये और उनमें से कितने लक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं। केवल इस बात का उल्लेख कर देना समीचीन नहीं प्रतीत होता कि इंदिरा आवासों के निर्माण की दूसरी किश्त स्वीकृत ही तभी की जाती, जबकि यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि व्यक्ति विशेष द्वारा स्वच्छ शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस संबंध में लेखक का व्यावहारिक अनुभव इसके विपरीत था। अंततोगत्वा लेखक द्वारा इंदिरा आवास योजनान्तर्गत स्वच्छ शौचालय निर्माण का मूल्यांकन कर लघु स्तर पर वस्तुस्थिति सामने लाने का निर्णय लिया गया, जिसे कार्यरूप में परिणत करने के लिए कतिपय संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करके पूर्ण किया गया।

अध्ययन पद्धति

यह मूल्यांकन अध्ययन सर्वेक्षण पद्धति पर आधारित है। इस अध्ययन के अंतर्गत सीमित संसाधनों के कारण प्रदेश के तीन जनपदों से तीन विकास खण्डों की करीब 20 ग्राम सभाओं का 'रैण्डम सैम्पलिंग' विधि के आधार पर चयन किया गया। इन ग्रामों के योजना के अंतर्गत लाभान्वित 150 परिवारों का चयन करके स्थलीय निरीक्षण एवं परिवार के मुखिया का साक्षात्कार किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधानों,

ग्राम पंचायत के सदस्यों एवं ग्राम समुदाय के अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा संबंद्ध कर्मियों से विचार–विमर्श किया गया। योजना के अंतर्गत आबंटन संबंधी विवरण यद्यपि तीन वर्षों (1998–1999 से 2000–2001) के लिये गये, किंतु कार्य समीक्षा केवल प्रथम दो वर्षों (1998–99 से 1999–2000) तक ही सीमित रखी गयी। चयनित जनपदों के अंतर्गत तीन विकास खण्डों की 121 ग्राम सभाओं के कुल 1647 परिवारों को संदर्भित तीन वर्षों में इंदिरा आवास एवं स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु धनराशि आबंटित की गई थी। प्रथम दो वर्षों (1998–1999 एवं 1999–2000) में सदर्भित विकास खण्डों की 93 ग्राम सभाओं के 1268 परिवारों में से 785 अनुसूचित जातीय एवं 433 सामान्य जातीय परिवार थे, अर्थात अनुसूचित जाति एवं सामान्य जाति का 60:40 का प्राविधानित अनुपात बरकरार है। अध्ययन के अंतर्गत इन्हीं 1268 परिवारों में से 150 परिवारों का इस प्रकार चयन किया, जिससे सामान्य एवं अनुसूचित जातीय परिवारों का सामान्य प्रतिनिधित्व हो जाय। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का सांगोपांग विश्लेषण करके एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया गया। इसके सर्वजनीन उपयोग हेतु इसकी उपलब्धियां सार संक्षेप रूप में इस लेख के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की उपलब्धियां

● **शौचालय निर्माण**– अध्ययन के अंतर्गत चयनित यद्यपि सभी 150 लक्षित परिवारों द्वारा इंदिरा आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, किंतु स्वच्छ शौचालय का निर्माण केवल 135 परिवारों (90 प्रतिशत) द्वारा ही कराया गया। निर्मित शौचालयों में से केवल 75 शौचालय (करीब 55 प्रतिशत) निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित थे, अर्थात इनमें मानकों में से अनिवार्यता के अनुसार चार मानक यथा सोकपिट, सण्डास, दीवार/छत/फर्श एव सोकपिट कवर का सही निर्माण कर लिया गया था। शौचालय में दरवाजा बिरले ही लाभार्थियों द्वारा लगवाया गया था। फूस की टट्टियां या कपड़े/बोरे का पर्दा लगाकर दरवाजे का विकल्प बनाया गया था।

स्वच्छ शौचालय न बनाये जाने अथवा मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य न कराये जाने के कारणों के विषय में लाभार्थियों द्वारा सूचित किया गया कि उनका पूरा ध्यान आवास निर्माण पर केंद्रित था। स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी ओर वे येन–केन–प्रकारेण शौचालय निमित्त 3000 रुपये की धनराशि सरकार से प्राप्त कर लेना चाहते थे। क्षेत्रीय कर्मियों ने भी उपरोक्त कारणों की पुष्टि के अतिरिक्त यह भी बताया कि शौचालय निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण लाभार्थी केवल खानापूरी करके 3000 रुपये की धनराशि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उन्हें यह आशंका रहती है कि यदि वे शौचालय नहीं बनायेंगे, तो उनसे अनुदान वापस ले लिया जाएगा। इसलिये उन्हें यह औपचारिकता पूरी करनी पड़ती हैं और प्रारंभ से ही इस दिशा में उनकी गंभीरता दृष्टिगोचर नहीं होती।

निर्धारित मानक के अनुसार कार्य पूर्ण न करने के संबंध में कार्यक्रम कार्यान्वियनकर्ताओं द्वारा बताया गया कि स्वच्छ शौचालय निर्माण हेतु यद्यपि सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं, तथापि इनका निर्माण स्वीकृत लागत में ऐसा होना चाहिये कि लाभार्थी परिवार यदि उसके प्रयोग के विषय में अभिरुचि रखता है और इसका प्रयोग करना चाहता है, तो निर्मित शौचालय का भौतिक स्वरूप उसमें बाधक न हो। साथ ही जो निर्माण कार्य हुआ है वह ऐसा हो कि हर ऋतु में उसके प्रयोग में कठिनाई न हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यकर्ताओं, विशेषकर सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से विचार–विमर्श करने पर यह ज्ञात हुआ कि सामान्य तौर पर वे लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु कम से कम लागत में सोकपिट, सण्डास (सीट), पावदान, दीवार/छत/फर्श एवं दरवाजा लगाने के लिये मार्ग निर्देशित करते हैं। इसकी कुल लागत 3100 रुपये आकलित की गई थी। लाभार्थी इस आधार पर दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली लागत के कारण स्वीकृत रु. 3000 की धनराशि कम बताता है। वह यह भूल जाता है कि उसे कम से कम शारीरिक श्रम का योगदान तो करना ही है।

लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु निर्धारण मानकों का अनुपालन न किये जाने के कारणों के विषय में क्षेत्रीय विकास कार्यकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित कारण बताये गयेः–

- अधिकांश लाभार्थी स्वच्छ शौचालय की अनिवार्यता महसूस नहीं करते।
- शौच के लिये उनकी बाहर जाने की आदत।
- लाभार्थियों की शौचालय निर्माण हेतु प्रायः उपयुक्त स्थल चयन में कठिनाई आती है। इसलिये वे केवल खानापूर्ति करके अनुदान की धनराशि प्राप्त कर लेना चाहते हैं और आवश्यक मानकों को वे कोई महत्व नहीं देते।

● **शौचालय उपयोग**– इंदिरा आवास निर्माण कार्य से संबद्ध रहने के कारण शौचालय निर्माण करने की औपचारिकता तो लक्षित वर्ग द्वारा निभाई गयी, किंतु इस प्रकार की संबद्धता उनके उपयोग करने तक न थी। अतएव बहुत कम लाभान्वितों द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा था। वस्तुतः अधिकांश मामलों में शौचालयों का निर्माण ही इस प्रकार का नहीं था कि इनका प्रयोग किया जा सके, जैसा कि पिछले प्रस्तरों में उल्लेख किया जा चुका है।

अध्ययनरत चयनित 150 लाभार्थियों में से यद्यपि 128 द्वारा शौचालयों का निर्माण करा लिया गया था, किंतु इनका उपयोग केवल 23 परिवारों (करीब 18 प्रतिशत) द्वारा ही किया जा रहा था। शेष 105 परिवारों द्वारा इनका उपयोग इतर प्रयोजनों में किया जा रहा था। इनमें से करीब 60 प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालयों में उपले अथवा भूसा भरा जा रहा था। करीब 10 प्रतिशत परिवारों द्वारा महिला स्नानागार के रूप में इनका उपयोग किया जा रहा था। शेष करीब 30 प्रतिशत परिवारों द्वारा इनका उपयोग अन्य कार्यों के लिये किया जा रहा था।

ग्राम प्रधान एवं अन्य जागरूक व्यक्तियों तथा विकास कर्मियों से विचार–विमर्श करने पर यह उजागर हुआ कि प्रतीक ग्रामों में अधिकांश सुलभ शौचालय पूर्व में पंचायत राज विभाग के सहयोग से ऐसे कुछ संभ्रात परिवारों द्वारा बनवाये गये हैं, जिनमें महिलाओं के शौच के लिए बाहर जाने की परंपरा नहीं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामों में विद्यमान शुष्क शौचालयों की सफाई के लिए धीरे–धीरे सफाई कर्मियों की कमी होती जा रही है, अतएव मौका मिलने पर समर्थ व्यक्तियों द्वारा सुलभ शौचालय बनवा लिये गये। शहरी किनारों पर बसे ग्रामों में भी लोग शौचालय बनवा रहे है, ताकि उन्हें किरायेदार मिल सकें। ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश परिवार अब भी शौच के लिए बाहर जाते हैं। इसलिये संदर्भगत योजना के अंतर्गत निर्बल वर्ग के लाभार्थियों द्वारा स्वच्छ शौचालय प्रयोग न करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

स्वच्छ शौचालय के प्रयोग के विषय में सामान्यतः उदासीनता पायी गयी और यह पाया गया कि सामान्य जनता में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वच्छता के विषय में जागरूकता न के बराबर थी। प्रधान तथा पंचायत के सदस्यों में भी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय निर्माण के कार्यक्रम की ग्राह्यता भी वांछित सीमा तक नहीं पायी गयी। पंचायत राज विभाग द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का जो प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है, उसका वांछित प्रभाव इन प्रतीक ग्रामों में दृष्टिगोचर नहीं हुआ। इंदिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि आवासों के साथ जल–व्यवस्था, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण स्वच्छता संबंधी कार्य भी इस योजना के साथ अभिसारीकरण (कन्वरजैंस) के रूप में किये जाएंगे, किंतु इस प्रकार का समेकित प्रयास कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। स्वच्छ शौचालय तथा धूम्ररहित चूल्हे को 'टाइ–अप' करने का निर्देश भी दिया गया है, किंतु अधिकांश आवासों में जिनमें स्वच्छ शौचालय भी निर्मित हो चुके थे, कहीं भी धूम्ररहित चूल्हा नहीं लगाया गया था। स्वच्छ शौचालय के प्रयोग की इस प्रकार की स्थिति के कारणों के विषय में विभिन्न स्तरों पर किये गये विचार विमर्श से निम्न तथा उभरकर सामने आयेः

- लगभग 90 प्रतिशत परिवार शौचालय के प्रयोग के बारे में उदासीन थे, क्योंकि उन्हें खुली जगह में शौच जाने की आदत है और इस आदत को वे बदलने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
- अधिकांश परिवारों ने बताया कि बाहर शौच जाने से घर में किसी प्रकार की दुर्गन्ध तथा गंदगी नहीं होती है। चूंकि उनके संस्कार ऐसे हैं कि वे शौचालय तथा रहने के स्थान को अलग रखना चाहते हैं और स्वच्छता तथा पवित्रता की अवधारणा गहरी होने के कारण एक छोटे से कमरे में, जहां घर के शेष सभी कार्य भी करने होते हैं, शौचालय का प्रयोग करने को मानसिक तौर पर तैयार नहीं है।
- लाभार्थी परिवार को शौचालय का स्थान स्वच्छ व दुर्गन्धरहित रखने के लिये काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बाहर से पानी लाने तथा उसके भण्डारण हेतु उपर्युक्त बर्तनों की व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।
- शौचालय का आकार छोटा होने के कारण भी उसका उपयोग नहीं कर पाते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्रता एवं स्वच्छता की अवधारणा के कारण लोग शौच स्थान को आवास से दूर रखना चाहते हैं।
- ग्रामीण स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के विषय में जागरूकता की कमी तथा बाहर जाने के मल के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों के विषय में पूर्ण अज्ञानता।
- पर्याप्त पानी की अनुपलब्धता, शौचालय के रखरखाव की समस्या।
- साधन विहीनता / गरीबी तथा निरक्षरता।

संस्तुतियां

- लाभार्थियों का चयन करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवास निर्माण हेतु आवश्यक कम से कम 20 वर्ग मीटर स्थल के साथ ही स्वच्छ शौचालय, धूम्ररहित चूल्हा एवं अन्य आधारभूत अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु पर्याप्त स्थल एवं परिवेश उपलब्ध है। आवश्यक नहीं है कि गरीबतम परिवारों के पास इस प्रकार की व्यवस्था हो ही, अतएव ग्राम पंचायत का यह दायित्व भी बन जाता है कि पंचायत उसे आवश्यक परिवेश एवं स्थान उपलब्ध कराये, जिससे कि इसके अभाव में उसे सरकारी सुविधा से आवश्यक अवस्थापना के निर्माण हेतु सुलभ कराये जाने वाले वित्तीय संसाधन से विमुख न होना पड़े।
- संबंधित विकासकर्मी एवं पंचायत कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष को योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति देने के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि लाभार्थी आवासीय निर्माण के साथ–साथ स्वच्छ शौचालय इत्यादि के निर्माण के लिये तत्पर भी है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की ग्राह्यता के पूर्व व्यक्ति विशेष की समझ एवं उसका कार्यक्रम के प्रति आश्वस्त होना पूर्वापेक्षित है। केवल औपचारिक रूप में शपथ–पत्र भरा लेना ही पर्याप्त नहीं है।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं का निश्चित रूप से यह दायित्व बनता है कि लक्षित व्यक्ति को पूर्ण रूप से लाभार्थी बनाया जाए। आवास निर्माण कराने वाला व्यक्ति तब तक लाभार्थी नहीं होता, जब तक कि स्वच्छ शौचालय एवं अन्य आवश्यक परिवेशों का निर्माण कराकर उसके द्वारा स्वच्छ पर्यावरण का सृजन नहीं कर लिया जाता है। कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताओं के कर्तव्यों की इतिश्री केवल प्रथम किश्त के कार्य की प्रगति देखकर द्वितीय किश्त की धनराशि उपलब्ध कराने से ही नहीं हो जाती, वरन् उन्हें यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि द्वितीय किश्त की धनराशि का भी सदुपयोग किया जाता है। उन्हें इस बात से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि लाभार्थी द्वारा शौचालय निर्माण न कराने पर उनके द्वारा स्वयं इसका निर्माण करा दिया जायेगा, क्योंकि संदर्भगत अध्ययन के ही अंतर्गत कुछ एक दृष्टांतों में विकास खण्ड कर्मियों द्वारा स्वच्छ शौचालय बनवाया गया, लेकिन यह भी उपयोगी न होकर केवल औपचारिक ढांचा मात्र रह गया। इसका प्रमुख कारण लाभार्थी का उदासीन अथवा असहयोगी रहना कहा जा सकता है।

- लक्षित वर्ग वातावरणीय स्वच्छता की संस्कृति को अपना सके, इसके लिये उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाए, जिसमें लक्षित वर्ग का कार्यक्रम संचालकों के प्रति विश्वास एवं आस्था भी सृजित हो, इसके लिए जन–जन में जागरूकता प्रदान करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं अन्य सशक्त माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है।
- ग्राम पंचायतें अपना दायित्व स्थल आबंटन तक ही सीमित न समझें। पंचायत की निर्माण समिति आवास निर्माण एवं शौचालय निर्माण में भी सहायता करें। श्रेयस्कर होगा कि ग्राम पंचायतें पंचायत उद्योग के माध्यम से शौचालय के लिए आवश्यक सामग्री तैयार कराकर जरूरतमंदों को कम मूल्य पर उपलब्ध करायें।
- शौचालय निर्माण हेतु सरकारी सहायता उपलब्ध कराने के साथ–साथ लाभार्थियों को श्रम अथवा धन का योगदान करने के लिए भी प्रेरित किया जाए। इससे उनका शौचालय निर्माण एवं उपयोग के प्रति लगाव भी बढ़ेगा।
- इंदिरा आवास योजना एवं उसके अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त की गई आर्थिक धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिये यद्यपि वर्ष 1998–1999 में एक नई कार्य संस्कृति के तहत मुख्य विकास अधिकारी को अपने तैनाती के जिले से दूसरे जिले में सत्यापन का दायित्व गया था तथा प्रदेश मुख्यालय स्तर पर एक विजिलेंस सेल भी गठित किया गया था, किंतु यह व्यवस्था कार्य रूप से परिणत होती हुई नहीं प्रतीत हुई, अतएव जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सुसगंठित ढंग से अनुश्रवण की व्यवस्था की जाए। विकल्प स्वरूप इसका समवर्ती मूल्यांकन कराने पर भी विचार किया जा सकता है।
- स्वच्छ शौचालय के निर्माण के लिये धनराशि सुनिश्चित की जाये। अच्छा होगा कि इसके निर्माण की वर्तमान लागत के परिप्रेक्ष्य में इसे निर्धारित किया जाए।
- स्वच्छ शौचालय को इंदिरा आवास योजना का एक अभिन्न अंग घोषित करना काफी नहीं है। बल्कि आवास पूर्ण तभी माना जाए, जब उसमें स्वच्छ शौचालय भी पूर्ण रूप से बनकर उपयोग में आने की स्थिति में पहुंच गया हो। विकास खण्ड कर्मियों को इसे सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा जाए।

इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा विभिन्न प्रदेशों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। जिससे कार्यक्रम के कमजोर एवं सशक्त पक्षों का विश्लेषण कर एक सशक्त सम्यक नीति निर्धारण हेतु ठोस सुझाव केंद्रीय सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किये जा सकें। ❑

(लेखक राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ (उ.प्र.) में वरिष्ठ मूल्याकंन अधिकारी रह चुके है)

राष्ट्रीय आवास कोष गठित करेगी सरकार

गरीबों को छत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये के योगदान से राष्ट्रीय आश्रय कोष गठित करने का निर्णय लिया है। यह कोष राष्ट्रीय आवास बोर्ड के तहत काम करेगा। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए उसमें योगदान करने वाली संस्थाओं और अप्रवासी भारतीयों को टैक्स में रियायत देने की भी सिफारिश राष्ट्रीय शहरी आवास नीति के प्रारूप में की गयी है। इस परियोजना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने नयी शहरी आवास नीति का प्रारूप तैयार किया है जिसमें कहा गया कि गरीबों के लिए पांच सौ करोड़ रुपये से आश्रय (शैल्टर) कोष गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय आवास बोर्ड के तहत काम करेगा। प्रारूप में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मकान के लिए प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं को बोर्ड के द्वारा ऋण दिया जाएगा। इस कोष को और मजबूत करने के लिए नयी नीति में बांड जारी करने की सिफारिश की गयी है जो कर रहित होगा।

नयी नीति में सिफारिश की गयी कि सरकार प्रारंभ में पांच सौ करोड़ की लागत से 'रिस्क फंड' की स्थापना की जाए और इस फंड को मजबूत करने के लिए आवास ऋण देने वाले ऋण का एक फीसदी रिस्क फंड में देगा। प्रारूप आवास नीति में निजी क्षेत्र से आग्रह किया गया है कि वे अपने लाभ का कुछ हिस्सा गरीबों को आशियाना मुहैया कराने में दें। जो भी प्राधिकरण और निजी बिल्डर मकान बनायें वह 20 से 25 फीसदी हिस्सा गरीबों के लिए छोड़ दे।

मंत्रालय द्वारा तैयार नीति में कहा गया है कि रियल स्टेट में विदेशी निवेश और अप्रवासी भारतीय को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए उन्हें बांड में धन जमा करने और निवेश करने पर कर में छूट दी जाए। देशी संसाधनों को अपर्याप्त देखते हुए गृह ऋण मुहैया कराने वाले कंपनियों को अंतराष्ट्रीय बाजार से पूर्णतः परिवर्तनीय वाणिज्य बांड के जरिए पैसा उगाहने की अनुमति दी जाए। इससे आवास क्षेत्र में ऋण उपलब्ध बढ़ेगी। ❑

सम्पूर्ण ग्रामीण स्वच्छता : एक विश्लेषण

पूर्ण सिंह यादव

स्वतंत्रता प्राप्ति के 58 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति की है। भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। हमने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। इसी समय में यहां हरित क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति आई तथा आज देश 'मोबाइल क्रांति' के दौर से गुजर रहा है। बड़े–बड़े बांधों, पुलों, इमारतों व चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है। साक्षरता दर जो 1951 में 16.67 प्रतिशत थी 2001 में 65.38 प्रतिशत हो गई है।

इतना सब प्राप्त करने के बाद भी एक विशिष्ट क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। और वह है स्वच्छता। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी दयनीय है। गांव के चारों ओर कूड़ा–करकट व गंदगी के ढेर लगे हैं। गलियों में कीचड़ व बेकार पानी फैला है। ग्रामीण तालाब जो कि कभी स्वच्छ जल का स्रोत होते थे, आज गंदगी से लबालब हैं। गांव के चारों तरफ खुले में शौच करते महिला, पुरुष एवं बच्चे एक अजीब दृश्य पैदा करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार केवल 22 प्रतिशत परिवारों के पास ही निजी शौचालय सुविधाएं उपलब्ध थीं।

यह स्थिति ढेर सारी खतरनाक बीमारियों का कारण है जैसे कि दस्त, पेचिश, हैजा, मलेरिया, पीलिया, हेपटाईटिस–बी, कृमी रोग व चर्म रोग। जिनसे अधिकतर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे व महिलाएं प्रभावित होते हैं तथा शिशु मृत्यु दर भी बढ़ती है।

ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास नहीं किए गये। 1986 से केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत निजी स्वच्छ शौचालय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। 01 अप्रैल 1999 से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की कार्यनीति में परिवर्तन करके संपूर्ण स्वच्छता अभियान का आरंभ किया जाना, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम है। जिसके तहत दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देशभर के सभी जिलों को कवर किया जाना है। यह एक "हार्डवेयर कार्यक्रम न होकर साफ्टवेयर कार्यक्रम" है जिसके तहत लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों एवं मानसिकता में बदलाव लाना है। ताकि वे स्वच्छता को अपनायें व समाज मे निजी शौचालयों संबंधी फैली भ्रांतियों को छोड़, घरों में निजी शौचालय बनाकर उनका उपयोग करें। इस लेख में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों, कार्यनीति, प्रगति के मद्देनजर, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तेजी लाने के सुझावों पर चर्चा की गई है।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रहन–सहन में सुधार लाना है। स्वच्छता को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए त्वरित गति से स्वच्छता कवरेज को बढ़ाना है। जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जन समुदाय में स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने के लिए परंपरागत मानसिकता को बदलकर उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अर्थात "कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु समाज में स्वच्छता की आदत" प्रोन्नत करना है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्वच्छता को एक अभियान के रूप में लागू करके 100 प्रतिशत घरों में सस्ते स्वच्छ निजी शौचालयों का निर्माण करवाना व उनका प्रयोग, 100 प्रतिशत स्कूलों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, सह–शिक्षा स्कूलों में बालक–बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालयों का निर्माण, 100 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण तथा सामुदायिक शौचालय काम्पलेक्सों के निर्माण, सही उपयोग व रख–रखाव की प्रणाली को विकसित करना है। अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपभोक्ताओं को सस्ती एवं अच्छे किस्म की निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 'उत्पादन केंद्र' तथा 'ग्रामीण स्वच्छता मार्ट' स्थापित किए जाने हैं।

यह कार्यक्रम 'आपूर्ति आधारित दृष्टिकोण' पर निर्भर न होकर 'मांग आधारित दृष्टिकोण' पर आधारित है। जिसमें स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने पर जोर है। कार्यक्रम ऊपर से लागू न होकर 'जन भागीदारी' से लागू किया जाना है। जिसमें केवल 'गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले' परिवारों को निजी शौचालयों के निर्माण के लिए अनुदान की जगह 600 रुपये प्रति परिवार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शेष सभी ग्रामीणों को निजी शौचालय बनाने हेतु प्रोत्साहित करना है। सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण इस कार्यक्रम की 'जीवन रेखा' है। जिसके तहत जन समुदाय में स्वच्छता की आदत डालने के लिए, उनमें स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, अस्वच्छता से उत्पन्न हानियों के बारे में प्रचार करना, स्वच्छता बनाये रखने के भिन्न–भिन्न तरीकों की जानकारी के लिए प्रचार–प्रसार के विभिन्न तरीकों जैसे कि अखबार, टी.वी., रेडियो, होर्डिंग, पेम्फ्लेट, लोक नृत्यों, नुक्कड़ नाटकों, प्रभात फेरियों का उपयोग करना शामिल है।

कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं महिला मण्डलों, स्वयं–सहायता समूहों तथा गैर–सरकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ गांवों को 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' योजना के तहत सम्मानित किया जाता है। जिसमें ग्राम पंचायतें, विकास खण्ड, जिले, व्यक्ति, संस्थाऐं शामिल हैं। जिसके लिए आवश्यक है कि पंचायत क्षेत्र में 100 प्रतिशत घरों में निजी शौचालय हों, संबंधित गांव/क्षेत्र 100 प्रतिशत खुले में शौच जाने से मुक्त हो। 100 प्रतिशत स्कूलों में स्वच्छ शौचालय बने हों। पर्यावरण स्वच्छ हो। गांव में गंदगी न हो। व्यक्ति एवं संगठन अपने–अपने भौगोलिक क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हों।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में स्थित जलआपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग द्वारा, 01 अप्रैल, 1999 से 31 अगस्त, 2005 तक 5596.88 करोड़ रुपये की लागत से 554 जिलों हेतु संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिसमें केंद्र, राज्य व लाभार्थी का हिस्सा क्रमशः 3323.00 करोड़ रुपये (59.37 प्रतिशत), 1258.96 करोड़ रुपये (22.49 प्रतिशत) तथा 1014.92 करोड़ रुपये (18.14 प्रतिशत) है। जिसमें से केंद्र व राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 1216.30 करोड़ रुपये (36.60 प्रतिशत) तथा 637.42 करोड़ रुपये (50. 63 प्रतिशत) जारी किये गये हैं। जारी की गई राशि में से क्रमशः 596. 00 करोड़ रुपये (49 प्रतिशत) तथा 323.24 करोड़ रुपये (50.71 प्रतिशत) खर्च हुए हैं। जो कि कुल आबंटन का क्रमशः 17.94 प्रतिशत तथा 25.67 प्रतिशत है। यदि लाभार्थी के हिस्से को खर्चे में शामिल कर लिया जाये तो कुल खर्चा 1331.14 करोड़ रुपये हुआ है जो कुल अनुमोदित लागत का 23.79 प्रतिशत है।

यदि भौतिक प्रगति देखें तो 45795186 'गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले' परिवारों के निजी शौचालय निर्माण के लक्ष्य के बदले केवल 11975146 (26.15 प्रतिशत) तथा 'गरीबी की रेखा से ऊपर' रहने वाले 40242696 परिवारों के के निजी शौचालयों के निर्माण के बदले केवल 4272735 (10.62 प्रतिशत) का निर्माण हुआ है। 33263 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के बदले केवल 4963 (14.92 प्रतिशत) का निर्माण हुआ है, 568779 स्कूल शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के बदले 1561175 (27.46 प्रतिशत) स्कूल शौचालयों का निर्माण हुआ है। 170522 बालवाड़ी शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के मुकाबले 26354 (15.45 प्रतिशत) का निर्माण हो सका है। तथा 4192 उत्पादन केंद्र/ग्रामीण स्वच्छता मार्ट स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले 4286 (102.24 प्रतिशत) स्थापित किए जा चुके हैं। यदि इस बिन्दु का विश्लेषण करें, कि 554 परियोजनाओं में से किस–किस वर्ष में कितने जिलों की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं तो पता चलता है कि वर्ष 2001–02 तक 111 जिलों की परियोजनाएं स्वीकृत हुई, 2002–03 में 154, 2003–04 में 133, 2004–05 में 53 तथा वर्ष 2005–06 में अब तक 103 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

हरियाणा राज्य के सभी 20 जिलों (नये जिले मेवात को शामिल करके) हेतु 31 मार्च, 2004 तक 96.09 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। जिसमें से अब तक केवल 13.81 करोड़ रुपये (14.37 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई है। तथा 'गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले' परिवारों के 549060 गरीबी की रेखा से उपर रहने वाले परिवारों के 322763 निजी शौचालयों के निर्माण लक्ष्य के बदले क्रमशः 148590 (27.06 प्रतिशत) तथा 113739 (35.92 प्रतिशत) का निर्माण हुआ है। 601 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य के बजाय 169 (27.75 प्रतिशत) का निर्माण हुआ है। 5043 स्कूल शौचालय निर्माण लक्ष्य के बदले 1632 (32.36 प्रतिशत) का निर्माण किया गया है। 4370 बालवाड़ी केंद्र निर्माण लक्ष्य के मुकाबले 1408 (32.22 प्रतिशत) का निर्माण किया गया है। तथा 111 के लक्ष्य के मुकाबले 38 (34.23 प्रतिशत) उत्पादन केंद्र/ग्रामीण स्वच्छता मार्ट स्थापित किये गए हैं। हरियाणा राज्य की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि भौतिक प्रगति प्रस्तुतीकरण में विसंगतियां हैं। क्योंकि वित्तीय उपलब्धियां भौतिक उपलब्धियों से आधी हैं। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि देशभर में कार्यक्रम के तहत प्रगति आशानुकूल नहीं है इसे गति देना आवश्यक है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कार्यक्रम 6 वर्षों से भी अधिक समय बीत जाने पर भी आज तक 'अभियान' का रूप नहीं ले पाया है। यह सत्य है कि तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में कार्यक्रम गतिशील है तथा बहुत सी सफलता की कहानियां देखने–सुनने को मिलती हैं। परंतु हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में जहां यह कार्यक्रम वर्ष 2000 में शुरू हुआ था गति नहीं पकड़ सका है। जिसके मुख्यतया निम्न कारण हैं।

- राज्य स्तर पर प्रभावी मार्गदर्शन एवं सुदृढ़ नेतृत्व की कमी।
- जिला स्तर पर कार्यक्रम की मंशा, रणनीति, व भावना के बारे में पूर्ण समझ न होना।
- बेस लाईन सर्वेक्षण उचित ढंग से न किया जाना।
- अप्रभावी सूचना–शिक्षा–सम्प्रेषण रणनीति। अर्थात कोई रणनीति है, ही नहीं।
- जिला स्तर पर प्रशंसनीय, कर्मठ, लगनशील व निपुण गैर–सरकारी संस्थाओं का अभाव।
- जिला स्तर पर डी.आर.डी.ए., पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज की तकनीकी शाखा व कार्यरत गैर–सरकारी संस्थाओं में तालमेल– समन्वय का अभाव।

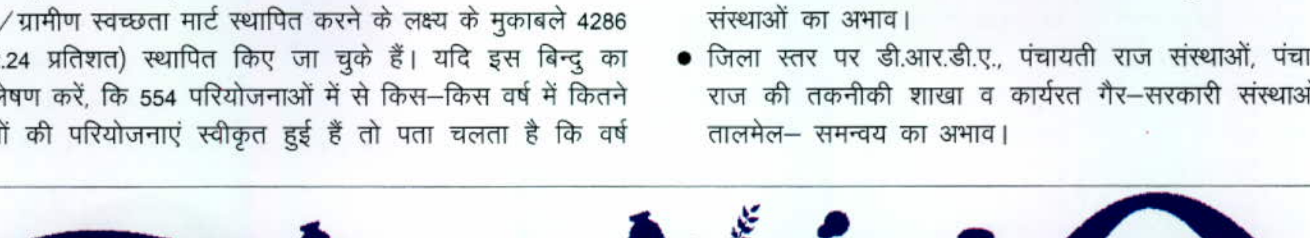

- कार्यकर्ताओं में सस्ते स्वच्छ शौचालय निर्माण विधि का ज्ञान न होना तथा लाभार्थियों को उचित ढंग की सस्ती निर्माण सामग्री जैसे कि 'रूरल पैन' उपलब्ध न होना।
- जन स्वास्थ्य विभाग को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान से नहीं जोड़ना।
- ग्रामीण जन समुदाय की परंपरागत मानसिकता।
- राज्य में संपूर्ण स्वच्छता से संबंधित 'प्रशिक्षण आवश्यकताओं' का मूल्यांकन न किया जाना। तथा विभिन्न स्तर के स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यकता अनुसार उचित प्रकार के प्रशिक्षण मोडयूल्ज का नितान्त अभाव।
- 'प्रोजेक्ट क्रियान्वयन योजना' का उचित प्रकार से न बनाया जाना।
- डी.आर.डी.ए. में निपुण स्टाफ की कमी।
- राज्य स्तर पर सस्ती स्वच्छता निर्माण सामग्री इत्यादि के बारे में अनुसंधान की कमी।

कार्यक्रम को अभियान के रूप में लागू करने एवं लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे कि :

- लोगों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य स्तर पर सूचना–शिक्षा–संप्रेषण रणनीति बनाई जानी चाहिए तथा स्वच्छता जत्थों का गठन कर गांव–गांव, घर–घर स्वच्छता संदेश भिजवाना चाहिए।
- राज्य, जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर कार्यरत चुनिंदा कार्यकर्ताओं को परियोजना क्रियान्वयन योजना बनाने, बेस लाईन सर्वेक्षण कराने, जिला स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण रणनीति बनाने, लोगों को सस्ते स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करने, स्वच्छता अभियान की अनिवार्यता समझाने, शौचालय निर्माण हेतु सस्ती निर्माण सामग्री बनवाने संबंधी सघन प्रशिक्षण दिलवाया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण सफाई विद्यालय अहमदाबाद, व महाराष्ट्र के बाबा गाड़गे संपूर्ण स्वच्छता अभियान से जुड़े निपुण प्रशिक्षकों से दिलवाना चाहिए।
- राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों में अलग से एक 'स्वच्छता विभाग' बनाया जाना चाहिए, जो कि स्वच्छता संबंधी विषयों पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आयोजित करे। क्योंकि सस्ते एवं स्वच्छ व्यक्तिगत शौचालयों के गड्ढों की गहराई इत्यादि के बारे में समुदाय में गहरी भ्रांतियां फैली हुई हैं। वे केवल स्थानीय अनुसंधान परिणामों के आधार पर दूर हो सकती हैं।
- राज्य स्तर से प्रभावी नेतृत्व व उचित मार्ग दर्शन प्रदान करने के लिए रणनीति बनाना।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन में गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट करना आवश्यक है। उनकी नियुक्ति व कार्य करने के बाद, किये गये कार्य के भुगतान की नीति स्पष्ट नहीं है तो यह भ्रष्टाचार को जन्म देती है तथा कार्य प्रभावित होता है।
- शौचालयों के निर्माण के बाद भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत अर्थात 'ग्राम स्वच्छता समिति' से करवाया जाना चाहिए, न कि पंचायती राज के अधिकारियों से।
- डी.आर.डी.ए. में स्टाफ की कमी है तथा अधिकतर स्थानों पर वे संपूर्ण स्वच्छता अभियान को चलाने में सक्षम नहीं हैं। अतः सक्षम एवं विशेषज्ञ स्टाफ की भर्ती करना आवश्यक है।
- अभियान के तहत संपूर्ण स्वच्छता तभी लाई जा सकती है जब गांवों में नालियों की प्रणाली में सुधार हो तथा बेकार पानी उपचार प्रणाली विकसित करने हेतु समुचित धन की व्यवस्था हो।
- जल आपूर्ति हेतु जन स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम से जोड़ा जाना अति आवश्यक है।
- स्कूल अध्यापकों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महज औपचारिकता के रूप में अभियान से जोड़ा गया है। इन्हें प्रभावी ढंग से जोड़ने के लिए रणनीति बनानी चाहिए।
- महिला 'स्वयं सहायता समूह' संपूर्ण स्वच्छता अभियान की कामयाबी में एक महत्वपूर्ण सूत्र का कार्य कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं की पूरी भागीदारी अति आवश्यक है। पंचायतें तभी कामयाब हो सकती हैं जब पंचायतों को खुले में शौच जानेवालों पर जुर्माना करने का कानूनी अधिकार हो।

'संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता' का सपना तभी साकार हो सकता है जब इसे 'अभियान' के रूप में चलाया जाये। तभी हम एक रोग मुक्त, स्वस्थ व सुन्दर ग्रामीण भारत का निर्माण करने में कामयाब हो सकते हैं। ❑

लेखक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी (करनाल) में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं।

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग

पूर्वी खंड-4, तल-7

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005–12) कमजोर नागरिक स्वास्थ्य सूचकों और या कमजोर संरचनात्मक ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश में ग्रामीण आबादी को प्रभावी चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चाहता हैं।

ये अठारह राज्य हैं; अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, नगालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश।

यह मिशन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के 2–3 प्रतिशत तक करने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता की परिणति हैं।

इसका लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनागत सुधार करना है ताकि यह राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वायदों के अनुरूप आबंटन में बढ़ोत्तरी को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग करने तथा देश में जन स्वास्थ्य प्रबंधन एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनेवाली नीतियों को बढ़ावा दे सके।

इसके मुख्य घटकों में प्रत्येक गांव में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी का प्रावधान करना, पंचायत की स्वास्थ्य एवं सफाई समिति की अध्यक्षता में गठित एक स्थानीय दल के माध्यम से ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करना, प्रभावी निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ग्रामीण अस्पताल को सशक्त बनाना है ताकि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप इन सेवाओं को मापा जा सके और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। साथ ही विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा कोषों को समन्वित कर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनेवाला हो और बुनियादी ढांचे और कोषों का आदर्श उपयोग किया जा सके।

इसका लक्ष्य स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं तथा मुख्यधारा आयुष कार्यक्रम को जन स्वास्थ्य प्रणाली में मजबूती प्रदान करना है।

इसका लक्ष्य स्वास्थ्य संबंधी सरोकारों तथा स्वच्छता एवं सफाई, पोषण तथा स्वच्छ पेयजल जैसे स्वास्थ्य के अवकारको का जिला स्वास्थ्य योजना के जरिए प्रभावशाली रूप से समन्वयन करना है।

इसके द्वारा जिला स्तरीय स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा।

यह विशेष रूप से अधिक ध्यान वाले 18 राज्यों में अंतर्राज्यीय एवं अन्तर्जिला असमानताओं को दूर करेगा। इसमें जनस्वास्थ्य संरचना की आपूरित आवश्यकताएं भी शामिल होंगी।

यह समयबद्ध लक्ष्यों को परिभाषित करेगा तथा उनके संबंध में हुई प्रगति से लोगों को अवगत कराएगा।

यह ग्रामीण लोगों तक स्वास्थ्य अधिगम बढ़ाएगा ताकि इन्हें समान, वहनीय, उत्तरदायी तथा प्रभावी प्रमाणिक स्वास्थ्य सेवा मिल सके। इनमें विशेष रूप से निर्धन महिलाएं तथा बच्चे शामिल होंगे।

उद्देश्य

शिशु मृत्यु दर (आई एम आर) और मातृ मृत्यु दर (एम एम आर) में कमी।

महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, पानी, सफाई एवं स्वास्थ्य, प्रतिरक्षण तथा पोषण जैसी जन–स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच।

स्थानीय देशज रोगों समेत संचरणीय और गैर–संचरणीय रोगों का निवारण और नियंत्रण।

एकीकृत विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच।

जनसंख्या स्थिरता, लिंग एवं जनसांख्यकीय संतुलन।

स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं और मुख्यधारा आयुष को पुनर्जीवित करना।

स्वास्थ्यप्रद जीवन शैलियों को प्रोन्नत करना।

रणनीतियां

(क) मुख्य रणनीतियां

जन स्वास्थ्य सेवाओं के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंध के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमता बढ़ाना और प्रशिक्षित करना।

महिला स्वास्थ्यकर्मी (आशा) के माध्यम से घरेलू स्तर पर उन्नत स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विकास।

पंचायत के ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रत्येक गांव हेतु स्वास्थ्य योजना।

स्थानीय योजना एवं कार्रवाई में सक्षम होने हेतु खुले कोष और अधिक बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (एमपीडब्ल्युएस) के माध्यम से उपकेंद्र को मजबूत बनाना।

नियामक स्तर (कार्मिक, उपस्कर तथा प्रबंधन मानकों को परिभाषित करने वाले भारतीय जन स्वास्थ्य का स्तर) तक उन्नत रोगनाशक सेवा हेतु वर्तमान प्रा. वा. केंद्रों और स. वा. केंद्रों को मजबूत करना तथा प्रतिलाख आबादी पर 30–50 बिस्तरों वाले सस्वा केंद्र का प्रावधान।

जिला स्वास्थ्य मिशन द्वारा पेयजल, स्वच्छता एवं सफाई तथा पोषण समेत तैयार किये गए एक अंतर्क्षेत्रीय जिला स्वास्थ्य योजना बनाना और लागू करना।

वर्तमान 3,222 समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों (30–50 बिस्तरों वालों को 24 घंटों वाली प्रथम रेफरल इकाइयों के रूप में, एनेस्थेटिस्टों की पदस्थापना समेत, संचालित करना।

स. स्वा. केंद्रों हेतु नए भारतीय जन–स्वास्थ्य मानकों का कोड बनाना, संरचना स्टाफ, उपस्कर, प्रबंधन आदि हेतु मानदंडों की स्थापना करना।

अस्पताल प्रबंधन हेतु साझेदार समितियों (रोगी कल्याण समितियों) की प्रोन्नति।

अस्पताल सेवा में सेवाओं एवं लागतों के मानकों का विकास करना।

स. स्वा. केंद्रों प्रा. स्वा. केंद्र के स्तर पर सिटीजन चार्टर का विकास, प्रदर्शन और अनुपालन सुनिश्चित करना।

अतिरिक्त लागतों की स्थिति में, जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या मानदंड को पूरा करने हेतु नए समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों (30–50 बिस्तरों वाले) का सृजन, तथा उनकी निरंतर लागतों को मिशन हेतु वहन करने का विचार किया जाना।

अवयव (ड.) : जिला स्वास्थ्य योजना

ग्राम स्वास्थ्य योजनाओं, स्वास्थ्य हेतु राज्य एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जल आपूर्ति, सफाई और पोषण द्वारा जिला स्वास्थ्य योजना क्षेत्रीय प्रत्युतरों का एक सम्मिश्रण होगा।

जल आपूर्ति, सफाई, स्वच्छता एवं पोषण जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य योजनाएं प्रस्तावित कार्रवाई की कोर इकाई का निर्माण करेगा। लागू करने वाले विभाग मॉनिटरिंग हेतु जिला स्वास्थ्य मिशन (डीएचएम) के साथ एकीकृत होंगे।

योजना बनाने, बजट निर्माण और कार्यान्वित करने हेतु जिला कोर इकाई होता है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्यों के परामर्श के अनुसार सुसंगत बनाया/संशोधित किया जा सकता है।

कार्यक्रमों के प्रभावी समाकलन हेतु जिला को अनुदान देने की अवधारणा।

जिला तथा राज्य स्तर के सभी शीर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को जिला स्तर पर एक सामान्य "जिला स्वास्थ्य मिशन" में राज्य स्तर पर "राज्य स्वास्थ्य मिशन" में मिलाना।

उन्नत कार्यक्रम प्रबंधन हेतु एमबीए, इंटर चार्टर्ड इंटर लागत तथा डाटा एंट्री आपरेटर को अनुबंध आधार पर काम में लगाकर सभी जिलों हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई का प्रावधान।

अवयव (च) : स्वच्छता एवं सफार्द को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लाना

वर्तमान में 350 जिलों में पूर्ण सफाई अभियान (टीएससी) लागू किया गया है और 10वीं योजना में सभी जिलों को शामिल करना प्रस्तावित है।

टीएससी के संघटकों में आईईसी गतिविधियां, ग्रामीण सफाई बाजारों, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों, महिला सफाई कम्पलेक्स तथा विद्यालय सफाई कार्यक्रम शामिल है।

जि. स्वा. मिशन की तरह ही पूर्ण सफाई अभियान (टी.एस.सी.) भी पंचायती राज संस्थाओं (आर आर आई) के माध्यम से लागू किया जाता है।

अतएव जिला स्वास्थ्य मिशन सफाई की कार्रवाइयों को जिला स्तर पर निर्देशित करेगा तथा जन–स्वास्थ्य, सफाई एवं स्वच्छता हेतु ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समिति के माध्यम से संयुक्त आई.ई.सी. को उन्नत करेगा और घरेलू शौचालयों तथा विद्यालय सफाई कार्यक्रमों को विकसित करेगा। घरेलू शौचालयों के विकास हेतु मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

अवयव (छ) : रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को सशक्त बनाना

मलेरिया, टीबी, काला अजर, फाइलेरिया, अंधापन हेतु राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा आयोडीन की कमी एवं एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रमों को उन्नत. कार्यक्रम डिलीवरी हेतु मिशन के तहत एकीकृत किया जाएगा।

गैर–संक्रामक रोगों के नियंत्रण हेतु नए पहल किए जाएंगे।

ग्राम स्तर पर रोग निगरानी पद्धति को मजबूत बनाया जाएगा।

गांव, उपकेंद्रो, प्रा. स्वा. केंद्रो/समु. स्वा. केंद्रो के स्तर पर सामान्य रोगों हेतु सामान्य दवाओं (आयुष एवं एलोपैथिक दोनों) की आपूर्ति।

उन्नत पहुंच सेवाओं हेतु जिला स्तर पर एक चलंत चिकित्सा इकाई का प्रावधान।

अवयव (ज) : निजी क्षेत्र के लिए विनियमन सहित जन–स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी

चूंकि वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जा रही है अतः विनियमन के परिष्कार की आवश्यकता है।

विनियमन का पारदर्शी और जवाबदेह होना।

जहां आवश्यक हो नियामक निकायों का सुधार/सृजन।

मिशन हेतु जिला सांस्थानिक प्रणाली में निजी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अवश्य हो।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी सांझेदारी (पी पी पी) हेतु दिशानिर्देश को विकसित करने की जरूरत। आवश्यकता आधारित, विषयगत और भौगोलिक साझेदारी के क्षेत्रों की पहचान करना।

ढांचे को परिभाषित करने और साझेदारी बनाए रखने में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुख्य भूमिका की निर्वाह।

सार्वजनिक–निजी भागीदारी पहलों हेतु प्रबंधन योजना : जिला/राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर।

अवयव (झ) : नवीन स्वास्थ्य वित्त प्रणाली

अस्पताल सेवा हेतु जोखिम एकीकरण सहित नए स्वास्थ्य वित प्रणालियों का एक कार्य समूह द्वारा निम्नलिखित अनुसार परीक्षण :

"मरीज के साथ–साथ धन" के सिद्धांत पर प्रतिपूर्ति द्वारा अस्पताल की सेवाओं हेतु भुगतान की दिशा में जिला स्वास्थ्य मिशनों द्वारा उत्तरोत्तर कार्य।

बहिर्रोगी, अंतःरोगी, प्रयोगशाला, शल्य क्रिया जैसी सेवाओं और आवाधिक आधार पर विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा प्रत्येक राज्य में लागतों का मानकीकरण किया जाएगा।

इन मानकों को मॉनिटर करने और संलेखों तथा लागत सादृश्य पर उचित सलाह और निर्देश देने के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह।

सभी वर्तमान स. स्वा. केंद्रों में मासिक आधार पर वेतन भुगतान किया जाना। मुहैया कराई गई सुविधाओं हेतु अन्य आवर्त्ती लागत की प्रतिपूर्ति जिला स्वास्थ्य कोष से की जा सकती है। मिशन की अवधि के दौरान स. स्वा. केंद्र दी गई सेवाओं हेतु पारिश्रमिकों की प्रतिपूर्ति सहित सभी लागतों पर व्यय कर सकता है।

जिला स्वास्थ्य कोष प्रबंधन की देख–रेख हेतु एक जिला स्वास्थ्य लेखाकरण पद्यति और सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक शिकायतों की जांच हेतु अधिकारी का सृजन किया जाना।

जि. स्वा. मिशन को जोखिम एकीकरण का प्रबंध करने और स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पर्याप्त तकनीकी प्रबंधकीय और लेखा संबंधी समर्थन प्रदान किया जाना।

जहां विश्वसनीय समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं (सीबीएचआई) हैं शुरू किए गए हैं उन्हें मिशन के भाग के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रीमियमों के एक अंश को पूरा करने हेतु निर्धन के लिए केंद्रीय सरकार अनुदान देगी और योजनाओं का मॉनीटर करेगी।

ऐसे स.आ. स्वा बीमा योजनाओं को उन्नत करने के लिए आईआरडीए से कहा जाएगा, प्रभावकारी ढंग से कार्य करने हेतु जिसका आवधिक आधार पर आकलन किया जाएगा।

अवयव (ञ) : स्वास्थ्य संबंधी ग्रामीण स्वास्थ्य मुद्दों को बल प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा का पुनर्निधारण।

जिला और टर्सियरी अस्पतालों, जोकि अनिवार्यतः शहरी केंद्रों में स्थित हैं, वे ग्रामीण जनता की जरूरतों की सेवा करने वाले रेफरल सेवा श्रृखंला का एक अभिन्न भाग बनते हैं।

जरूरत के आकलन के आधार पर राज्यों में चिकित्सा और पारा–चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता है।

चिकित्सा सेवा में उत्कृष्टता हेतु आयोग (चिकित्सा सेवा आयोग) स्वास्थ्य प्रबंध आदि हेतु राष्ट्रीय संस्थान आदि के लिए सलाह।

दिशानिर्देशों/विवरणों में सुधार के लिए कार्य समूह। ❑

साभार : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

जख्मी कामगारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कामगारों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान है।

दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक के अस्पताल में भर्ती होने के दौरान चिकित्सा सुविधा के साथ–साथ आवास, इलाज, दवाईयों और दैनिक भत्ते की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। यह दैनिक भत्ता उसकी दिहाड़ी के आधे से कम नहीं होगा।

यदि दुर्घटना के दौरान कामगार की मृत्यु या फिर स्थाई विकलांग की हालत में उसके आश्रित को 25,000 रुपये या वह राशि जो कि केद्र सरकार की अधिसूचना में घोषित की गई हो, दी जाएगी। कार्य स्थल पर स्वछ पेयजल, आराम का समय तथा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स भी उपलब्ध कराया जाएगा।

जिन कार्यस्थलों पर महिला कामगार कार्यरत हैं और इन महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर आने वाले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए इन्हीं महिलाओं में से किसी एक महिला को नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि ऐसे बच्चों की संख्या पांच या इससे अधिक हो।

इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया है कि महिला और पुरुष कामगारों को बराबर की मजदूरी मिले ही इसमें कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था है। ❑

टेलीमेडिसिन

जी. माधवन नायर

एक अरब की आबादी वाले देश भारत में करीब 75 प्रतिशत लोग गावों में रहते हैं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन गांवों में 50 प्रतिशत तो ऐसे है, जिन्हें पीने का पानी तक नसीब नहीं है और न ही सफाई का समुचित प्रबंध है। इस कारण 40 लाख से अधिक लोग मलेरिया, टी.बी एवं डेंगू जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। हर वर्ष लगभग छह लाख लोग मर जाते हैं। जन्म के समय 25 प्रतिशत बच्चों का वजन बहुत कम होता है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से 60 प्रतिशत को उपयुक्त आहार नहीं मिल पाता और 20 लाख बच्चे हर वर्ष मर जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक लाख बच्चे त्रुटिपूर्ण हृदय के साथ पैदा होते हैं। इन सबका सर्जरी से उपचार करना लगभग असंभव है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों, विशेषकर अधेड़ उम्र के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

हमारे देश में प्रति लाख की आबादी पर केवल 40 डॉक्टर और 80 अस्पतालों में 80 बिस्तर उपलब्ध हैं। ये भी अधिकतर नगरीय इलाकों में केंद्रित हैं। लगभग 75 प्रतिशत डॉक्टर नगरीय इलाकों में कार्यरत हैं और 23 प्रतिशत उपनगरीय क्षेत्रों में। 23,000 प्राथमिक केंद्रों और 3000 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा 70 प्रतिशत आबादी की स्वास्थ्य सेवा के लिए केवल दो प्रतिशत डॉक्टर ही उपलब्ध है।

संचार प्रौद्योगिकी एवं टेलिमेडिसिन का वायदा संचार प्रौद्योगिकी, खासकर सेट कॉम सूचना प्रौद्योगिकी के आविर्भाव ने हमें एक ऐसा साधन दिया है जिसके द्वारा हम दूरदराज एवं दुर्गम स्थानों में स्थित गांवों में रह रहे करोड़ों लोगों तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लाभ पहुंचा सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभ ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों की आबादी तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य के अंतर्गत, 2001 में अंतरिक्ष पर आधारित टेली औषधि तंत्र की स्थापना की।

टेलीमेडिसिन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान इंजीनियरिंग एवं आयुर्विज्ञान का योग है। टेलीमेडिसिन प्रणाली के अंतर्गत विशेष रूप से निर्मित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर रोगी तथा डाक्टर दोनों छोरों पर प्रदान किए जाते हैं। इनके जरिए रोग निदान के उपकरण, ईसीजी, एक्स–रे इत्यादि रोगी तक पहुंचाए जाते हैं। यह जानकारी इनसैट उपग्रह से प्राप्त की जाती है। आमतौर पर रोगी की रोग संबंध सारी जानकारी विशेषज्ञ डॉक्टरों को भेजी जाती है और ये डॉक्टर इस सामग्री के पूरे अध्ययन के बाद स्थानीय डॉक्टर और रोगी से वीडियो द्वारा बातचीत के जरिए रोग निदान एवं उपचार करते हैं।

इसरो की टेलीमेडिसन प्रणाली से दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित चिकित्सालयों और विशेषज्ञ अस्पतालों के बीच टेलीऔषधि तकनीक संबंधी संपर्क स्थापित किया जाता है। ताकि टेलीविमर्श, उपचार प्राप्त हो सके और साथ ही डॉक्टरों का प्रशिक्षण भी हो सके। इस काम के लिए सरकारी अस्पताल और कुछ गैर सरकारी संगठनों/ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल चुने जाते हैं, ताकि वे इस सुविधा को चलाने में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि आगे चलकर टेलीमेडिसन को राष्ट्रीय स्तर पर लागू जा सके। कश्मीर, लक्षद्वीप और उत्तर–पूर्वी राज्यों के चिकित्सालयों को जोड़ा गया है। शबरीमलै की तीर्थयात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए शरद ऋतु में दो महीने के लिए अस्थाई टेलीमेडिसिन सुविधा स्थापित की जाती है। एक लाख से अधिक तीर्थयात्री इसरो टेली औषधि तंत्र के तहत टेली–सलाह और उपचार से अब तक लाभ उठा चुके हैं।

अब तक एक हजार रोगियों पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि उन्होंने अपने उपचार पर 81 प्रतिवर्ष खर्च बचाया। उन्हें आने–जाने और शहरों में स्थित अस्पतालों में उपचार और ठहरने पर खर्च नहीं करना पड़ा। जहां तक समुद्र स्थित टापुओं का सवाल है, वहां के रोगियों और सरकार द्वारा की गई बचत तो कहीं अधिक होगी।

इसरो की टेली–औषधि परियोजना को अधिकाधिक स्वीकृति मिल रही है। इसमें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए नई सीमाएं निर्धारित करने की क्षमता है। कई राज्यों ने टेली–मेडिसिन को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया है। हृदय रोगों के अस्थाई और गहन उपचार के लिए जिला अस्पतालों को टेली–औषधि सुविधा से सुसज्जित किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के सभी जिला चिकित्सालयों में सैट–कॉम पर आधारित टेली–मेडिसन सुविधा स्थापित करने का कार्य आंरभ किया है अब ये चिकित्सालय बड़े–बड़े नगरों में स्थित विशेष सुविधा वाले अस्पतालों से जोड़े जा रहे हैं। आशा की जाती है कि अन्य राज्य भी शीघ्र ही ऐसे कदम उठाएंगे।

टेली मेडिसिन की आत्मनिर्भरता को विकसित करने की दिशा में कदम उठाते हुए जुलाई–2005 में तमिलनाडु के मदुरै जिले में एक परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना में इसरो, फिलिप्स इंडिया, अपोलो टेली–औषधि तंत्र न्यास और मदुरै स्थित एक गैर–सरकारी संगठन मानव कार्य विकास ने भाग लिया है। यह एक ऐसी टेलीऔषधि पहल है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य सेवा में वंचित लोगों को दूर से सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इसरो ने मार्च 2005 में टेलिऔषधि पर बैंगलोर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया। इस सम्मेलन के दौरान विचार–विनिमय में डॉक्टरों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और गैर–सरकारी संगठनों ने भग लिया। सम्मेलन ने सिफारिश की कि एक कार्य दल का गठन किया जाए जो टेली मेडिसिन प्रणाली की स्थापना और उसके प्रबंधन हेतु तकनीकी और कार्रवाई के पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करे। यह भी सिफारिश की गई कि इस प्रणाली का प्रबंधन एक विशेष रूप से स्थापित न्यास को, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति, सूचना तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी प्रतिनिधि, विशेषज्ञ डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने वाले शामिल हों।

उपग्रह के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली वर्तमान स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में, विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में, भारी वृद्धि कर सकता है। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा उद्योग में रोजगार की क्षमता बढ़ा सकती है। इसके स्वास्थ्य सेवारत कर्मियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और घरेलू सॉफ्टवेयर एवं अन्य उपकरणों के उद्योगों के उत्पाद की खपत बढ़ेगी। ❑

साभार : प्रेस सूचना कार्यालय

विकास के पथ

देशभर में उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक राष्ट्रीय– राजमार्ग विकास परियोजना के तहत रनवे जैसे राजमार्गों कर जरज जैसा फैलता जा रहा है। यह राजमार्ग देश के जिस भी इलाके से गुजर रहे हैं, वहां के लोगों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन ला रहे हैं। इस समपने को साकार करने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय–राजमार्ग प्राधिकरण कर रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य राज्यों के बीच सड़क संपर्कों को बेहतर बनाना है। वर्ष 1995 में इस परियोजना की शुरूआत हुई थी जब 333 कि.मी. लंबे विदेशी सहायता से बनने वाले राजमार्ग की जिम्मेदारी प्राधिकरण को सौंपी गई थी। वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को मंजूरी देते हुए 14,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलने की जिम्मेदारी **भाराराप्रा** को सौंपी।

इस परियोजना को इन भागों में बांटा गया– पहला, स्वर्ण चर्तुभुज जिसके अंतर्गत चार मुख्य महानगरों दिल्ली–मुंबई चेन्नई–कोलकात्ता–दिल्ली को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम आने वाले राज्य हैं–दिल्ली, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और बिहार। दूसरा चरण है उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम कॉरीडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने वाला राजमार्ग। तीसरे चरण में दस मुख्य बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली सड़कें तथा चौथे चरण में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दिसंबर, 2000 में मिली थी। इसकी लागत 30,000 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) आंकी गई थी। सरकार द्वारा दिसंबर 2003 में रा.रा.वि. प्रा. के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई थी, इसकी लागत 34,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। मार्च, 2004 में सरकार ने 4000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन में बदलने और सुधारने के लिए निर्माण–संचालन–स्थानांतरण (बीओटी) के आधार पर 22,000 करोड़ लागत वाली योजना को भी मंजूरी दी थी।

राजमार्ग विकास योजना के तहत सरकार ने अगले सात वर्षों (2005–2012) तक 1,72,000 करोड़ रुपये की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के विकास के लिए आबंटित की है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमिका सिर्फ राजमार्गों के निर्माण तक ही नहीं सिमटी बल्कि निर्माण के बाद सुरक्षित यात्रा इसकी जिम्मेदारी, प्रबंधन तथा संचालन कॉरीडोर प्रबंधन विभाग को भी इसके कार्यक्षेत्र में लाया गया। यह विभाग समय–समय पर राजमार्गों की मरम्मत, सड़क संपत्ति प्रबंधन, घटना प्रबंधन, बेहतर प्रौद्योगिकी, चुंगी कर वसूलने तथा राजमार्गों के किनारे सुविधायें उपलब्ध कराने का काम भी करता है।

राजमार्ग सिर्फ एक आम सड़क नहीं है। सड़क सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन राजमार्गों की संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इनमें पुलों, बाईपासों, रेलवे के ओवर ब्रिज या अंडरब्रिज इत्यादि का निर्माण सड़क सुरक्षा को ध्यान में रख कर किया जाता है। परियोजना विवरण पुस्तिका में ऊपर लिखे साइनबोर्ड, सूचना देने वाले साइनबोर्ड, सूचना देने वाले रिफलैक्टिव साइनबोर्ड, क्रैश बैरियर और रेलिंग का विवरण भी होता है।

निर्माण के दौरान सड़क का इस्तेमाल करने वाले राहगीरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक चेतावनी, रिफ्लेक्टिव साइन, रिफ्लैक्टिव लाइट खतरनाक स्थानों पर लगाए जाते हैं।

पूर्ण रूप से बन गए राजमार्ग कॉरीडोर में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा के लिए कई पहल की जाती हैं। इनमें सड़क के बीच में रेखायें, घुमावों और ऊंचे किनारों पर बैरियर, सड़क के बीच हरित पट्टी पर रेलिंग ग्रिल तथा कस्बों और शहरों में भी रेलिंग लगाये जाते हैं ताकि पैदल वाले तथा साइकिल चलाने वालों के लिए सर्विस लेन बनाकर, सड़क के बीच में पौधे/झाड़ियां लगाये जाते है ताकि सुंदरता के साथ–साथ इसकी तरफ से आने वाले वाहनों की रोशनी की चमक न पड़े।

इसके साथ ही हर 50 कि.मी. के लिए एम्बुलेंस जिसमें डाक्टर जरूरी चिकित्सा उपकरणों के साथ उपलब्ध रहते हैं ताकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया जा सके। सड़क के बीच में खराब हो गये या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने की भी सुविधा उपलब्ध रहती है। हर 50 कि.मी. के लिए एक निगरानी वाहन उपलब्ध कराया जाता है जिसमें साइन बोर्ड, ट्रैफिक फोन, आग बुझाने के उपकरण और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा होती है। यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाने के लिए **एनएचएआई** ने जगह–जगह पेट्रोल पंप, रेस्तरां, होटल, टेलीफोन, मरम्मत की दुकान आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई है।

साथ ही, राजमार्गों के दोनों तरफ हरे–भरे वृक्षों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है क्योंकि यह राजमार्ग सिर्फ सड़क न होकर वातावरण और समाज तथा अर्थ–व्यवस्था के स्तंभ हैं। सड़कों को 4 लेन में बदलने के लिए उनका चौड़ा किया जाना जरूरी है परंतु उनके दोनों तरफ लगे पेड़ों को कटने से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहां भी यह कोशिश नाकाम होती है वहां दुगनी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं ताकि सुंदरता के साथ–साथ वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, लोगों को गर्मी में छाया मिल सकें और मिट्टी का क्षरण कम किया जा सके। राजमार्गों को हर दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की कोशिश की जा रही है। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

पुनरोपयोगी ऊर्जा : वर्तमान परिदृश्य एवं चुनौतियां

ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व का एक ऐसा मुद्दा है, जो विश्व में खनिज तेलों के निरंतर बढ़ते दामों के चलते योजना प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बन गया है। भविष्य में विश्व बाजार में तेलों के दामों में कमी की संभावना नहीं के बराबर है। यही वजह है कि लगभग पूरी 21वीं सदी में भी हमारी ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता जारी रहेगी। लेकिन हमारा ईंधन भंडार सन् 2025 के बाद समाप्त हो जाएगा और कोयला भंडार जिसके अगले 200 वर्षों तक चलते रहने की संभावना थी, वो भी बढ़ती ऊर्जा खपत के चलते उतने वर्षों तक शायद मौजूद नहीं रह पाएगी।

राष्ट्रीय आर्थिक विकास तथा बेहतर जीवन स्तर के लिए ऊर्जा सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रति व्यक्ति ईंधन खपत की दर को राष्ट्रीय विकास का मानक माना जाता है। खनिज तेलों पर निर्भरता की स्थिति में, जब तेलों के दामों में ज्यादा उछाला है तथा ईंधन भंडार समाप्त होने के कगार पर हैं, सरकार को ऊर्जा भंडार की वैकल्पिक व्यवस्था की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास और इनके दोहन के अलावा अब कोई चारा नहीं है। भारत ने ऊर्जा संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 1970 में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर दी थी और इसके फलस्वरूप ऊर्जा के नए और बार–बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले स्रोत प्राप्त हुए हैं।

गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय व्यापक पहुंच वाले कार्यक्रमों के जरिए ऊर्जा स्रोत के विकास तथा इसके उपयोग की दिशा में अपना सहयोग जारी रखे हुए हैं। इन कार्यक्रमों में सभी नए तथा अक्षय ऊर्जा संसाधनों को शामिल किया गया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से जीवाश्म (कोयला) ईंधन आधारित ग्रिड बिजली की कमी की अन्य स्रोतों से पूर्ति करना, शहरी इलाकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक इकाइयों तथा दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में पुनरोपयोगी ऊर्जा को पहुंचाने के कार्य से जुड़े हैं। साथ ही इन नए ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल तथा परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन का विकास करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

मंत्रालय के अधीन पूरे देश में योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें इसके प्रशासनिक अधिकार के अंदर तीन विशेष तकनीकी संस्थान एवं एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल हैं। साथ ही, बिजली एक्ट 2003 के तहत गैर–पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है।

केंद्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में वर्ष 2009 तक सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने पुनरोपयोगी ऊर्जा व्यवस्था के जरिए उन गांवों में विद्युतीकरण का निर्णय लिया है

जहां ग्रिड से बिजली पहुंचाना संभव नहीं है। दूरदराज के गांवों में विद्युतीकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 24,418 गांवों की पहचान की गई है। 31 मार्च, 2005 तक दूरदराज के 1944 गांव तथा 594 बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित हैं। साथ ही 19 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में 1349 गांव तथा बस्तियों में विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस परियोजना में मुख्य रूप से सौर फोटोवाल्टिक सिस्टम तथा विद्युत संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ गांवों में बायोमास गैसीफायर तथा छोटे पनबिजली संयंत्र भी लगाए गए हैं।

ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा

ग्रामीणवासियों को ऊर्जा असुरक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने एक ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। उसका लक्ष्य पूरे गांव को खाना पकाने, घरों में बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बायोमास गैस, बायोमिथेन तथा जैव ईंधन आधारित प्रणाली की तकनीकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना है। मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 24 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं इनका उद्देश्य विभिन्न संस्थानों की बुनियादी जरूरतों के अनुरूप इन प्रणालियों का प्रयोग करना तथा जांच और करना है। इस दिशा में पहला प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में केसई गांव में सफलतापूर्वक शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है– **अक्षय ऊर्जा से देशी विकास, गांव–गांव बिजली घर–घर प्रकाश।**

इस मंत्रालय का मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र सौर ऊर्जा का दोहन रहा है। इस प्रणाली के तहत सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने की प्रणाली (इसकी स्थापित क्षमता 1,000,000 वर्गमीटर है), 5 लाख बक्से के आकार के खाना पकाने वाले कुकर तथा करीब 2100 सौर संघनित

डिश आकार के कुकर लगाए गए हैं। एसपीवी सिस्टम जैसे हल्के लालटेन, घर/गली में बिजली व्यवस्था, जल पंपिग सिस्टम तथा छोटे–छोटे पावर प्लांट दूरदराज के उन गांवों में आपूर्ति के विकल्प हैं जहां ग्रिड से बिजली नहीं पहुंच पाती है। इस प्रकार के 12 लाख से ज्यादा तकनीकी उपकरण इन दूरदराज के इलाकों में पहुंचाए गए हैं। इनकी कुल क्षमता 86 मेगावाट है, लेकिन इन सुविधाओं के महंगा होने के कारण ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाया है।

देश में कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाने के मंत्रालय के प्रयासों का अच्छा नतीजा अब सामने अब सामने आने लगा है। वर्तमान में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 5700 मेगावाट है जो कि विभिन्न स्रोतों से कुल उत्पादित बिजली का 4.99 प्रतिशत है। पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 2980 मेगावाट है, जबकि बायोमास ऊर्जा से 727 मेगावाट तथा लघु जल विद्युत संयंत्रों से 1693 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें से ज्यादातर बिजली का उत्पादन व्यावसायिक परियोजनाओं द्वारा संभव हो सका है।

पवन विद्युत

पवन विद्युत क्षेत्र से कुल उत्पादित बिजली की मात्रा 45,000 मेगावाट आंकी गई है। भारत विश्व में पवन बिजली उत्पादन क्षमता के हिसाब से चौथे नम्बर पर आता है। इस क्षेत्र में विकास मुख्य रूप से व्यावसायिक पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए अपनाई गई सफल नीतियों तथा योजनाओं के कारण हो सका है। सरकार द्वारा संभावित क्षमताओं वाले क्षेत्रों की एक सूची बनाई गई है और अनेक नए बिजली उत्पादन क्षमता वाले क्षेत्रों की सूची शीघ्र ही बना ली जाएगी। पवन बिजली परियोजनाओं की स्थापना में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक तथा गुजरात सबसे आगे हैं।

बायोमास स्रोतों से कुल उत्पादित बिजली की मात्रा 19,500 मेगावाट आंकी गई है, जिसमें 3500 मेगावाट बिजली चीनी मिलों में गन्ने की खोई से तैयार होती है। इसमें से 727 मेगावाट क्षमता के संयत्र काम कर रहे हैं तथा 600 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता के नए प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। बायोमास तथा लकड़ी की छीलन के उपयोग से बनी गैसीफायर को औद्योगिक थर्मल स्टेशनों, जल पंपिंग एवं बिजी उत्पादन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है।

देश में लघु पन बिजली संयंत्रों से कुल 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। अब तक 1693 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले 514 प्रोजेक्ट लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 488 मेगावाट क्षमता वाले 159 प्रोजेक्टों की स्थापना की दिशा में काम जारी है। मंत्रालय ने डाटाबेस के आधार पर अब तक 4,233 क्षमता वाले क्षेत्रों का पता लगाया है जिनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 10,324 मेगावाट है।

बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट

देश के शहरी इलाके प्रतिवर्ष 300 लाख टन ठोस तथा 44,000 लाख घन मीटर तरल अपशिष्ट पैदा करते हैं। अनेक औद्योगिक इकाइयां भी बायोडीग्रेडेबल कचरा तैयार करती हैं। इस कचरे से 2700 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादित की जा सकती है। मंत्रालय इस क्षमता को उपयोग में लाने के लिए प्रोजेक्टों की स्थापना कर रही है। अब तक 45.5 मेगावाट क्षमता वाले **26 कचरे से बिजली** प्रोजेक्टों की स्थापना की जा चुकी है। इससे बायोगैस तथा बिजली तैयार की जाएगी। इन प्रोजेक्टों में 19.5 मेगावाट क्षमता वाले 6 प्रोजेक्ट शहरी कचरे पर तथा 20 प्रोजेक्ट धान की भूसी, लुगदी, पेपर उद्योग आदि से निकलने वाले कचरे पर आधारित हैं।

हाईड्रोजन पावर

नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के जरिए बिजली उत्पादन में तेजी से विकास हुआ है। विश्व भर में हाईड्रोजन ने एक स्वच्छ तथा उपयोगी ऊर्जा उत्पादन करने वाले तत्व के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसमें फोसिल ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग की क्षमता है। हाईड्रोजन एवं ईंधन सेल प्रौद्योगिकी, अचल, सचल और वाहनों में इस्तेमाल के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रही है। इस तकनीक के विभिन्न आयामों पर शोध तथा विकास का काम देश के प्राथमिक संस्थानों तथा औद्योगिक इकाईयों में चल रहा है। हाइड्रोजन आधारित दुपहिया, तिपहिया, केटालीटिक कम्बस्चर एवं बिजली उत्पादित इकाइयों का विकास तथा इनका सफल प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा रोडमैप तथा इस तकनीक के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना की तैयारी की दिशा में मंत्रालय ने अक्तूबर, 2003 में एक राष्ट्रीय हाईड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैव–ईंधन व्यवस्था के विकास के लिए चार राज्यों के एक–एक गांव में एक–एक परियोजना शुरू की गई है। मंत्रालय बिजली तथा हाइब्रिड बिजली वाहनों के लिए किए जा रहे शोधों एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों को अपना समर्थन दे रहा है।

उपकरण निर्माण

गैर–पारंपरिक ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में अनेक लघु तथा मझौले स्तर की इकाईयां कार्यरत हैं। 100 से ज्यादा कंपनियां सौर तथा विद्युत प्रणाली तथा उसके उपकरणों का निर्माण कर रही हैं। लघु हाइड्रो ऊर्जा प्रोजेक्ट के उपकरण 10 कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे हैं जबकि दस कंपनियों बायोमास गैसीफायर प्रणाली के उपकरण बनाने में लगी हैं। 50 से ज्यादा कंपनियां एसपीवी सेल/मोड्यूल/प्रणाली के उत्पादन में लगी हैं। एसपीवी तकनीक के जरिए कुल बिजली उत्पादन 31 मार्च, 2005 तक 191 मेगावाट तक पहुंच गया। पवन टरबाइन उद्योग से प्रतिवर्ष 1,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 1.25 मेगावाट, 1.65 मेगावाट तथा 2.00 मेगावाट क्षमता वाले पवन टरबाइनों के स्थानीय उत्पादन का काम शुरू किया गया है।

मंत्रालय द्वारा पिछले दो दशकों में संवर्दित औद्योगिक ढांचा ने केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि इसने विदेशों को भी अक्षय ऊर्जा उपकरण व प्रणाली निर्यात की है। विदेशों को मुख्यतया सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और प्रणाली का निर्यात किया गया है। निर्याततित उपकरणों व प्रणाली की कुल क्षमता लगभग 105 मेगावाट है। यूरोप, आस्ट्रेलिया और अमरीकी को पवन टरबाइन उपकरणों का निर्यात किया गया है। ❑

(साभार : प्रेस सूचना कार्यालय)

विवश करता है। गांधीजी का मत है कि राजनीतिक विकेन्द्रीकरण एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण अविभाज्य है। जिला योजना यदि केंद्र में बने और कार्यान्वयन करने के लिए पंचायतों को कहा जाय तो वह सफल नहीं होगी। सत्ता यदि गांव में आये तो योजना भी गांव में ही बननी चाहिये। इस प्रकार जब तक गांव के द्वारा गांव की योजना और गांव के द्वारा गांव का स्वशासन नहीं होगा पंचायतों का रूप खड़ा कर देने से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं हो सकता।

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य तथा स्वावलम्बन के लिए पंचायती राज का समर्थन किया। भारत की जनशक्ति पर विश्वास करने वाले गांधीजी का मानना था कि देश का हर नागरिक सत्ता के स्तर पर भागीदार हो। यदि वर्तमान पंचायती राज का विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण नहीं है। केंद्र तथा राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता में वास्तविक हस्तांतरण नहीं देना चाहती हैं।

गांधीजी ने जहां आत्मनिर्भर गांव की कल्पना की थी वहीं हमारे गांव अर्थव्यवस्था के इस युग में अधिकतर आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर हो गये। हमारी पंचायती राज की योजना गांधी की योजना से इसलिये मेल नहीं खाती क्योंकि पंचायती राज योजना में सत्ता ऊपर से नीचे की ओर विकेद्रिंत होती दिखाई देती है।

गांधीजी का मानना था कि प्रत्येक देश को दूसरे देश, प्रत्येक गांव को दूसरे गांव पर कम से कम आश्रित होना चाहिए। अपने उपयोग की वस्तु स्वयं बनानी चाहिए। उन्होंने कुटीर एवं लघु उद्योगों पर अत्यधिक बल दिया।

वर्तमान में मशीनीकरण के युग में आवश्यकता इतनी बढ़ गई है कि कोई भी देश या ग्राम दूसरे देश अथवा ग्राम की सहायता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी वस्तु के लिए दूसरे राष्ट्र पर निर्भर है। इस स्थिति में गांधीजी का आत्मनिर्भरता का सिद्धांत संकुचित लगता है किंतु कृषि के द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना प्रेरणादायक है। लघु एवं कुटीर उद्योगों द्वारा रोजगार के अवसर तो मिल सकते हैं लेकिन राष्ट्र को विकास की ओर नहीं ले जाया जा सकता है।

यदि गांधीजी के अनुसार स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय तो विदेशी कर्ज से मुक्ति और बेरोजगार जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। पश्चिमी संस्कृति से तड़क–भड़क, फिजूल खर्ची से बचने के लिए गांधीवादी मार्ग ही उचित है। स्वदेशी संसाधनों का समुचित उपयोग करके विदेशी पराश्रितता से मुक्त हो सकते हैं।

गांधीजी ने शारीरिक श्रम को अधिक महत्ता दी है। वर्तमान भारत की सरकारों ने भारी उद्योगों तथा मशीनीकरण को प्राथमिकता दी तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों की उपेक्षा की। इससे देश में बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। ग्रामीण श्रम का पलायन कर शहरों की ओर चल पड़े। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि बड़े उद्योग चंद लोगों के हाथों में सिमट कर रह गये।

वर्तमान पंचायती राज महात्मा गांधी के स्वराज की अवधारणा पर भी खरा नहीं उतरा। स्वराज का निर्माण लोक सम्मति के अनुसार होना चाहिए और लोक सम्मति का निश्चय बालिग मताधिकार से अधिकतम लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। यदि इस कसौटी पर वर्तमान पंचायती राज को देखना चाहें तो चुनावी वातावरण के आधार पर यह विचारणीय है कि पंचायतें कितनी लोक सम्मति पर आधारित हैं। गांधीजी ने अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सत्य, अहिंसा के साधनों को अपनाने की बात कही थी, किंतु वर्तमान स्थितियां सर्वथा भिन्न हैं।

महात्मा गांधी ने विचार दिया था कि जब सत्ता का दुरुपयोग हो तो उसका प्रतिकार करने की क्षमता का विकास ग्राम स्वराज के अंतर्गत होना चाहिए और ग्राम स्वराज में जनता की सार्वभौतिक सत्ता शुद्ध नैतिक सत्ता के आधार पर स्थापित होनी चाहिए।

महात्मा गांधी पंचायतीराज के माध्यम से सामुदायिक विकास एवं ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी किये गये। अंत्योदय योजना, काम के बदले अनाज योजना, जवाहर रोजगार योजना को पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से लागू किया गया। इन सबके बावजूद गरीबी, बेरोजगारी, आय में भारी असमानता, क्षेत्रीय आर्थिक विषमताएं आदि समस्यायें आज भी मुंह बाये खड़ी हैं। आज भी अनेक मुद्दों पर असंतोष है। ग्रामीण विकास का अर्थ केवल उत्पादन–मात्रा या उत्पादन–दर में वृद्धि नहीं है वरन् जो कुछ उत्पादन हो उसके उचित वितरण की सुनिश्चिति भी आवश्यक है। उपलब्धियों का समान वितरण ही आर्थिक एवं सामाजिक न्याय का आधार है। विकास योजनाओं में भी निम्न पहलुओं पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया–

- स्थानीय आवश्यकताएं
- स्थानीय संसाधन
- स्थानीय जन भागीदारी

चूंकि जनसाधारण की भागीदारी विकेंद्रीकरण की सफलता का वास्तविक पैमाना है, अतः जितनी अधिक भागीदारी होगी विकास योजनाओं की सफलता उसी अनुपात में होगी। इसके लिए योजना बनाने में जनता की निर्णयात्मक भूमिका होनी चाहिए। विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन में निरंतर सहभागिता आवश्यक है।

महात्मा गांधी का कहना था कि जहां सत्ता है उसका दुरुपयोग होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुरुपयोग को रोकने एवं संतुलन बनाये रखने की क्षमता बढ़ जाती है। वस्तुतः लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सफलता के लिए निर्णयात्मक शक्तियों का हस्तांतरण आवश्यक है।

लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मूल उद्देश्य स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना है। इसी हेतु नियम, अधिनियम बनाये गये हैं। व्यावहारिक रूप में पंचायती राज संस्थाओं की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अधिकारियों के संदर्भ में समस्त शक्तियां पूर्णतः पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तांतरित होनीं चाहिए। शक्ति केंद्र प्रभुत्व सम्पन्न लोगों से हटकर जन साधारण में निहित होनी चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं विकेंद्रित योजना आवश्यक है।

गांधीजी ने विकेंद्रीकरण के साथ साधनों की शुद्धता पर भी जोर दिया। उस महामानव की दूर दृष्टि आज उत्तर आधुनिक युग की आवश्यकता बन गई है। विज्ञान की नई खोजों से यह असंभव हो गया है कि राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर किये बिना हम केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर जा सकते हैं।

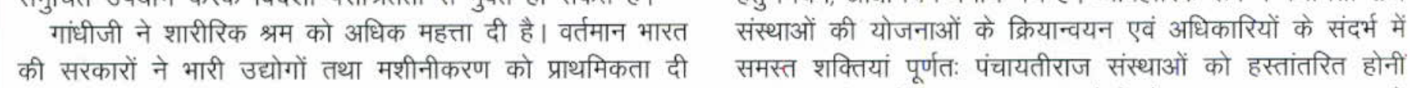

यदि हम चाहते हैं कि 21वीं सदी का भारत अपनी अस्मिता पहचाने, अपनी नियति की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाये तथा आज जो सबसे दीनहीन हैं, से सत्ता के गलियारों में प्रवेश पायें तो संविधान में पंचायती राज संस्थाओं की जो संकल्पना की गई है उसे साकार करने के सारे कदम उठाने पड़ेंगे।

स्थानीय जन संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों तथा आधुनिक विज्ञान, तकनीकि द्वारा उन्नत एवं परिष्कृत की गई परंपरागत तकनीकों को स्थानीय जनता की प्राथमिकताओं के आधार पर उनके द्वारा उनके काम में लाने की योजनाएं बनाकर लागू करने का माध्यम बनना होगा। योजनाओं को नौकरशाही के चंगुल से मुक्त कराना होगा। नौकरशाही को पंचायतों के जन प्रतिनिधियों के अधीनस्त होकर उनके प्रति जवाबदेह होकर काम करना होगा।

निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि गांधी विचार प्राचीन अवधारणा नहीं अपितु अपरिहार्य रूप से मुक्ति–मूलक तथा वैज्ञानिक अवधारणा है। गांधीवादी आर्थिक अवधारणा का यदि हम वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें तो उनके आर्थिक एवं राजनीतिक विचार आज भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की उस समय थे। ❑

(लेखिका महारानी श्रीजया राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर (राज.) में व्याख्याता हैं।)

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान

इस योजना का उद्देश्य पहचानी गई ग्रामीण बसावटों में शहरी सुविधाओं के सृजन और आधुनिक किफायती संपर्क के माध्यम से ग्रामीण–शहरी अंतर को दूर करना है। 'पुरा' का मूल तथ्य है कि एक शहर के इर्द–गिर्द के गांवों में विकास की अंतर्निहित क्षमता है और यदि इन गांवों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं, तो वे आस–पास के क्षेत्र के लिए विकास केंद्रों के रूप में उभर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है–विकास की क्षमता रखने वाले चयनित नगरों के आस–पास ग्रामीण समूहों को पहचानना और उन समूहों में निम्नलिखित चार प्रकार की संपर्कता प्रदान करना :

● सड़क परिवहन और बिजली उपलब्ध कराना। ● विश्वसनीय टेलीकॉम, इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक संपर्कता। ● अच्छी शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थाओं के रूप में ज्ञान उपलब्ध करना, और ● बाजार संपर्कता ताकि किसान और अन्य ग्रामीण उत्पादक अपने उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकें।

प्रत्येक समूह के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की जाएगी ताकि वहां सृजित की जाने वाली विशिष्ट आधारभूत सुविधाओं की पहचान की जा सके। प्रत्येक समूह को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी :

● पर्याप्त बिजली आपूर्ति का प्रावधान। ● जल आपूर्ति का प्रावधान। ● सड़क एवं यातायात सुविधाओं का प्रावधान ● पर्याप्त दूर संचार, इंटरनेट और आई.टी सेवाओं का प्रावधान। ● मौजूदा विद्यालयों को अगले उच्चस्तरीय विद्यालयों में बदलना। ● स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना ● कृषि उत्पादों के लिए विपणन सुविधाएं।

'पुरा' की योजना में यह व्यवस्था की गई है कि 'पुरा' समूहों में सृजित की जाने वाली आधारभूत सुविधाएं पहले भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों मौजूदा योजनाओं के माध्यम से सृजित की जाएंगी। ऐसी अनेक योजनाएं हैं। जिनका उपयोग चुने गए समूहों के विकास के लिए किया जा सकता है। आधारभूत सुविधाएं सृजित करने के अलावा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं को उपयोग इन समूहों के गरीबों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अभिनव तरीके से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, लोगों के लिए, लोगों के एक समूह को टैक्सी सर्विस, कृषि सेवा केंद्र विपणन सुविधाएं आदि शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सकती है। इसी तरह, दी गई सुविधाओं के अलावा, समूह के विकास के लिए अन्य मंत्रालयों की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। आधारभूत सुविधा संबंधी कमी को पूरा करने के लिए 'पूरा' के अंतर्गत सिर्फ अनुपूरक वित्तीय सहायता दी जाएगी।

● चूंकि इस तरह की योजना पहली बार शुरू की जा रही है इसलिए यह अत्यावश्यक है कि इसे देशभर में चलाने से पहले कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से इसे परखा जाए तदनुसार, योजना आयोग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2004–05 के दौरान पहली सात प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

● सात राज्यों में प्रत्येक राज्य के 10–15 गांवों के एक समूह में प्रायोगिक (पायलट फेज) चरण शुरू करने का निर्णय लिया गया है। जिन सात राज्यों जिनको प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है, वे हैं– आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। प्रत्येक चयनित समूह की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं तथा मंत्रालय में उनकी प्राप्ति हो चुकी है।

● ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए (पुरा) के अंतर्गत परियोजनाओं की जांच, उनकी स्वीकृति और कार्यन्वयन की निगरानी हेतु एक संचालन समिति गठित की गई है। सचिव, भारत सरकार द्वारा इसे समिति की अध्यक्षता की जाती है। समिति की प्रथम बैठक 11 जनवरी, 2005 को बुलाई गई। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक समूह को 4 से 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। प्रारम्भ के चरण में इन परियोजनाओं की कार्य अवधि 3 वर्ष की होगी। ❑

गांधीजी के ग्राम-स्वराज की परिकल्पना

डा. अमरेन्द्र कुमार तिवारी

लोकतंत्र का वास्तविक सार यह है कि एक निरीह से निरीह व्यक्ति को भी सत्ता में भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। मानवतावादी विभूति गांधीजी ने इस लोकतांत्रिक सिद्धांत के समर्थन में बहुत कुछ कहा है। जनता ही शासकीय सत्ता की स्रोत है और इसे ही इससे लाभान्वित होना चाहिये। संविधान की रचना भी "हम भारत के लोग" के आधार पर की गयी है। गांधीजी हमें हमेशा याद दिलाते रहे हैं कि भारत गांवों में बसता है। हमें अपने ढांचे और उसकी संचालन विधियों में परिवर्तन करके उसे ऐसा रूप देना होगा जिसमें "पिछड़े ग्रामीण वर्ग" को सक्रिय भूमिका मिल सके तथा शासकीय सत्ता में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आज की नयी पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक पद्धति की राजनीतिक अभिव्यक्ति और निचले स्तर पर स्वशासन की सामाजिक अभिव्यक्ति है।

"भारत के स्वतंत्रता–संग्राम के काल में ही यह तथ्य उजागर हो गया था कि गांव एवं शहर के बीच एक भयंकर अंतर है तथा अंतर की इस खाई को पाटना ही हमारे सामने एक चुनौती है।" राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के गांवों के पुन–निर्माण की कल्पना कर नये समाज की रचना द्वारा ग्राम–विकास की एक व्यवस्था सुझाई जिसे पंचायती राज या ग्राम–स्वराज्य का नाम दिया गया। ग्राम–स्वराज्य यानी गांव में गांव का राज्य। गांधीजी ने इस हेतु ग्राम को एक इकाई मानकर ग्राम विकास की व्यवस्था का विचार प्रतिदिन किया। इस ग्राम इकाई का गठन स्वावलम्बन के आधार पर करने का उद्देश्य रखा गया।

ग्राम–स्वराज की परिकल्पना एवं पंचायती राज

गांधीजी ने लिखा है, "आजादी का अर्थ हिन्दुस्तान के आम लोगों की आजादी है, न कि केवल उन पर हुकूमत करने वालों की आजादी। हुकूमत करने वाले आज जिन्हें अपने गांव तले रौंद रहे हैं, आजाद हिन्दुस्तान में उन्हें लोगों की मेहरबानी पर ही रहना होगा। इन हुकूमत करने वालों को जनता का सेवक बनना होगा और उनकी मर्जी के मुताबिक कार्य करना होगा।" गांधीजी के अनुसार आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिये। उनकी कल्पना थी कि हर एक गांव में पंचायती राज या ग्राम–स्वराज होगा। "पंचायत एवं पंच परमेश्वर शब्दों का प्रयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है जिसके साथ प्राचीन भारत के परम्परा की मिठास जुड़ी हैं। पंचायत का अर्थ है – गांव के लोगों द्वारा चुने गये पांच व्यक्तियों से निर्मित संस्था। पांच व्यक्तियों से निर्मित संस्था विवादों के समाधान की सर्वोच्च संस्था मानी जाती थी और इन पांच व्यक्तियों को पंच कहा जाता था। गांव के लोग पंचों को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और उनके द्वारा दिये गये निर्णयों को सर्वोच्च मानते थे।" गांधीजी के अनुसार पंचायतों पास पूरी सत्ता और ताकत होगी।

गांधीजी ने ग्राम–स्वराज की सुन्दर कल्पना इस प्रकार की है – "ग्राम–स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपनी खास जरूरतों के लिए अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। प्रत्येक गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपनी जरूरत का तमाम अनाज और कपड़ों के लिए पूरा कपास स्वयं पैदा कर ले। उसके पास इतनी अतिरिक्त जमीन होनी चाहिये जिसमें मवेशी चर सकें और गांव के बड़ों एवं बच्चों के मनोरंजन के साधन और खेलकूद के मैदान आदि की व्यवस्था हो सके। इसके बाद की बची जमीन में वह ऐसी उपयोगी फसल बोएगा जिन्हें बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके। इस प्रकार वह अफीम, गांजा, तम्बाकू आदि की खेती से बच सकेगा। प्रत्येक गांव में गांव की अपनी एक नाटकशाला, पाठशाला और सभा–भवन रहेगा। पानी के लिए उसकी अपनी व्यवस्था रहेगी जिससे गांव के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिला करेगा। कुओं और तालाबों पर गांव का पूरा नियंत्रण कहेगा। बुनियादी तालीम के आखिरी दर्जे तक शिक्षा सबके लिए जरूरी होगी। जहां तक संभव हो सकेगा, गांव के सारे कार्य सहयोग के आधार पर किये जाएंगे। जाति–पाति, ऊंच–नीच जैसे भेदभाव, जो हमारे समाज में पाये जाते हैं वैसे इस ग्राम–स्वराज्य में बिल्कुल ही नहीं रहेंगे।"

ग्राम्य जीवन पर गांधीजी की अगाध श्रद्धा थी। ग्राम्य–जीवन के सभी पक्षों के सूक्ष्म अवलोकन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् उन्होंने गांव को एक लघु विश्व का रूप देने की कामना को मूर्तरूप देने का प्रयास किया। ग्राम्य–जीवन को स्वर्ग बनाने का प्रयास करने के लिए गांधीजी ने ग्रामवासियों का आह्वान किया।

ग्राम स्वराज के आवश्यक तत्व

ग्राम–स्वराज की सुन्दर योजना बापू के गहन मनन–चिन्तन एवं उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है। गांधीजी ने ग्राम–स्वराज्य के सुन्दर समन्वय के लिए निम्नांकित आवश्यक तत्वों का समर्थन किया:

- **पंचायतों द्वारा प्रशासन** : "भारत में सामाजिक नियंत्रण का कार्य पंचायतों के माध्यम से ही होता रहा है। अंग्रेजी शासन द्वारा इस व्यवस्था को आघात लगा। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था पंचायतों पर बहुत हद तक आश्रित थी।" इस व्यवस्था के कारण गांवों में अमन–चैन की स्थिति तब तक कायम थी जब तक कि बाहरी हस्तक्षेप नहीं बढ़ा था। पंचायतों के बिगड़ते स्वरूप से चिन्तित होकर गांधीजी ने वर्ष 1931 में पंचायतों के लिए कुछ नियम सुझाए। उनके अनुसार जन–चेतना को व्यापक रूप से जागृत करने के पश्चात् आर्थिक रूप से विकेन्द्रित ग्रामीण समाज में ही राजनीतिक विकेन्द्रीकरण प्रभावी हो सकेगा। गांव का शासन

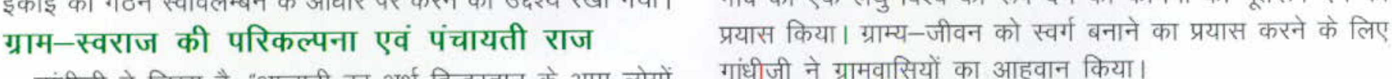

चलाने के लिए बनाई गई सार्वजनिक सभा में पांच आदमियों की एक पंचायत चुनी जायेगी। इन पंचायतों को सब प्रकार की आवश्यक सत्ता और अधिकार रहेंगे। चूंकि इस ग्राम–स्वराज में आज के प्रचलित अर्थों में सजा या दण्ड का कोई रिवाज नहीं होगा, इसलिए यह पंचायत अपने एक साल के कार्य–काल में स्वयं ही धारा सभा, न्याय सभा और कारोबारी सभा का सारा कार्य संयुक्त रूप से करेगी। गांव की सारी व्यवस्था गांव के हाथ में होगी। अपना भला दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा आत्म–विश्वास ग्रामीण जनता में पैदा करना होगा। गांव का कारोबार संभालने के लिए ग्राम–सभा बनानी होगी जिसमें गांव के सभी बालिग स्त्री–पुरुष सदस्य होंगे। प्रत्यक्ष कार्यों को सम्पादित करने के लिए ग्राम–समिति बनानी होगी। उसके सदस्य सर्वसम्मति से चुने जायेंगे और सारे निर्णयों को सर्वसम्मति से करने की पद्धति विकसित करनी होगी। शिक्षा, सफाई, दवा–दारू और पेयजल की व्यवस्था जैसे कार्यों का संपादन पंचायत करेगी। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला गांधीजी के ग्राम–स्वराज्य के चिन्तन के अनुसार ही रखी गयी है। संविधान की धारा 40 तथा 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम–स्वराज की परिकल्पना को प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न राज्यों द्वारा इसके अनुरूप पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिये गये हैं।

- **समानता का केंद्र बिन्दु : व्यक्ति** : सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर ही एक सभ्य समाज की रचना हो सकती है। अलौकिक सत्ता पर विश्वास द्वारा ही सत्य और अहिंसा पर चलना संभव है। "ऐसा समाज अनेक गांवों का बना होगा और व्यक्ति ही उसका केंद्र बिन्दु होगा। ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आचार रखने वाला संपूर्ण प्रजातंत्र कार्यरत रहेगा। व्यक्ति ही ग्रामीण स्वशासन की सरकार का निर्माता भी होगा।" व्यक्ति अपने गांव की हर एक क्षेत्र में प्रगति एवं प्रतिष्ठा के लिए मर मिटने को तैयार रहेंगे। ग्राम स्वराज्य में सभी बराबर होंगे। प्रत्येक धर्म को सम्मान एवं बराबरी का दर्जा प्राप्त होगा। मानवता के गुणों को सभी व्यक्तियों में समाविष्ट करके गांधीजी के सपनों के रामराज्य की स्थापना की जा सकेगी। व्यक्ति ही सामाजिक कीर्ति का प्रेरणास्रोत और आधार है। गांधीजी का मानना था कि लोकतंत्र मनुष्य के लिए होना चाहिये न कि मनुष्य लोकतंत्र के लिए।
- **लोकमत : शक्ति का स्रोत** : लोकमत शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। गांधीजी ने आगे कहा – "जब ग्राम स्वराज्य बनेगा तब लोकमत द्वारा ग्रामीण विकास से संबंधित सभी कार्य होने लगेंगे। जमींदारी, पूंजी तथा राजसत्ता की ताकत तभी तक कायम रह सकती है, जब तक आम जनता अपनी शक्ति नहीं समझ पाती है।" आम जनता पूर्णरूपेण शक्तिशाली है। वह सब कुछ करने तथा करवाने में समर्थ है। परंतु आम लोग अपनी शक्ति–सामर्थ्य को नहीं समझ पाते हैं। ग्रामीण सहयोग और प्रेमभाव द्वारा सरकारी सहायता के बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त होने पर ग्रामीण अपने गांव की खुशहाली और संपन्नता में चार चांद लगा सकते हैं। अगर ग्रामवासियों को उचित सलाह और मार्गदर्शन मिलता रहे तो गांव की आमदनी में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक दृष्टि से काम में आनेवाली साधन सामग्री हर गांव में भले ही न हो लेकिन स्थानीय उपयोग और लाभ के लिए लगभग प्रत्येक गांव में ऐसी साधन–सामग्री उपलब्ध है। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अपनी दशा सुधारने के लिए ग्रामीण प्रायः कुछ करना नहीं चाहते। वे हमेशा बाहरी सहायता की आशा लगाए रहते हैं।
- **कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था** : कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योगों से ग्रामीण बेरोजगारी दूर की जा सकती है तथा ग्रामीणों का नगरों की ओर पलायन, पर्यावरण प्रदूषण और औद्योगिक कचरों की समस्या से मुक्ति पायी जा सकती है। स्थानीय स्तर पर कच्चे माल के रूप में सुलभ कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों से बेरोजगारी की समस्या का समाधान संभव है। "गांवों में आटा पीसनेवाली चक्की, तेल निकालने वाले कोल्हू, गुड़ निर्माण, मधुमक्खी पालन, सूत कताई, कपड़ा बुनाई, चमड़ा निकालने, साबुन बनाने, बर्त्तन निर्माण और कागज बनाने के उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। इस प्रकार उद्योग एवं कृषि के बीच सुन्दर समन्वय स्थापित किया जा सकता है।" सहकारी समितियां उद्योगों के लिए कच्चे माल और ग्रामीणों के लिए आवश्यक अनाजों का संग्रह, निर्मित उत्पादों की बिक्री, बोने के लिए बीच, खेती के औजार तथा कम्पोस्ट में वितरण तथा कर वसूली में सरकार और ग्रामीणों के बीच मध्यस्थता का कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था द्वारा गांव की बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा।
- **उत्पादन का विकेन्द्रीकरण और लघु एवं कुटीर उद्योग** : गांधीजी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे तथा उत्पादन का विकेन्द्रीकरण चाहते थे। भारतीय जनसंख्या तथा साधनों को देखते हुए गांधीजी ने कृषि प्रधान और गांवों के देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने पर अधिक ध्यान दिया। गांधीजी का कहना था कि, "यदि आप व्यक्तिगत उत्पादन को लाखों गुना बढ़ा दें तो क्या यह एक बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कहलाएगा? बड़े पैमाने पर उत्पादन एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ कम से कम व्यक्तियों से जटिल मशीनों द्वारा अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करना है, मशीनें बहुत ही सरल होनी चाहिए जिसे लाखों व्यक्तियों के घरों में रखा जा सके।"

  आज भारतीय दृष्टिकोण से यह अनुभव किया जाने लगा है कि कृषि के विकास द्वारा एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करके गांवों का विकास आसान हो सकता है।
- **स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता : शासकीय नियंत्रण से मुक्ति का साधन** : गांधीजी ने कहा था कि अगर हमें सच्चा ग्राम स्वराज स्थापित करना है और शासकीय नियंत्रण से मुक्त होना है तो निश्चय करना होगा कि हम स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनेंगे। हम अपना कारोबार स्वयं संभालेंगे। हम दूसरों की तरफ मदद के लिए नहीं देखकर अपने विकास के लिए स्वयं प्रयास करेंगे। प्रत्येक ग्रामवासी के अपने गांव का स्वराज्य संभालने के लिए संकल्प लेना होगा। इस प्रकार, ग्राम–स्वराज की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीणों को ही निभानी होगी। गांव के रोजगार धंधे, खेती, पशुपालन, पानी की व्यवस्था, सबके लिए सुव्यवस्था अपने ही करनी होगी। गांव की सारी व्यवस्था अपने हाथ में लेनी होगी।

ग्रामवासियों के भलाई एवं उत्थान के लिए प्रबुद्ध नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे उनमें आत्मविश्वास एवं जागृत्ति पैदा करें।

- **सत्य और अहिंसा पर आधारित ग्रामीण समाज** : सत्याग्रह और असहयोग के शस्त्र के साथ अहिंसा की सत्ता ही ग्रामीण समाज का शासन बल होगी। गांव की रक्षा के लिए ग्राम–सैनिकों का एक दल होगा, जो बारी–बारी से गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। इस ग्राम शासन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित संपूर्ण प्रजातंत्र कार्य करेगा। व्यक्ति ही इस प्रजातांत्रिक सरकार का निर्माता होगा। सरकार और व्यक्ति दोनों अहिंसा के नियम में बंधकर चलेंगे और गांव की प्रतिष्ठा के लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहेंगे। गांधीजी ने एक ऐसे ग्राम–समाज के रचना की कल्पना की, जो सुशिक्षित और संस्कारवान होगा, जिसमें प्रत्येक स्त्री–पुरुष को अपने पुरुषार्थ द्वारा अपने आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहेगी। बाहरी असामाजिक और आपराधिक तत्वों से गांव की रक्षा के लिए गांव को संगठित करना होगा। ऐसे ग्राम–समाज की रचना सत्य और अहिंसा पर ही आधारित होगी।
- **ग्रामीण चिंतन एवं ग्राम भावना** : ग्राम–स्वराज की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीणों को ही निभानी होगी। ग्रामीणों को अपने गांव का ध्यान रखते हुए कर्त्ता–धर्त्ता की भूमिका निभानी होगी। उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ से उपर उठकर पूरे ग्राम–समाज के भलाई की बात सोचनी होगी तथा वैसा ही करना होगा। जिस प्रकार व्यक्ति अपने घर–परिवार, खेत–खलिहान की चिंता करता है, उसी प्रकार ग्राम–स्वराज्य की स्थापना के लिए पूरे गांव का चिंतन करना होगा। गांव के घर, गांव की गलियां, गांव की पाठशालाएं, गांव के धर्मस्थल, गांव के बच्चे, गांव की मां–बहनें, गांव के नौजवान, गांव के बूढ़े और बीमार, ये सब उसके चिंतन के विषय होने चाहिए।

  "गांव के रोजगार–धंधे, गांव की खेती, गांव का पशुपालन, गांव के कुएं, गांव के तालाब – इन सबकी सुव्यवस्था के लिए ग्रामीणों को अहम् भूमिका निभानी होगी। गांव के लिए उपयोगी शिक्षा पर उन्हें विचार करना होगा।" गांव में सभी की रोटी–कपड़ा–मकान की आवश्यकता पूरी हो सके – इसके लिए ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। गांव को दुर्व्यसन से मुक्त करने के लिए, गांव में न्याय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ग्रामीणों को पुरुषार्थ द्वारा आगे बढ़ने के लिए, साहूकार तथा बाजार के जाल से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति जागृत करनी होगी। इन सब बातों के लिए ग्राम–भावना, ग्राम–शिक्षण और ग्राम–संगठन चाहिए। इस संदर्भ में ग्राम सभा को को सशक्त बनाकर ग्रामीण भावना को साकार किया जा सकता है।

ग्रामीण विकास का समग्र दृष्टिकोण

ग्रामीण विकास के प्रति गांधीजी समग्र दृष्टिकोण के हिमायती थे। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत गांवों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास परस्पर संबंधित है और विकास की प्रक्रिया में ग्रामीणों के संपूर्ण जीवन को अनुप्राणित होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, राजनीतिक रूप से स्वशासित, सामाजिक रूप से समानता मूलक और शारीरिक श्रम को गरिमा प्रदान करने तथा ग्रामीण संस्कृति का संरक्षण करने वाले गांवों का निर्माण गांधीजी का लक्ष्य था। "गांधीजी के अनुसार, गांवों की पुनर्रचना में "उद्योग, हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा" – इन चारों का सुन्दर समन्वय होना चाहिए।" इस समग्र दृष्टिकोण पर अमल करते हुए महात्मा गांधी के ग्राम–स्वराज्य को साकार करना संभव हो सकेगा।

अवलोकन

गांधीजी जैसी महामानव की दूर–दृष्टि आज उतर आधुनिक युग की आवश्यकता बन गयी है। आज समाज किसी न किसी हद तक एक द्वंद्व से घिरा है और व्यक्ति को मुक्ति तथा सुरक्षा की तलाश है। इस तलाश का मार्ग भी कहीं न कहीं, किसी न किसी हद तक गांधी–मार्ग से होकर निकलता है।

गांधीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी आचार्य विनोबा भावे ने गांधीजी के चिंतन को आगे बढ़ाते हुए कहा है – "हमें भारत को स्वाधीन गांवों का स्वाधीन देश बनाना है।"[9] गांव–गांव में ग्राम–स्वराज्य यानी आज की युगानुकूल पंचायती राज प्रणाली को स्थापित करते हुए हम इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। गांधीजी के तात्विक आदर्शवाद पर अमल करते हुए ग्राम–पंचायतों को व्यावहारिकतापूर्ण एवं सार्थक विकोसोन्मुख गति प्रदान करनी होगी।

निष्कर्ष

संविधान के अनुच्छेद 40 के आधारभूत सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए ग्राम–स्वराज्य की दिशा में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम इस विशाल ग्राम–प्रधान देश में अपने आप में "मौन सामाजिक क्रांति" का द्योतक है। भारतीय संविधान की इस मानसिकता एवं दर्शन के मद्देनजर राज्यों द्वारा पारित पंचायती राज अधिनियम का संरक्षण प्राप्त कर पंचायती राज संस्थाएं निर्भरता के भाव से मुक्त होकर ग्राम–स्तर पर देश के विकास के साधन के रूप में कार्य कर रहीं हैं। परंतु गांधीजी के देश में आजादी के बाद भी स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज के न्यायिक तथा विकास से संबंधित पहलू उपेक्षित रहे हैं। राज्यों की 7वीं सूची और पंचायतों के लिए ग्यारहवीं सूची में एक जैसे विषय रहने का कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अतः ग्राम–स्वराज की दिशा में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए संविधान में एक नयी सूची पंचायत सूची शामिल करने की आवश्यकता है जिसमें पंचायतों के दायित्वों का अलग से वर्णन हो। पंचायतों के कार्यों पर सरकारी तंत्र द्वारा गिद्व दृष्टि रखते हुए तथा उनका सर्वेक्षण और विश्लेषण करते हुए उनकी उपादेयता का निष्पादन आकलन करना होगा। सरकार के स्वच्छ राजनैतिक संकल्प, दृढ़ इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता के साथ सार्थक प्रयास और प्रचार माध्यमों, गैर–सरकारी संगठनों तथा सामाजिक संगठनों को प्रोत्साहित करते हुए और उनका सहयोग प्राप्त करते हुए इसी प्रकार की प्रशासकीय तथा सामाजिक इच्छाशक्ति भी विकसित किए जाने का सरकार द्वारा प्रयास होना चाहिए। साथ ही अनुसरण किए जा रहे प्रावधानों में तथा विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही बाधाओं और कठिनाइयों का निराकरण करते हुए व्यवस्थाओं को व्यावहारिक बनाने हेतु प्रयास किए जाते रहे तो निश्चय ही गांधीजी के ग्राम–स्वराज के सपने को सही मायने में साकार किया जा सकेगा। ❑

(लेखक भारतीय वायु सेना में कार्यरत हैं)

RAU'S IAS
WHERE WINNERS LEARN

Amazing Success

Our 2004 Exam Results : Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS & PCS coaching.

Unbeatable Strategy

Answers that matter : The most crucial fact about coaching is that it should improve the quality of your answers in the minimum possible time. It is precisely this training on which we focus on at Rau's to give an extra edge to the answers you give / write in the Civil Services Examination.

Be Sure

We have no branches or associates any where in India. Our name which has become a legend among students for the highest standards in teaching, and hence has been copied by a lot of centres across India, but it can never be equalled.

Programme Highlights

Civil Service Exam, 2006

- Personal Guidance (English Medium) is available for -

  General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.

- **पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) -**

  सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।

- Postal Guidance in English Medium available for -

  General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.

- Postal Guidance in Hindi Medium available for **General Studies** only.

- Hostel facility arranged.

कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं ।
जीता वही जो डरा नहीं ।।

New batches for 2006 Exam, start from 11th November, 2005

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs. 50/- favouring

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001.
Phone : 39448880-81, 55391202, 23318135-36, 23738906-07, Fax: 23317153
For full details on fast-track log-on our website: www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH 10/05/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. 12057/2003-05
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.) -55/2003-5

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL 12057/2003-05
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2003-05
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

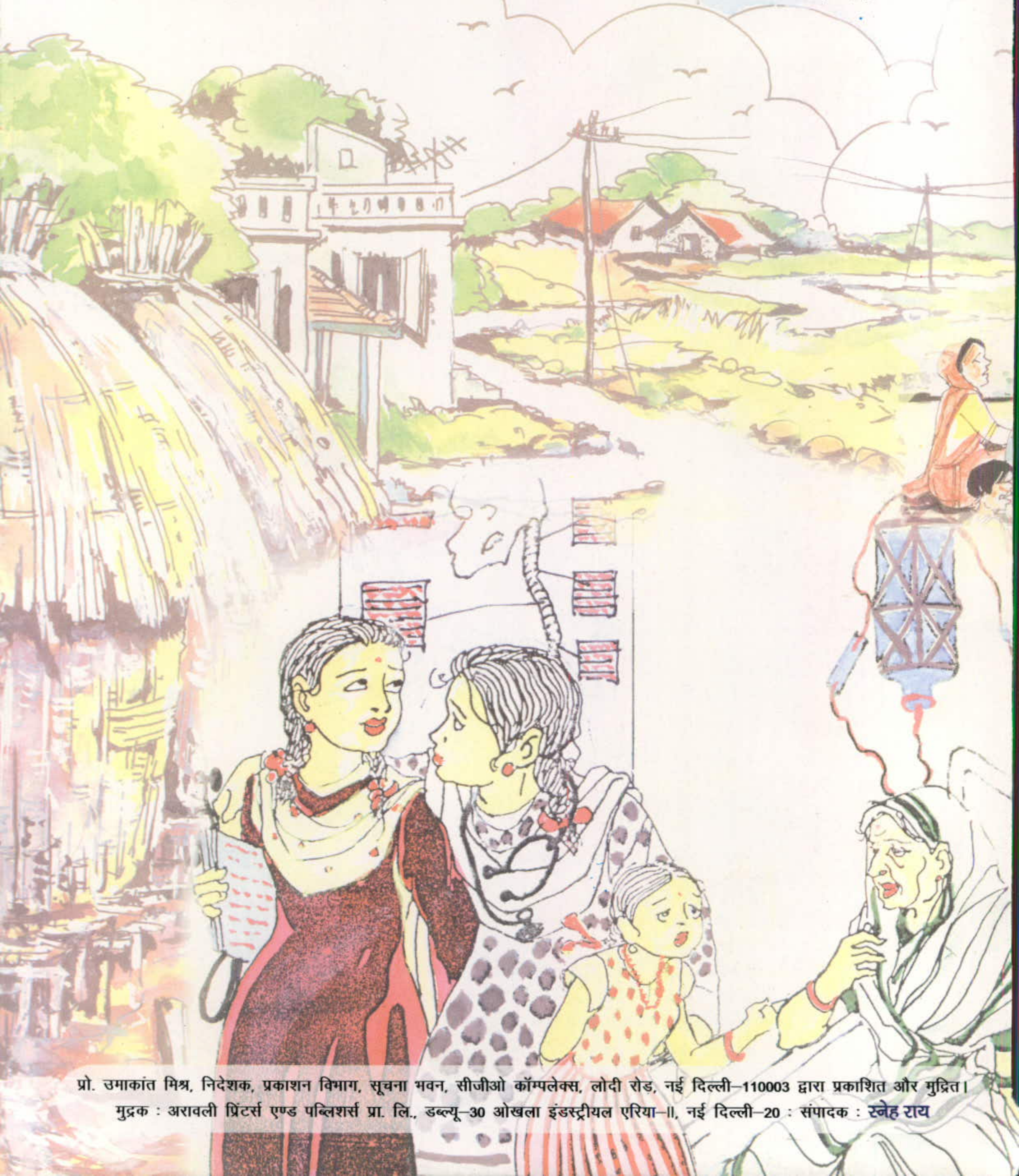

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया-II, नई दिल्ली-20 : संपादक : स्नेह राय